वार्षिक रिपोर्ट
2019 – 2020

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025, नई दिल्ली

http:\\www.ncw.nic.in

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ
	प्राक्कथन	1–3
अध्याय–1	प्रस्तावना	5–8
अध्याय–2	शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ	9–17
अध्याय–3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे	18–22
अध्याय–4	स्वप्रेरणा से घटनाओं/मामलों का संज्ञान	23–25
अध्याय–5	नीति, निगरानी और अनुसंधान	26–28
अध्याय–6	महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	29–30
अध्याय–7	पूर्वोत्तर क्षेत्र में की गई पहल	31–32
अध्याय–8	महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ	33–41
अध्याय–9	कानूनी समीक्षा एवं विधिक जागरूकता	42–51
अध्याय–10	जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण	52–57
अध्याय–11	सूचना का अधिकार	58–59
अध्याय–12	लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया	60
अध्याय–13	मीडिया और पहुंच कार्यक्रम	61
अध्याय–14	सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग	62
अध्याय–15	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	63
अध्याय–16	वार्षिक लेखा 2019–20	65–110
अध्याय–17	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	111–114
अध्याय–18	लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई	115–120
उपाबंध		121
उपाबंध–I	आयोग की संरचना	122
उपाबंध–II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	123
उपाबंध–III	वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा विचार किए गए मुख्य निर्णय/मामले	124–129
उपाबंध–IV	वर्ष 2019–20 के दौरान वित्त पोषित सेमिनारों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं के ब्यौरे	130–138
उपाबंध–V	वर्ष 2019–20 के दौरान वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययन का विवरण	139–140
	झलकियां	141–154

रेखा शर्मा
अध्यक्षा

फोन : 011–26944808
फैक्स : 011–26944771

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.–33, नई दिल्ली–110 025
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
PLOT NO. 21, FC-33, JASOLA
INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI-110 025
वेबसाइट/Website : www.ncw.nic.in
ई–मेल/E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने पूर्व वर्ष के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाया और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में लिंग मुद्दों, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन का सुझाव देने, मनोरोग गृह में महिला रोगियों की स्थिति पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार करने, महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाने, महिलाओं से संबंधित विधियों के संबंध में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने, महिला शिकायतकर्ताओं की परिवेदनाओं का निवारण करने और व्यथित महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से महिलाओं के विरूद्ध हुए अत्याचार की घटनाओं का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेने से संबंधित मुद्दों को उठाया और इनके लिए निरंतर रूप से कार्य किया। आयोग ने राज्य महिला आयोगों और अन्य हितधारकों के सहयोग से चुड़ैल प्रथा जैसी सामाजिक बुराई सहित महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सेमिनार और परामर्श आयोजित किए।

आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया।

आयोग के अधिदेश के अनुसार, आयोग ने ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013'' और महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों, माताओं का संरक्षकता अधिकार, महिला श्रम बल भागीदारी दर और आपदा में महिलाएं और बच्चेः एक नीति की आवश्यकता, से संबंधित कानूनों की समीक्षा की।

आयोग को पीड़ित महिलाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं। शिकायतें उनके घर, कार्यस्थल और अन्य स्थानों पर दिन–प्रतिदिन के जीवन में उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में होती हैं। जिसके

परिणामस्वरूप उन्हें गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिलता है। आयोग ने शिकायतों के पंजीकरण, उनके प्रसंस्करण और संकल्प के लिए एक पूरी तरह कार्यात्मक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। आयोग राज्य में संबंधित अधिकारियों के साथ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के साथ भी लगातार शिकायतों को हल कर रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से रिपोर्ट वर्ष के दौरान, ''महिला जन सुनवाई'' के माध्यम से कई शिकायतों को निपटाया गया। आयोग अपने सक्रिय प्रयासों से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतों को दूर करने में सक्षम हुआ है। महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार के विशिष्ट मामलों की जांच के लिए आयोग द्वारा क्षेत्र का दौरा और पूछताछ भी की गई।

आयोग ने महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने और उनके खिलाफ जघन्य अपराधों को शामिल करने के लिए बड़ी संख्या में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के प्रयासों से त्वरित जांच हुई और ऐसे अपराधों के दोषियों पर मुकदमा भी चला। आयोग ने विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशनों और राज्य पुलिस प्राधिकारियों आदि के साथ समन्वय में अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मामलों को हल करने के लिए सहायता प्रदान करना भी जारी रखा है।

आयोग ने विभिन्न महिला विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेने के उद्देश्य से देश भर में ''आकांक्षापूर्ण जिलों'' का दौरा किया और स्वाधार गृहों के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया।

वर्ष के दौरान, राज्य पुलिस विभागों के सहयोग से आयोग ने पुलिस अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम चलाए। अक्सर पीड़ित महिलाएं और उनकी भूमिका के लिए सबसे पहले पुलिस से संपर्क करती है और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए जवाब देने में पुलिस महत्वपूर्ण होती है। फ्रंट–लाइन पदाधिकारी होने के नाते, पुलिस से एक जोरदार और संवेदनशील तरीके से जवाब देने की उम्मीद की जाती है। लिंग संवेदीकरण कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को लैंगिक हिंसा के मामलों में पुलिस की भूमिका से संबंधित मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना है।

जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में आयोग ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से एक व्यापक लिंग संवेदीकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा XI और XII के छात्रों को लैंगिक समानता और न्याय प्राप्त करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आयोजित किया गया था।

महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने 1 मार्च, 2020 को इंडिया गेट से जनपथ तक 'पॉवरवॉक' का आयोजन किया। इस वॉक में सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने प्लेकार्ड के साथ भाग लिया। वॉक का उद्देश्य, महिला सुरक्षा, अपराधों, हिंसा और सड़कों पर होने वाले हमले और महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है। देश में अलग–अलग 15 स्थानों पर पावर वॉक का आयोजन किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कई शोध अध्ययन और संगोष्ठियों को भी प्रायोजित किया।

आयोग ने निरीक्षण के लिए विकसित प्रोफार्मा का उपयोग करके देश की जेलों के निरीक्षण में अपना प्रयास जारी रखा। आयोग ने निरीक्षण के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की, जेलों में महिला कैदियों के लिए प्रभावी कानूनी सहायता सहित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।

मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों एवं राष्ट्रीय महिला आयोग में अपने सहयोगियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आयोग को दी गई सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी; जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है जिससे वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव हो सका।

(रेखा शर्मा)

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 भारत का संविधान अपनी शक्तियों का एहसास करने के लिए देश के सभी नागरिकों को समर्थ बनाना चाहता है। यह सभी गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकूल एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के निर्माण की दृष्टि देता है। दूसरी चीजों के साथ लिंगों में भेद के बावजूद लिंगों की समानता और समान अवसर देने के लिए गारंटी देता है।

1.2 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) का गठन किया गया था। आयोग को संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करने का अधिकार दिया गया है और यह सरकार को सुझाव देता है कि उनको प्रभावी ढंग से कैसे कार्यान्वित किया जाए।

1.3 आयोग को संविधान में दिए गए वर्तमान प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसे कानूनों में किसी भी कमी, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने और शिकायतों पर गौर करने और महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने आदि से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेने और उचित अधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाने का अधिकार है। महिलाओं के प्रासंगिक मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करना, पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग जागरूकता, महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, सामाजिक–आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना, जेल, रिमांड होम आदि, जहां महिलाओं को रखा जाता है, उसका निरीक्षण करना और जहां जरूरत हो वहां हिरासत और उपचारात्मक कार्रवाई करना। आयोग को, महिलाओं के सरोकारों को हल करने और गतिविधियों की रूपरेखा बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने, कानूनों के कार्यान्वयन, नीतियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रमों में मदद करने का दायित्व सौंपा गया है।

1.4 किसी देश के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में सभी, महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से हिस्सेदारी की जरूरत होती है। इस वास्तविकता को महसूस करते हुए कि देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक असमानता बनी रहती है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम 31.01.1992 को लागू हुआ और, आयोग के अनुसार, स्थापित किया गया था। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध करती है। संक्षेप में, आयोग इसके लिए जिम्मेदार हैः

i. महिलाओं के लिए दिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी;

ii. मौजूदा विधानों की समीक्षा करना और जहाँ आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देना;

iii. शिकायतों को देखते हुए और असहाय महिलाओं को सहायता, कानूनी या अन्यथा प्रदान करने के लिए महिलाओं के अधिकारों को छीनने वाले मामलों का स्वतः संज्ञान लेना;

iv. जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता हासिल करने और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी के लिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी; तथा

v. महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाने में प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसमें भाग लेना और सलाह देना।

1.5 आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव के पद शामिल हैं। आयोग की संरचना **अनुबंध–I** में दी गई है। अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है। आयोग की सहायता के लिए एक सचिवालय है। इसके अलावा, समन्वय, आरटीआई से संबंधित मुद्दों, आईटी, आधिकारिक भाषाओं, जनसंपर्क आदि प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्य के लिए अनुभाग/इकाइयाँ आयोग को रोजमर्रा के कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए आयोग में स्थापित की गई हैं। जो निम्नवत हैं:–

i. शिकायत एवं जांच

ii. अनिवासी भारतीय

iii. नीति, निगरानी और अनुसंधान

iv. क्षमता निर्माण

v. महिला सुरक्षा

vi. स्वतः संज्ञान

vii. पूर्वोत्तर

viii. मनोरोग गृह/संरक्षण सुधार गृह

ix. विधिक प्रकोष्ठ

x. सूचना का अधिकार

1.6 वर्तमान में, प्रकोष्ठों में ज्यादातर पेशेवर संविदात्मक और आउटसोर्स आधार पर लिए गए पेशेवरों को रखा गया है, जिनमें कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–II** में रखा गया है।

1.7 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने कुछ मामलों को विचाराधीन रखा था। आयोग द्वारा की गई बैठकों और प्रमुख निर्णयों का विवरण **उपाबंध–III** में दिया गया है।

1.8 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2020 को आयोग के मुख्यालय, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में अपनी स्थापना के 27 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। इस अवसर को संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के

सहयोग से "पीढ़ीगत समानता की ओर बढ़ना: महिलाओं के अधिकारों को एक समान भविष्य के लिए साकार करना" विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करके मनाया गया। यह परामर्श बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में/25 वर्ष के लिए मनाया गया और घोषणा (बीपीएफए), लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व में एक साझा दृष्टिकोण और जनादेश है। राष्ट्रीय परामर्श भारत में लैंगिक समानता की कार्यसूची को प्राप्त करने में तेजी लाने और लिंग समानता लाने के लिए कार्रवाई का मार्ग बनाने की कोशिश थी। नीतिगत रूपरेखा की सामूहिक समीक्षा के माध्यम से, लिंग विशिष्ट बाधाओं को दूर करके और महिलाओं को उनके अधिकारों का एहसास कराने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को 2030 तक सक्षम बनाने के लिए यह एक प्रयास था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल श्रीमती अनुसुइया उइके, मंत्रालयों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधि, कई सरकार के प्रतिनिधि विभाग, महिला समूह, नारी सामूहिक, नागरिक समाज संगठन, शिक्षाविद् और मीडियाकर्मी मौजूद थे।

1.9 दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 को, आयोग ने विधिक जागरूकता और लिंग जागरूकता में युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से दिल्ली क्षेत्र में 60 केन्द्रीय विद्यालयों में एक पायलट परियोजना शुरू की थी। यह कार्यक्रम कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (दिल्ली क्षेत्र) के सहयोग से एकाधिक विकल्प प्रश्नों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए लक्षित समूहों के रूप में किया गया था। कार्यक्रम के अनुसार, आयोग ने 'महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून' के साथ–साथ विशेषज्ञ समिति की मदद से 'लिंग जागरूकता' पर सामग्री सहित एक पुस्तिका तैयार की। छात्रों को पुस्तिकाएं पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए बुकलेट आयोग की वेबसाइट पर दी गई थी। प्रतियोगिता के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र इन पुस्तिकाओं पर आधारित थे। सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, क्रमशः XI और XII कक्षा के कुल 7345 और 5733 छात्र प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।

1.10 पायलट परियोजना के सफल आरंभ की याद में आयोग द्वारा 18 नवंबर, 2019 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और प्रधानाचार्यों के साथ–साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया गया। यह पुरस्कार मुख्य अतिथि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर आयोग की सम्मानित अध्यक्षा, सदस्यों, उच्च अधिकारियों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों की उपस्थिति की सराहना की गई।

1.11 आयोग ने भारत में घरेलू कामगारों की गरिमा के साथ जीने के अधिकार में बाधा डालने वाले मुद्दों और चुनौतियों को समझने के कारणों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 को "भारत में घरेलू कामगारों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। घरेलू कामगारों की नियोजन एजेंसियों के नियमन और निगरानी के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना, कल्याणकारी और घरेलू कामगारों की बेहतरी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा और विश्लेषण करना इसका उद्देश्य था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रयोज्यता और कार्यान्वयन के तहत महिलाओं की सुरक्षा और इन घरेलू कामगारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए चर्चा की गई।

1.12 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रभावी तालमेल को बढ़ाने और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण सहित महिलाओं के मुद्दों को हल करने और शिकायतें दूर करने एवं विभिन्न स्तर के परामर्शों के आयोजन के लिए राज्य महिला आयोगों (एसडब्ल्यूसी) के साथ मिलकर काम करता है। वर्ष 2019–2020 के दौरानए आयोग ने उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

1.13 देश भर में लैंगिक भेदभाव से लड़ने के लिए और दहेज प्रथा की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने और विवाह संस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आयोग द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2019 को दहेज विरोधी अभियान और शपथ ग्रहण शुरू की गई थी। शपथ MyGov वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट और आम जनता के अनुमोदन के लिए आयोग की वेबसाइट और ऑनलाइन शपथ ली जा सकती है।

1.14 आयोग ने फरवरी और मार्च 2020 के महीने में राज्यों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सहयोग से झारखंड और असम राज्यों में "चुड़ैल प्रथा की रोकथाम और उन्मूलन'' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में सामाजिक अभिशाप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत में डायन के शिकार और स्थानीय लोगों के बीच डायन–शिकार प्रथाओं की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। सेमिनार में डायन–शिकार के खिलाफ मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रयोज्यता और कार्यान्वयन पर चर्चा की गई, पीड़ितों की चिकित्सा हस्तक्षेप तक पहुंच का विश्लेषण किया गया, और आगे उनके समुदायों में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उपाय करने की तैयारी पर चर्चा की गई।

1.15 आयोग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय महत्व के एक अन्य भव्य आयोजन में "पावर वॉक" अभियान था, जो 1 मार्च, 2020 को भारत के 15 राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जो कि राज्य महिला आयोगों के समर्थन से अखिल भारतीय स्तर पर वास्तव में सफल आयोजन बना। यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुदुचेरी के प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया। पॉवर वॉक का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सुधारना और रात में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों तक बिना किसी नुकसान के जाने के उनके अधिकार को पहचानना था। नई दिल्ली में, आयोग ने इंडिया गेट से जनपथ तक रात 8 बजे से 9 बजे तक पावर वॉक मार्ग का संचालन किया और अभियान का समर्थन करने वाले 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर सहयोग किया।

1.16 आयोग ने 11 मार्च, 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ''प्रभावी तरीके से महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यम'' विषय पर एक परामर्श आयोजित किया ताकि वे समूहों में जाने के लिए एक रास्ता तैयार कर सकें। महिलाओं के नेतृत्व में एमएसएमई; और अपने उद्यमों के प्रबंधन में अपने कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से और अपने उद्यमों की समग्र उत्पादकता में सुधार करने में उनकी मदद करने के लिए आयोजन किए गए।

1.17 अपने जनादेश को बढ़ाने हेतु, आयोग द्वारा वर्ष 2019–2020 के दौरान कुल मिलाकर बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

अध्याय–2

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

2.1 महिलाओं और उनके अधिकारों के रक्षा के लिए अधिनियमित कानूनी अधिकारों से वंचित करने और उनको लागू न करने से संबंधित दर्द और शिकायतों का निवारण करना आयोग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। व्यक्ति विशेष की चिन्ता को दूर करके जमीनी स्तर पर, संवैधानिक और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने में बहुत योगदान मिलता है। कानून, अधिकार, हकदारी, योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं तब ही अच्छी है, जब इनको अच्छी तरह से लागू किया जाता है। इन सबका परिणाम एक तरफ शिकायतों की संख्या में कमी होना है और दूसरी तरफ कम हुई शिकायतों का शीघ्र निवारण होना चाहिए।

2.2 शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ पूरे देश से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने/कानूनों को लागू न करने आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। यह प्रकोष्ठ शिकायतों को लिखित या ऑनलाइन, www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त करता है। कुछ शिकायतें मौखिक रूप से भी की जाती हैं। आयोग संबंधित क्षेत्रों में पेशेवरों और विशेषज्ञों की सेवाओं को लेता है जैसे कि मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कानूनी परामर्शदाता आदि। वर्ष 2019–20 के दौरान, आयोग ने अतिरिक्त स्टाफ को लगाकर प्रकोष्ठ को और मजबूत किया है।

2.3 आयोग, शिकायतों को संभालने/संसाधित करने के दौरान, राज्य पुलिस अधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों आदि के साथ अपने सहयोग का लाभ उठाता है, जहाँ आवश्यक हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि और अन्य आयोगों के साथ गतिविधियों का समन्वय होता है।

2.4 आयोग शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के माध्यम से आयोग ने शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली की शुरूआत की। इस सॉफ्टवेयर में निरन्तर सुधार किया जा रहा है जिससे कि वह बदलती हुई जरूरतों को पूरा कर सके और उपयोक्ता के अनुकुल हो। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। जिस भी व्यक्ति को कोई शिकायत है वह कहीं से भी उक्त साइट पर लॉगइन करके अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या दी जाती है। उसके बाद उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है। इस प्रणाली से शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति की जानकारी ले सकता है।

2.5 आयोग ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इसमें शामिल गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसके भाग के रूप में, इसने 'गैर–जनादेश'

और 'जनादेश' श्रेणियों में शिकायतों को वर्गीकृत किया है। आयोग के अनुभव के आधार पर, आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:–

i. पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता संबंधी शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को मामले की समय पर और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित किया जाता है। उनसे शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ए.टी.आर.) मंगायी जाती है और उसकी जांच की जाती है। आयोग वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ मामले के संबंध में फोन पर या लिखित रूप में संपर्क बनाए रखता है और व्यक्तिगत शिकायतों की प्रगति को तब तक देखरेख करता है, जब तक उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता है;

ii. पारिवारिक/वैवाहिक विवादों को, जहां संभव हो, परामर्श के माध्यम से हल किया जाता है। आयोग विवाद का समाधान करने के लिए पक्षकारों के साथ कम से कम एक बार उन्हें परामर्श देने का प्रयास करता है। बाहर के दम्पतियों/परिवारों के मामले में स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य महिला आयोगों/एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए./संरक्षण अधिकारियों से सहायता भी ली जाती है। शीघ्रतापूर्वक मामलों का समाधान करने की दृष्टि से किसी राज्य से संबंधित मामलों को जन सुनवाई के दौरान भी उठाया जाता है वहां ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, अन्य अधिकारी, जांच अधिकारी शामिल हैं, मौजूद रहते हैं।

iii. गंभीर अपराधों के मामले में आयोग जांच समिति गठित करता है। ऐसी समिति घटनास्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्ष्यों की जांच करती है, साक्ष्य एकत्रित करती है और आयोग को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तुरन्त राहत और न्याय दिलाने में सहायता मिलती है। आयोग जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और न्यायालय में आरोपपत्र फाइल होने तक राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों में अनुकरण करता रहता है या जहां शिकायत किए गए आरोप जांच के पश्चात् साबित नहीं होते हैं वहां मामले को बंद कर दिया जाता है।

iv. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की बाबत आयोग संबंधित संगठन/विभाग/प्राधिकरण को ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक समिति गठित करने की सलाह देता है। ऐसे सभी संगठनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति आयोग को उसके अवलोकन के लिए प्रस्तुत करें। आयोग मीडिया/कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाता है।

v. ऐसी शिकायतों को जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित नहीं हैं उन्हें राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति आयोग तथा उससे संबंधित राज्य आयोगों को समुचित कार्रवाई के लिए आयोग प्रेषित करता है। अन्य मामलों में शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को कार्रवाई के लिए, यथोचित, प्रेषित किया जाता है।

2.6 ऐसे मामलों में जहां आयोग को अधिकारों के उल्लंघन का पता लगाता है, मामलों को संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। हालाँकि, निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाता है।

i. अपठनीय या अस्पष्ट, बेनामी या छदम नाम वाली शिकायतें;

ii. जब उठाया गया मुद्दा पक्षकारों के बीच संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं आदि जैसे सिविल विवादों से संबंधित हो;

iii. जब उठाए गए मामले विवाद्यक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों;

iv. जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक मुद्दे से जुड़ा हो;

v. जब मामला न्यायाधीन हो;

vi. ऐसे मामले जो किसी राज्य आयोग या किसी कानून के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो;

vii. जब आयोग ने मामले में निर्णय पहले ही कर दिया हो;

viii. जब मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो;

ix. संपत्ति विवाद से संबंधित मुद्दे।

2.7 शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में जनादेश के अनुसार पंजीकृत अनिवार्य शिकायतें निम्नलिखित 23 श्रेणियों में दर्ज की गई हैं:

i. बलात्कार/बलात्कार का प्रयास

ii. एसिड हमला

iii. लैंगिक हमला

iv. लैंगिक उत्पीड़न

v. पीछा करना/बुरी नजर से देखना

vi. महिलाओं का दुर्व्यापार/वेश्यावृत्ति

vii. महिलाओं की लज्जा भंग करना/उत्पीडित करना

viii. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध

ix. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता

x. विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न

xi. दहेज मृत्यु

xii. द्विविवाह/बहुविवाह

xiii. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

xiv. महिलाओं का बालकों का संरक्षण/विवाह–विच्छेद का अधिकार

xv. विवाह/प्रतिष्ठा अपराधों में चयन का प्रयोग करने का अधिकार

xvi. गरिमा के साथ जीने का अधिकार

xvii. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न

xviii. महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इन्कार करना

xix. लिंग भेदभाव, जिसमें शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार शामिल है।

xx. स्त्री का अश्लील रूपण चित्रण

xxi. लिंग चयनित गर्भपात; मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच

xxii. महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा और चुड़ैल हत्या करना

xxiii. महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता

2.8 वर्ष 2019–2020 के दौरान, आयोग की शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ ने 20,309 शिकायतें/मामले दर्ज किए हैं। वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोग द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का प्रकृति–वार और राज्यवार विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष 2019–2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार सूची

क्रम सं.	प्रकृति	कुल
1	एसिड अटैक	15
2	द्विविवाह/बहुविवाह	134
3	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	458
4	महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना	142

क्रम सं.	प्रकृति	कुल
5	दहेज हत्या	388
6	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता	131
7	शिक्षा और काम के समान अधिकार सहित लिंग भेदभाव	37
8	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	3963
9	महिलाओं का अश्लील चित्रण	93
10	महिलाओं की इज्जत का हनन/छेड़छाड़	1449
11	महिलाओं के खिलाफ पुलिस उदासीनता	1968
12	महिलाओं की निजता और अधिकार	0
13	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	3369
14	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1474
15	विवाह में चयन का अधिकार	0
16	शादी/सम्मान अपराधों में विकल्प/चयन का अधिकार	432
17	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	5061
18	लिंग चयनात्मक गर्भपात/कन्या भ्रूण हत्या/गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय की जांच	18
19	यौन हमला	201
20	यौन उत्पीड़न	368
21	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न	300
22	छिप कर पीछा करना/दर्शनरति	197
23	महिला अधिकारों के लिए पारंपरिक अपमानजनक प्रथा जैसे सती–प्रथा देवदासी–प्रथा, डायन–शिकार	14
24	महिलाओं की तरस्करी/वेश्यावृत्ति	68
25	तलाक की स्थिति में बच्चों के संरक्षण में महिलाओं का अधिकार	29
	कुल	**20,309**

वर्ष 2019–2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	8
2	आन्ध्र प्रदेश	129
3	अरूणाचल प्रदेश	1
4	असम	56
5	बिहार	768
6	चंडीगढ़	51
7	छत्तीसगढ़,	101
8	दादरा और नागर हवेली	3
9	दमन और दीव	1
10	दिल्ली	1957
11	गोवा	14
12	गुजरात	143
13	हरियाणा	1171
14	हिमाचल प्रदेश	51
15	जम्मू और कश्मीर	24
16	झारखंड	207
17	कर्नाटक	319
18	केरल	77
19	मध्य प्रदेश	597
20	महाराष्ट्र	687
21	मणिपुर	5
22	मेघालय	6
23	मिजोरम	1
24	नागालैंड	2
25	ओडिशा	97
26	पुडुचेरी	11
27	पंजाब	313

क्रम सं.	राज्य	कुल
28	राजस्थान	815
29	सिक्किम	2
30	तमिलनाडु	308
31	तेलंगाना	167
32	त्रिपुरा	6
33	उत्तर प्रदेश	11636
34	उत्तराखंड	266
35	पश्चिम बंगाल	309
-	**कुल**	**20,309**

2.9 उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे बड़ी संख्या में शिकायतों में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ पुलिस की उदासीनता शामिल है। निम्न तालिका शीर्ष दस श्रेणियों को संकेत करती है जिनमें सबसे अधिक मामले हैं:

दस शिखर वर्ग जिसमें शिकायतें दर्ज की गई

क्रम सं.	वर्ग	शिकायतों की संख्या
1	गरिमा के साथ जीवन यापन	5061
2	दहेज उत्पीड़न/विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	3963
3	घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा	3369
4	महिलाओं के खिलाफ पुलिस उदासीनता	1968
5	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1474
6	महिलाओं की इज्जत का हनन/छेड़छाड़	1449
7	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	458
8	विवाह/सम्मान अपराधों में विकल्प का अधिकार	432
9	दहेज हत्या	388
10	यौन उत्पीड़न	368

2.10 प्राप्त शिकायतों के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तरी राज्यों में अधिक शिकायतें हैं। उच्चतम शिकायतों वाले दस राज्यों को नीचे दिखाया गया है:

दस शिखर राज्य जहां से सबसे अधिक शिकायतें पंजीकृत की गई

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल
1	उत्तर प्रदेश	11,636
2	दिल्ली	1957
3	हरियाणा	1171
4	राजस्थान	815
5	बिहार	768
6	महाराष्ट्र	687
7	मध्य प्रदेश	597
8	कर्नाटक	319
9	पंजाब	313
10	पश्चिम बंगाल	309

__टिप्पण:__ विविध/गैर–अधिदेश शिकायतों/पृष्ठांकनों को शामिल नहीं किया गया है।

महिला जन सुनवाई

2.11 शिकायतों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी और शीघ्रता और प्रभावी रूप से इनका निपटान करने के संबंध में विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला विधिक प्राधिकरण और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अगस्त, 2016 से एक पायलट परियोजना ''महिला जन सुनवाई'' आरंभ की है। वित्तीय वर्ष, 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न जिलों में 10 महिला जन सुनवाइयां आयोजित की। इन जन सुनवाइयों की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की जाती है। मामलों की स्थल पर ही सुनवाई करके कई शिकायतों को निपटाया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान जन सुनवाइयों में जिन मामलों को निपटाया गया है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

क्रम सं.	जिला/राज्य	दिनांक	निपटाए गए मामलों की सं.
1	इंदौर, मध्य प्रदेश	10.06.2019	14
2	फरीदाबाद, हरियाणा	14.06.2019	27
3	कार्यालय पुलिस महानिदेशक, भुवनेश्वर, ओडिशा	28.06.2019	8
4	मुंबई, महाराष्ट्र	28.06.2019	31
5	जयपुर, राजस्थान	05.07.2019	26
6	कानपुर, उत्तर प्रदेश	12.07.2019	38
7	पटना, बिहार	19.07.2019	10
8	पूर्वी दिल्ली	25.07.2019	31
9	बैंगलोर, कनार्टक	26.07.2019	31
10	रायपुर, छत्तीसगढ़	09.08.2019	22
11	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	21.08.2019	18
12	बरेली, उत्तर प्रदेश	28.08.2019	23
13	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	30.08.2019	39

अध्याय–3

अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे

3.1 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति का क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन और परस्पर संबंधों में रूकावटें काफी हद तक कम हो गई है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन तथा शिक्षा कार्य, व्यापार और विवाह के लिए देशांतरण अब सामान्य बात है। भारतीयों के बीच विवाह के लिए एक देश से दूसरे देश में जा कर बसना भी अब एक सामान्य बात है। इसके परिणामस्वरूप समय समय पर ऐसे मुद्दें उठते रहे हैं जिनमें विशेष रूप से अनिवासी भारतीय विवाहों में कम से कम विवाह के पक्षकारों में एक पक्षकार भारतीय नागरिक होता है।

3.2 अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विवादों में इस वास्तविकता के कारण कानूनी जटिलताएं पैदा होती है कि ऐसे विवाह न केवल भारतीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं अपितु इसमें उस देश की कानूनी प्रणाली जहां दूसरी पार्टी जो भारतीय नागारिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जो भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो। ऐसे विवाहों में अलग रहना/विवाह–विच्छेद, भरणपोषण, बच्चों का संरक्षण और उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूनों के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवाद पैदा होते रहते हैं। ऐसे विवाहों में महिलाओं की कमजोर स्थिति जैसे कि घरेलू हिंसा, परित्याग, एकपक्षीय विवाह–विच्छेद, विदेशी न्यायालयों की डिक्री के माध्यम से बच्चों का संरक्षण और पत्नी और बालकों का भरणपोषण न करना जैसे विभिन्न रूपों में प्रकट होती है।

3.3 अप्रैल 2009 में भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विभिन्न सहयोगियों के समन्वय प्रयासों के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया। दिनांक 24 सितंबर, 2009 को आयोग ने एक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की। एनआरआई विवाह संबंधी मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए 2019–2020 के दौरान आयोग द्वारा प्रकोष्ठ को और मजबूत किया गया है।

3.4 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को सौंपे गए मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

i ऐसी भारतीय महिलाओं, जिनका अनिवासी भारतीय/विदेशी पतियों ने परित्याग कर दिया है, से शिकायतें प्राप्त करना, उन पर कार्यवाही करना और ऐसी शिकायतकर्ताओं को हर संभव सहायता प्रदान करना। इसमें पक्षकारों के बीच सुलह/मध्यस्थता करना, कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करना, बाहर के मिशन/दूतावासों के साथ इन मामलों को उठाना, विभिन्न सहयोगियों, राज्य सरकारों, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में पुलिस प्राधिकारियों, एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए., संबंधित मंत्रालयों और भारत और विदेश में गैर–सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करना। शीघ्र कार्रवाई किए जाने को ध्यान मे रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों से उन्हें भेजे गए मामलों के संबंध में ''की गई कार्रवाई रिपोर्ट'' मंगाई जाती हैं।

ii आयोग के ध्यान में लाए गए किसी मुद्दे पर स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेना।

iii मध्यस्थता नीति के लिए आयोग के पास पंजीकृत मामलों के डाटा बैंक/अभिलेख को बनाए रखने का प्रयास करना।

iv अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न सहयोगियों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन को जागरूक करने के लिए उचित प्रशिक्षण माड्यूल बनाने का प्रयास करना और आम जनता के बीच जागरूकता लाना।

3.5 सेवाओं के अंतर–अभिकरण अभिसरण और विभिन्न सहयोगियों जैसे पुलिस, मंत्रालयों, भारतीय दूतावासों और विदेशों में हमारे मिशन तथा स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोग शिकायतों के निवारण को सहज बनाता है। आयोग, व्यथित महिलाओं की सहायता विदेश मंत्रालय की योजना अर्थात् 'विदेशी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता'' के अधीन प्रदान की गई सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। विदेश मंत्रालय की इस योजना को सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आयोग भारतीय मिशन के साथ इन मामलों को उठाता है और यह अनुरोध करता है कि वे पीडित महिलाओं के साथ संपर्क करें और उन्हें सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूरत के अनुसार कोई अन्य सहायता प्रदान कराए। आयोग से जारी किए गए समनों और वारंटों या उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों और अन्य सुसंगत विषय पर जहां कहीं और जब कभी भी आवश्यक हो, गृह मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के साथ भी पत्र व्यवहार करता है।

3.6 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पूरे देश से और विदेशों में भी निवास कर रही महिलाओं से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती है। नीचे दी गई सारणी में 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक पंजीकृत शिकायतों के राज्य वार ब्यौरे संक्षेप में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पंजीकृत अनिवासी भारतीय मामले

क्रम सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	1
2	आंध्र प्रदेश	39
3	असम	1
4	बिहार	6
5	चंडीगढ़	13
6	छत्तीसगढ़	3
7	दिल्ली	50
8	गुजरात	36

क्रम सं.	राज्य	शिकायतों की संख्या
9	हरियाणा	44
10	हिमाचल प्रदेश	5
11	जम्मू और कश्मीर	7
12	झारखंड	5
13	कर्नाटक	37
14	केरल	19
15	मध्य प्रदेश	14
16	महाराष्ट्र	47
17	ओडिशा	5
18	पुडुचेरी	0
19	पंजाब	60
20	राजस्थान	19
21	सिक्किम	1
22	तमिलनाडु	50
23	तेलंगाना	53
24	उत्तर प्रदेश	75
25	उत्तराखंड	6
26	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	**608**

3.7 अनिवासी भारतीय विवाहों के मामले में भारत में रह रही पीडित महिलाओं से अधिकतर शिकायतें निम्न विषयों पर प्राप्त हुई हैं:

i परित्याग;

ii पति और ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न;

iii विवाह–विच्छेद और बालक संरक्षण पर विदेशी न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय;

iv पति/ससुराल वालों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को बलपूर्वक कब्जे में लेना;

v शिकायतकर्ता को पति का पता/स्थान के बारे में जानकारी न होना;

vi पति द्वारा देश छोड़ने के बारे में शिकायतकर्ताओं की आशंका;

vii शिकायतकर्ता और उसके बालकों का भरणपोषण;

viii विदेश में कानूनी दस्तावेजों की तामीली।

3.8 विदेश में रह रही महिलाओं से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वे व्यापक रूप से निम्नलिखित से संबंधित हैः

i परित्याग;

ii पति और ससुराल के व्यक्तियों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न;

iii पति/ससुराल के व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को जबरदस्ती कब्जे में लेना;

iv पति द्वारा आरंभ किए गए विवाह—विच्छेद या बाल संरक्षण से संबंधित मामलों का न्यायालय में प्रतिवाद करने के लिए सहायता न मिलना;

v पति द्वारा शिकायकर्ता के विरूद्व घरेलू हिंसा के मिथ्या मामलें फाइल करना;

3.9 दिनांक 31.12.2017 के विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. ओ.आई.—19013/268/2017/ ओआईए—आईआईसी द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) का गठन किया गया जिसमें सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अध्यक्ष के रूप में और सदस्य—सचिव, रा.म.आ., संयुक्त सचिव, एमडब्ल्यूसीडी, संयुक्त सचिव, गृह, गृह मंत्रालय (एमएचए), संयुक्त सचिव (ओआईए—II)), विदेश मंत्रालय (एमईए), संयुक्त सचिव (विधिक), विधि और न्याय मंत्रालय, संयुक्त सचिव (विदेशी) गृह मंत्रालय, उप सचिव एमडब्ल्यूसीडी को एकीकृत नोडल सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। आईएनए, अवेक्षण परिपत्र (एलओसी) को जारी करने, पासपोर्ट जब्त करने और अनिवासी भारतीय विवाहों, आदि से पीडित महिलाओं के मुद्दों को हल करने के लिए कानूनों के संशोधन से संबंधित, मुद्दों पर कार्यवाही करता है।

3.10 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019—2020 के दौरान एनआरआई विवाहों से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में सफलता हासिल की है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, उस मामले में जहां शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आयोग की सहायता मांगी थी, जो भारत में शिकायतकर्ता को छोड़कर यूएसए गए थे। आयोग ने वर्तमान मामले को भारत के महावाणिज्य दूतावास, सैन फ्रांसिस्को के साथ शिकायतकर्ता को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। विभिन्न प्रयासों के बाद, आयोग को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ सुलह कर ली थी।

3.11 एक अन्य मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने यूएसए में अपने छोटे से प्रवास के दौरान उसकी 2 साल की बेटी को बिना बताए ले लिया। इसलिए, उसने अपने बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आयोग की सहायता मांगी थी। आयोग ने वर्तमान मामले को विभिन्न हितधारकों जैसे कि पुलिस आयुक्त, सूरत शहर का सहयोग; विदेश मंत्रालय और भारत के महासचिव, अटलांटा का सहयोग लिया। आयोग के प्रयासों और विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय के बाद, आयोग को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता सुरक्षित रूप से 19 फरवरी, 2020 को अपनी बेटी के साथ भारत पहुंची थी।

3.12 राष्ट्रीय महिला आयोग में एनआरआई सेल की स्थापना के 10 वर्षों के सफलतापूर्वक पूरे होने पर, आयोग द्वारा पंजाब स्कूल ऑफ लॉ और राष्ट्रीय महिला केंद्र, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के सहयोग से 'एनआरआई विवाह और संबंधित मुद्दे'' विषय पर 27 सितंबर, 2019 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। जिससे प्रभावित एनआरआई भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार—विमर्श किया गया।

अध्याय–4

स्वप्रेरणा से घटनाओं/मामलों का संज्ञान

4.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग मीडिया रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन न करने के आधार पर मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। संबंधित अधिकारियों से ये रिपोर्टें मांगी जाती हैं, हालांकि, एक महिला के खिलाफ किए गए जघन्य प्रकृति के अपराध के मामलों में, आयोग जाँच समिति/जांच दल का गठन करता है और अपराध में कथित रूप से शामिल उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें/निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

4.2 ऐसे मामलों की संख्या, जहां आयोग द्वारा 2019–20 के दौरान जहां से संज्ञान लिया जहां जांच समिति/जांच दल का गठन किया और जिन मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा जिन मामलों को बंद कर दिया गया है, की संख्या नीचे दी गई है:

संज्ञान लिए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों जिनमें की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है (पुरानी और नई)	बंद किए गए मामलों की संख्या	स्व प्रेरणा मामलों में गठित जांच समिति/तथ्य पता लगाने वाले दल
206	365	136	15

4.3 उन मामलों का, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतः संज्ञान लिया है और जांच समिति/ जांच दलों का गठन किया है, उन्हें नीचे दिया गया हैं।

4.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए शीर्षक, ''दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, वीडियो वायरल होता है", जो दिनांक 08.05.2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। आयोग ने मामले की जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया था और बाद में चार्जशीट दायर होने के बाद मामले को बंद कर दिया गया था।

4.5 हिंदुस्तान टाइम्स में दिनांक 07.06.2019 को प्रकाशित ''महिलाओं केसाथ बलात्कार का विरोध करने के लिए आग लगाई गई, बिहार में मौत हो गई'' के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मामले में पूछताछ के लिए एक जांच समिति का गठन किया था।

4.6 हिंदुस्तान टाइम्स के दिनांक 28.06.2019 में प्रकाशित "बिहार में पार्षद द्वारा बलात्कार करने के प्रयास का विरोध करने के लिए अपमानित, 2 महिलाओं के साथ मारपीट'', छेड़छाड़ के आरोप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें यह बताया गया कि एक 48 वर्षीय महिला और उसकी नव विवाहित 19 वर्षीय बेटी को बिहार के वैशाली में एक स्थानीय वार्ड पार्षद द्वारा बलात्कार के प्रयास का विरोध करने के लिए कथित रूप से दंडित किया गया था। आयोग ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया और संबंधित अधिकारियों को उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सुझाव दिए।

4.7 दिनांक 28.07.2019 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने शीर्षक ''बलात्कार पीडिता ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया और स्वयं को जयपुर थाने में आग लगाई'' का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

4.8 राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की घटना के बारे में स्वतः संज्ञान लिया जिसने 2017 में विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। यह भी बताया गया कि उसका वकील गंभीर रूप से घायल था। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मामले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। इसके साथ ही, आयोग द्वारा दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था, और बाद में मामला बंद कर दिया गया था।

4.9 राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट, ''चुनाव के दो दिन बाद ही यूपी बार काउंसिल प्रमुख की आगरा कोर्ट के अंदर दिनांक 12.06.2019 को गोली मारकर हत्या'' कर दी, जो कि विभिन्न मीडिया स्रोतों में प्रकाशित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि नव–निर्वाचित उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्षा की आगरा कोर्ट के परिसर के अंदर कथित तौर पर दूसरे वकील द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आयोग ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद इसे सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था।

4.10 राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स शीर्षक का स्वतः संज्ञान लिया। ''कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए पांच लोगों को पकड़ा जाना"। आयोग के एक सदस्य ने दिनांक 08.07.2019 को मैंगलोर का दौरा किया और उत्तरजीवी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। आयोग ने संबंधित प्राधिकरणों के मामले में संज्ञान लिया। जांच जल्द ही आयोग के हस्तक्षेप के साथ न्यायालय में जांच शुरू हुई और बाद में उत्तरजीवी को न्याय मिला।

4.11 राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स शीर्षक का स्वतः संज्ञान लिया। ''बिहार घर से दुर्व्यवहार, बलात्कार, अब कार में सामूहिक बलात्कार", दिनांक 16.09.2019 को कई राष्ट्रीय दैनिकों में छपा, जिसमें यह बताया गया कि एक महिला, जो एक मुजफ्फरपुर आश्रय गृह की एक महिला की मित्र थी उसका एक कैदी ने पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर में चलती गाड़ी में चार लोगों के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। आयोग ने एक जांच समिति गठित की और अदालत में आरोप पत्र दायर होने के बाद मामला बंद कर दिया गया था।

4.12 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 14.11.2019 को टाइम्स ऑफ इंडिया पर मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया, ''36 वर्षीय आश्रय गृह की मित्र को कार में जबरदस्ती रखा, सामूहिक बलात्कार किया गया"। बताया गया कि कोलकाता के पंचाशयर में आश्रय सुविधा से अपहरण होने के बाद 36 वर्षीय मिर्गी के रोगी का कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था।

4.13 राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया मीडिया रिपोर्ट दिनांक 21.01.2020 पर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, ''आईपीएस अधिकारी जवान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं"। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, आयोग ने इस मामले की जाँच करने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया था, जो इस घटना की परिस्थितियों के बारे में आकलन करेगी।

4.14 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 09.02.2020 को इंडिया टुडे में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, ''उन्होंने हम पर हस्तमैथुन कियाः दिल्ली की गार्गी कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि पुरुषों के समूह ने बलपूर्वक प्रवेश किया, लड़कियों को पकड़ा और उत्पीड़न किया"। इस तथ्य की जांच के लिए आयोग ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले दिन कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों से बातचीत की। आयोग के साथ, दिल्ली पुलिस ने भी निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए मामला उठाया।

अध्याय–5

नीति, निगरानी और अनुसंधान

5.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य बातों के साथ–साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नति और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करता है। आयोग द्वारा या अन्य भागीदार संस्थाओं के माध्यम से कराए गए ऐसे अध्ययनों से महिलाओं की उन्नति और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी प्रभावी भागीदारी में अड़चन डालने वाले कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। आयोग का नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ (पीएमआरसी) द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार से होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों का अन्वेषण करने के लिए उन्नति और शिक्षा संबंधी अनुसंधान से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। ऐसे अध्ययनों से रूकावटों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति बनाने की सिफारिश करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग ने महिलाओं की नीरसता और व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों के लिए जिम्मेदार बातों का विश्लेषण करने से संबंधित कई क्रियाकलापों, जिसमें सेमिनार और कार्यशालाएं तथा अनुसंधान अध्ययन भी शामिल हैं, के लिए वित्त पोषण किया है। ये क्रियाकलाप विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी में आरंभ किए गए हैं।

5.2 जिन विषयों पर शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, वे इस प्रकार हैं:

(1) शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण।

(2) जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण की नीतियों का मूल्यांकन।

(3) डायन प्रथा: विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में।

(4) प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध।

(5) साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन/पालन किया गया।

(6) कामकाजी महिला: भारत में रोजगार के नए रूप।

(7) महिला और श्रम कानून।

(8) भारत में असंगठित क्षेत्रों में वेतन विसंगतियां

(9) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियाँ।

(10) भारत में महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा: कानून का प्रभाव और इसका कार्यान्वयन।

(11) आत्मरक्षा: शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम गतिविधि में उपयोगिता और इसका महत्व।

(12) भारत में महिलाओं में बांझपन और मानसिक कल्याण।

(13) मासिक धर्म स्वच्छता–ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में जागरूकता।

(14) गंदी बस्ती क्षेत्र में रहने वाली पत्नियों द्वारा शराबी पतियों के मानसिक स्वास्थ्य और उससे बचने की रणनीति।

(15) संगठित क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव।

(16) असंगठित क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव।

(17) संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं।

5.3 व्यापक विषय जिनके आधार पर संगोष्ठी के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे; निम्नलिखित हैंः–

(1) उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण।

(2) शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से महिला सशक्तीकरण।

(3) भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी।

(4) लिंग जागरूकताः मुद्दे और चुनौतियां।

(5) भारत की उच्च शिक्षा में महिला और लैंगिक समानताः मुद्दे और चुनौतियाँ।

(6) मेडिकल और पैरामेडिकल संगठनों में लिंग संवेदनशीलता।

(7) लिंग और हिंसा।

(8) महिलाओं का भावनात्मक दुर्व्यवहार

(9) घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य एजेंसियों की भूमिका।

(10) कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न।

(11) भारत में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएँ।

(12) श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियाँ।

(13) महिला और श्रम कानून।

(14) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों और विषम क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध।

(15) महिलाओं के खिलाफ प्रौद्योगिकी और अपराध।

(16) महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित कानून।

(17) आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा।

(18) यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रियाः नीतिगत सुधार के लिए उपाय।

(19) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (पीओएसएच अधिनियम 2013)।

(20) महिलाओं के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

(21) महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर जागरूकता उत्पन्न करना।

(22) मासिक धर्म स्वच्छता।

(23) लिंग और मीडियाः प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियां।

5.4 आयोग ने सेमिनार आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किया था। अच्छी प्रतिक्रियाएं थीं, और 2863 संगठनों और शोधकर्ताओं ने सेमिनार आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए आवेदन किया। प्रस्तावों की जांच के बाद, आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए 85 सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं और 17 अनुसंधान अध्ययन को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों और अनुसंधान अध्ययन के संचालन के लिए चुने गए संगठनों और विषयों की सूची क्रमशः **अनुबंध– IV** और **V** पर है।

5.5 पिछले वर्ष 2018–2019 में स्वीकृत किए गए कुछ अनुसंधान अध्ययन, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान पूरे किए गए थे। विवरण निम्नवत हैं:

(1) ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास हेतु भारतीय शोध केंद्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ द्वारा "महिला गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहनः पंजाब के दो जिलों में अध्ययन" पर अनुसंधान अध्ययन।

(2) ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी, दिल्ली द्वारा आयोजित "आर्थिक हिंसा का अर्थः इसकी गतिशीलता पर एक अध्ययन एवं उसका महिलाओं पर प्रभाव" पर अनुसंधान अध्ययन।

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल द्वारा "भारत के शहरी स्लम निवासियों के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा" पर शोध अध्ययन।

(4) स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, ''मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन" द्वारा "कर्नाटक में महिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति" पर अनुसंधान अध्ययन।

(5) भारतीदासन यूनिवर्सिटी कॉलेज, पेरम्बलुर, तमिलनाडु द्वारा "आर्थिक विकास एवं खेती की कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतियों पर आर्थिक अनुसंधान" पर अनुसंधान अध्ययन।

(6) आंध्र लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश द्वारा "ग्रामीण और शहरी महिलाओं पर डिजिटल भारत का प्रभावः आंध्र प्रदेश में एक तुलनात्मक अध्ययन" पर अनुसंधान अध्ययन।

(7) साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी आदिम जाति के लिए रांची, झारखंड द्वारा ''भारत के चयनित पांच राज्यों में मानव तस्करी (महिला और बाल) पर सरकार और स्वयंसेवी संगठन के लिए गतिशीलता, वर्तमान प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय अवसर'' पर अनुसंधान अध्ययन।

(8) रिसर्च इंस्टीट्यूट राजगिरी कॉलेज, एर्नाकुलम, केरल द्वारा "केरल में बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल से संबंधित मुद्दे" पर अनुसंधान अध्ययन।

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा "उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महिलाओं के खिलाफ भेदभावः भारत में कक्षा I और II टियर शहरों का सर्वेक्षण" पर अनुसंधान अध्ययन।

(10) धर्मगिरिजीवास सोशल सेंटर, कन्नूर, केरल द्वारा "बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल से संबंधित मुद्दों (स्वास्थ्य वितरण और केरल में वृद्ध महिलाओं द्वारा इसके उपयोग का आकलन) पर अनुसंधान अध्ययन"।

अध्याय–6

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

6.1 महिलाओं की संपूर्ण क्षमताओं के विकास और वृद्धि के लिए वातावरण बनाना एक पूर्व अपेक्षा है। लैंगिक दृष्टिकोण एवं जागरुकता सृजन को ध्यान में रखते हुए इसके लिए उचित नीतियां और कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। इस समय आयोग द्वारा अगले पैराओं में दिए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

6.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से महिलाओं को सशक्त करने और हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं की सहायता करने के लिए एक पायलट परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के अधीन सभी जिलों में हिंसा से पीडित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक–कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। 17 सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से जुड़े अपराध विरोधी महिला (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठों में काम कर रहे हैं। इन प्रकोष्ठों के काम की प्रगति की निगरानी टीआईएसएस द्वारा की जाती है और आयोग द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पायलट परियोजना को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जारी रखने के लिए बढ़ाया गया है। वर्ष 2019–2020 के दौरान, उनके कामकाज की समीक्षा के हिस्से के रूप में, दिल्ली में 15 अपराध विरोधी महिला प्रकोष्ठों के खिलाफ आयोग के विभिन्न सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसके आधार पर पायलट प्रोजेक्ट को आगे की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया था।

6.3 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन 7 राज्यों– बिहार, असम, मेघालय, पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में कुल 22 जिलों में टीआईएसएस के सहयोग से महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ पर आधारित एक और परियोजना लागू की है। परियोजना घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए समर्थन तंत्र को बढ़ावा देती है और पुलिस/आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर एक व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बीच समझौता ज्ञापन परियोजना को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पायलट परियोजना को जारी रखने के लिए बढ़ाया गया है।

6.4 आयोग ने दिनांक 5 फरवरी, 2020 को दो पायलट परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए टीआईएसएस के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें से एक दिल्ली पुलिस के साथ और दूसरी 7 राज्यों में 7 फरवरी को हुई। प्रगति रिपोर्ट टीआईएसएस द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें दो पायलट परियोजनाओं के तहत 8 राज्यों में से प्रत्येक के लिए अलग से कामकाज और उपलब्धियों का विवरण दिया गया था। प्रगति रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रत्येक राज्य में पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लागू किए गए थे। इसलिए, आयोग ने संबंधित राज्य सरकार के नियमित कार्यक्रम के रूप में पायलट परियोजना

के संस्थागतकरण के लिए विशेष सिफारिशें कीं। सिफारिशों में 8 राज्यों में से प्रत्येक के मुख्य सचिव को परियोजना को संस्थागत बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

6.5 आयोग ने एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को सुविधा देने और राहत देने के अपने प्रयास में, एसिड अटैक के प्रत्येक मामले में प्रगति की निगरानी जारी रखी, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) ने अपनी वेबसाइट पर इसे दिया हुआ है। एसिड अटैक मामलों के बारे में डेटा राज्य नोडल अधिकारी द्वारा एमआईएस पर अद्यतन/अपलोड किया जाता है, जिसका विश्लेषण (i) मामलों का समय–समय पर अद्यतन किया जाता है, (ii) मुआवजे का भुगतान और मुआवजे की मात्रा, (iii) आगे के चिकित्सा सहायता की आवश्यकता और चार्जशीट व अभियोजन दायर करने में प्रगति के लिए किया जाता है।

6.6 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक मामले के संबंध में इन मापदंडों पर आयोग की टिप्पणियों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित मुख्य सचिव को मई–जून 2019 में सूचित किया गया है। नवंबर 2019 में एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई थी। जिसमें देश में एसिड हमले के मामलों की स्थिति को दिखाया गया है। वर्ष के दौरान एमआईएस पर अपलोड किए गए मामलों की संख्या 971 हो गई है।

6.7 आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों को दिनांक 09.07.2019 को पत्र लिखा है, जिसमें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर आम कार्य योजना पर उनके द्वारा आगे की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। वर्ष 2007 के डब्ल्यूपी (सिविल) 659 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय– पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम यूओआई और अन्य, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की थी कि सभी राज्य सरकारें इन सिफारिशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगी।

अध्याय–7

पूर्वोत्तर क्षेत्र में की गई पहल

7.1 पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं के विकास और उनके कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी का प्रचार करने के लिए कई क्रियाकलाप आयोजित करता है। इसके अलावा यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अधिनियमों, संहिताओं, रूढियों और परिपाटियों की समीक्षा यह निर्धारण करने के आशय से करता है कि महिलाओं के कानूनी और अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

7.2 राष्ट्रीय महिला आयोग विशेष रूप से दिल्ली और भारत के अन्य मेट्रो शहरों में रहने वाले उत्तर पूर्व क्षेत्र से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ–साथ कानून और कानूनी साधनों को कैसे लागू करना है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उनके खिलाफ अपराधों का मुकाबला किया जा सके। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर पूर्व के महिला छात्रों के लिए दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जागरूकता के साथ–साथ दिल्ली में क्षेत्रीय बहुलतावाद के संदर्भ में सह–अस्तित्व के समान अधिकार को शामिल करना है।

7.3 आउटरीच कार्यक्रम निम्नलिखित कॉलेजों में आयोजित किया गया था:

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	भागीदारी/संख्या	कार्यक्रम की तिथि
1.	मिरांडा हाउस	100 से अधिक छात्र	28/08/2019
2.	गार्गी कॉलेज	100 से अधिक छात्र	22/10/2019
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर	200 से अधिक छात्र	05/11/2019

7.4 आयोग ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को मिज़ोरम विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के सहयोग से आइजोल में ''उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था।

7.5 आयोग ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक पारस्परिक बैठक सत्र आइजोल में राज्य महिला आयोग के साथ की गई।

7.6 आयोग ने महिला अध्ययन केंद्र, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम के सहयोग से 25 फरवरी, 2020 को "चुड़ैल शिकार की रोकथाम और उन्मूलन" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था।

7.7 राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऑनलाइन प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना दी थी, जिसमें आयोग ने उत्तर पूर्व क्षेत्र से सेमिनार और अनुसंधान अध्ययन के लिए कुल 178 प्रस्ताव प्राप्त किए थे। विशेषज्ञ समिति द्वारा ऑनलाइन प्रस्तावों की जांच की गई और बाद में, आयोग ने उत्तर पूर्व राज्यों में वर्ष 2019–2020 के लिए संगोष्ठी के आयोजन के लिए 21 संस्थानों और संगठनों को वित्तीय अनुदान दिया था। वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए आयोग द्वारा दो अनुसंधान अध्ययनों को मंजूरी दी गई।

अध्याय–8

महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

8.1 आयोग के आदेश को ध्यान में रखते हुए, क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ महिलाओं और लड़कियों के कल्याण और समग्र भलाई को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विभिन्न स्तरों पर विधिक जागरूकता और लिंग संवेदीकरण पर कार्यक्रम आयोजित करता है और इस तरह उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण में योगदान को मजबूत करता है। आयोग में क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के कार्य निम्नलिखित हैं:

i. कमजोर महिलाओं के हितों के प्रति लगातार उदासीनता से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए सभी पहलों को समन्वित करना।

ii लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को लिंग विशिष्ट ज्ञान/प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित गतिविधियाँ। (लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम)

iii. जांच कर्मियों, पुलिस न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

iv. कार्यशालाओं, सम्मेलनों, सेमिनारों, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, छात्रों, कानूनी बिरादरी के सदस्य, कॉरपोरेट्स, गैर–सरकारी संगठन और विभिन्न अन्य हितधारकों को शामिल करना।

v. भारत के सूक्ष्म उद्यमियों खासकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संभालने के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम।

vi. जागरूकता पैदा करने और लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से कॉलेजों/विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए महिलाओं से संबंधित कानूनों पर प्रतियोगिता।

vii. स्कूली छात्रों के लिए महिलाओं से संबंधित लिंग संबंधी कानूनों और मुद्दों पर प्रतियोगिता।

viii. महिलाओं के लिए राज्य आयोगों के साथ बातचीत और मार्ग दर्शन करना।

पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यशाला

8.2 राष्ट्रीय महिला आयोग पुलिस कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए देश भर में एक दिवसीय लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें लैंगिक मुद्दों पर पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है, ताकि वे लिंग आधारित पीड़ित महिलाओं और महिलाओं के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए उन्हें बिना किसी भेदभाव के काम करने में सक्षम बना सकें।

8.3 आयोग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राज्य पुलिस विभागों के साथ मिलकर एक दिवसीय अनुसूची में दी गई कुल 11 लिंग संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया थाः—

क्रम सं.	राज्य	दिनांक
1.	इंदौर, मध्य प्रदेश	07.07.2019
2.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	06.08.2019
3.	बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	21.08.2019
4.	गंगटोक, सिक्किम	19.08.2019
5.	इंफाल, मणिपुर	22.08.2019
6.	गांधीनगर, गुजरात	27.08.2019
7.	चंडीगढ़, पंजाब	16.09.2019
8.	मुंबई, महाराष्ट्र	23.09.2019
9.	पटना, बिहार	27.09.2019
10.	हरिद्वार, उत्तराखंड	30.09.2019
11.	जयपुर, राजस्थान	30.09.2019

राज्य पुलिस अकादमी का क्षमता निर्माण कार्यक्रम

8.4 वर्ष 2015 से, विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला पुलिस अधिकारियों के लिए तीन दिन की क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए धन मुहैया करा रहा है, जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कार्यशालाओं का आयोजन राज्य पुलिस अकादमी के सहयोग से किया गया था। आयोग आईएनआर की लागत पर तीन—दिवसीय कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रति कार्यशाला 3 लाख रूपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। प्रशिक्षण आमतौर पर राज्य पुलिस अकादमी द्वारा अपने संबंधित परिसरों में किए जाते हैं।

8.5 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2019—2020 की अवधि के दौरान कुल 11 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं:

क्रम सं.	राज्य	दिनांक
1.	मैसूर, कर्नाटक	17 से 19 सितंबर, 2019
2.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	11 से 13 सितंबर, 2019
3.	पुदुच्चेरी	18 से 20 सितंबर, 2019
4.	दिल्ली	23 से 25 अक्तूबर, 2019
5.	अरूणाचल प्रदेश	16 से 18 अक्तूबर, 2019

क्रम सं.	राज्य	दिनांक
6.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	21 से 23 अक्तूबर, 2019
7.	अगरतला, त्रिपुरा	04 से 06 नवंबर, 2019
8.	भुवनेश्वर, उड़ीसा	13 से 15 नवंबर, 2019
9.	गंगटोक, सिक्किम	20 से 22 नवंबर, 2019
10.	चंडीगढ़, पंजाब	20 से 22 नवंबर, 2019
11.	जयपुर, राजस्थान	03 से 05 दिसंबर, 2019

राज्य महिला आयोग के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

8.6 राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए राज्य आयोग के साथ मिलकर काम करता है। आयोग राज्य आयोग के साथ नियमित बैठक, परामर्श और प्रशिक्षण का आयोजन करता है, जिसमें लिंग संवेदीकरण, महिलाओं के अधिकार, समस्याओं, महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और राज्य आयोग के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, उत्तराखंड (एलबीएसएनएए) के सहयोग से, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिलाओं के लिए राज्य आयोगों के बीच अच्छा समन्वय बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में, आयोग द्वारा 2019 में राज्य आयोगों के प्रभारी के लिए दो क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यशाला तीन दिनों के लिए आयोजित की गई थी। कार्यशालाओं का प्रथम बैच 19 से 21 जून, 2019 और द्वितीय बैच 29 से 31 जुलाई, 2019 तक था।

8.7 तीन दिनों के कार्यक्रम के दौरान क्षमता निर्माण प्राप्त करने वाले राज्य आयोगों से प्रतिभागी और पदाधिकारी थेः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तीन दिनों के कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषय पाठ्यक्रम सत्र में शामिल थेः

i. लिंग, पितृसत्ता, पुरुष और पुरुषत्व

ii. महिलाओं से संबंधित कानून

iii. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने में चुनौतियां

iv. लिंग से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों का दृष्टिकोण

v. महिलाओं और लड़कियों के लिए आयोगः अभिसरण के लिए चुनौतियाँ और संभावनाएँ

vi. उत्तरजीवी से निपटने के दौरान गैर—मौखिक संचार का महत्व

vii. मीडिया और सार्वजनिक रिपोर्टिंग से निपटना

viii. आयोग का मार्गदर्शनः भविष्य की राह

ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए होमस्टे टूरिज्म पर कार्यशाला

8.8 वर्ष 2018 में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एयरबीएनबी के साथ साझेदारी की है। पहल होमस्टे सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी–सक्षम आजीविका के अवसरों को पैदा करने के लिए कौशल विकास उन्मुख कार्यक्रमों पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले पर्यटन और आतिथ्य उद्यमों के डिजिटल समावेश और निर्माण को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करना था; जिससे स्व–रोजगार और अनुपूरक आय हो। वर्ष 2019–2020 में, राज्य के पर्यटन विभाग और महिलाओं के राज्य आयोग के सहयोग से आयोग ने मणिपुर के राज्यों में सेनापति और उखरुल जिला में छह होमस्टे पर्यटन कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया था, गुजरात में नर्मदा और गिर जिला में; और उत्तराखंड में अलमोड़ा और देहरादून जिले में आयोजन हुए। कार्यशाला में कुल 255 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और 78 होस्ट एयरबीएनबी वैश्विक मंच पर लोड किए गये।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला

8.9 राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' पर कार्यशाला का आयोजन आयोग द्वारा 26 और 27 अगस्त, 2019 को मुंबई में किया गया था। कार्यशाला भारत की सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के साथ पंजीकृत बड़े मध्यस्थों एवं सूचीबद्ध कंपनियों की आंतरिक समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए थी। कार्यशाला का आयोजन पीओएसएच अधिनियम/महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विशेष संदर्भ में महिलाओं से संबंधित आंतरिक समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यशाला में इस तरह के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था लैंगिक समानता का महत्व, लैंगिक समानता पर वैश्विक दृष्टिकोण, यौन उत्पीड़न के प्रकार, कारण, प्रभाव और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के उपाय। साथ ही गरिमा के साथ रहने के लिए महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने में आंतरिक समिति के सदस्यों की संरचना, भूमिका और जिम्मेदारी को समझना विषय शामिल थे।

उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर संगोष्ठी

8.10 युवा पीढ़ी के लिए आयोग द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें ''उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण'' पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आर्थिक सशक्तीकरण लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह अंततः लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ता है। आयोग ने एक ही विषय पर तीन सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किए थे। आयोग के 26 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 31 जनवरी, 2019 को पहला आयोजन किया गया था। तमिलनाडु में, इसका आयोजन तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से 2 अगस्त, 2019 को तिरुचिरापल्ली में किया गया था। दिनांक 22 जनवरी, 2020 को आयोग ने जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से जम्मू में संगोष्ठी का आयोजन किया।

साइबर सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के लिए जांच पर सत्र

8.11 आयोग इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई स्तरों पर पुलिस अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। आयोग भी कई जांच अधिकारियों के साथ कई कार्यक्रमों और पारस्परिक सत्रों का आयोजन करता है जैसे पुलिस अधिकारी साइबर अपराध की शिकार महिलाओं को संभालने के लिए उठाए गए दृष्टिकोण पर उन्हें संवेदनशील बनाते हैं। इसे देखते हुए, दिनांक 25 सितंबर, 2019 को आयोग ने 'साइबरसुरक्षा और जांच' पर एक दिवसीय सत्र आयोजित किया था। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास में देश भर में आयोग और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से सत्र का आयोजन किया गया था। सत्र में 87 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें देश भर के विभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल थे।

महिलाओं के लिए राज्य आयोगों के साथ पारस्परिक (इंटरएक्टिव) बैठकें

8.12 आयोग ने दिनांक 3 जून, 30 सितंबर, 17 दिसंबर, 2019 और दिनांक 19 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली, नर्मदा (गुजरात) और आइजोल (मिजोरम) में महिलाओं के लिए राज्य के साथ 4 पारस्परिक (इंटरएक्टिव) बैठकों का आयोजन किया था। पारस्परिक बैठकों में विशिष्ट एजेंडा और विषयों को शामिल किया जाता है: ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, सामाजिक बुराइयों और दहेज प्रथा के मुद्दे, मानव–तस्करी विरोधी, घरेलू कामगारों की सुरक्षा, पहुंच और मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, माताओं के अभिभावक अधिकार, सेमिनार, परामर्श आयोजित करना। महिलाओं से संबंधित कानून की समीक्षा और अनुसंधान पर सिफारिश और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेने के लिए सक्रिय होना, और हिरासत गृह और जेलों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र के लिए लिंग संवेदीकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम

8.13 वर्ष 2019 में, आयोग ने एक व्यापक लिंग संवेदीकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था जो विशेष रूप से युवाओं के लिए बनाया गया था। जागरूकता कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आयोजित किया गया था और दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लक्षित किया गया था। परियोजना केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से की गई थी। पायलट प्रतियोगिता दिनांक 3 अक्तूबर, 2019 को आयोजित की गई थी और केंद्रीय विद्यालय के दिल्ली क्षेत्र में 60 विद्यालयों को शामिल किया गया था।

8.14 कार्यक्रम के अनुसार, आयोग ने दो पुस्तिकाएं तैयार कीं, जिनमें 'महिलाओं के लिए प्रमुख कानून', और 'लिंग संवेदीकरण' विषयों पर लेखन शामिल था, जिस पर प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। सामग्री आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की मदद से बनाई गई थी। पुस्तिका छात्रों और आम जनता के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। परीक्षा में, छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विषय की समझ के लिए परीक्षण किया गया था जो आयोग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तिकाओं पर आधारित थे।

8.15 आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की उपस्थिति में पायलट प्रतियोगिता आयोजित करने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह की मेजबानी की। जिसमें श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, सदस्य, आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी/स्टॉफ शामिल थे। पुरस्कार प्रत्येक स्कूल से शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रदान किया गया था जिन्होंने दोनों मॉड्यूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। समारोह में केंद्रीय विद्यालय प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। समारोह 18 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम

8.16 महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में विधिक जागरूकता प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक देशव्यापी विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समानता, समावेशिता और विविधता के मूल्यों को विकसित करने पर जोर देना है, जो सभी एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, किसी देश के प्रमुख कानूनों का ज्ञान न केवल युवाओं के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है; यह छात्रों के सही मूल्यों, आत्म—अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के निर्माण में भी मदद करेगा।

8.17 उसी के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों और यूजीसी सम विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक दिवसीय देशव्यापी विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जो दिनांक 09.09.2019 के ऑनलाइन परिपत्र के अनुसार जारी किया गया। आयोग ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम के संचालन के लिए मार्गदर्शक कारक के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 103 प्रस्तावों की सिफारिश की है।

भारत में घरेलू कामगारों द्वारा सामना किए गए मुद्दों और चुनौतियों पर परामर्श

8.18 आयोग ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में घरेलू कामगारों के मुद्दों और चुनौतियों पर एक सेमिनार आयोजित किया था। इस सेमिनार में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार—विमर्श किया गया:

i. भारत में घरेलू श्रमिकों के मुद्दों और चुनौतियों को समझना।

ii. नियोजन एजेंसियों के विनियमन और निगरानी के लिए रणनीति तैयार करना।

iii. घरेलू कामगारों के कल्याण और उनकी भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण।

iv. घरेलू कामगारों के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता और कार्यान्वयन।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में 'निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई

8.19 आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के साथ 6 जनवरी, 2020 को सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्षा, रा.म.आ. की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श करना था:

i. निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं के लिए चुनौतियों को समझना।

ii. महिलाओं द्वारा निर्णय लेने को सक्षम करने में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता।

iii. निर्णय लेना और प्रजनन स्वास्थ्य।

चुड़ैल प्रथा की रोकथाम और उन्मूलन के अभ्यास पर संगोष्ठी

8.20 आयोग ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 को रांची, झारखंड में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के सहयोग से "चुड़ैल प्रथा की रोकथाम और उन्मूलन पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भारत में सामाजिक प्रथा के रूप में डायन के खतरे को उजागर किया गया। संगोष्ठी ने निम्नलिखित विषयों पर सफलतापूर्वक विचार–विमर्श किया:

i. स्थानीय लोगों के बीच डायन–शिकार प्रथाओं की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करना।

ii. डायन–शिकार खतरे को रोकने के लिए मौजूदा विधायी ढांचे के उपायों, प्रयोज्यता और कार्यान्वयन के उपाय को खोजने के लिए।

iii. पीड़ितों की चिकित्सा हस्तक्षेप और मौजूदा उपायों के विश्लेषण के लिए समर्थन तंत्र के मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना।

iv. अन्य रणनीतियाँ जैसे कि उनके समुदाय में पीड़ितों के समर्पित पुनर्वास और परामर्श और मानसिक कल्याण के लिए प्रावधान।

दहेज विरोधी प्रतिज्ञा और अभियान

8.21 आयोग ने नागरिकों के लिए बनाई गई प्रतिज्ञा के माध्यम से देश में दहेज विरोधी अभियान शुरू किया था। MyGov India की वेबसाइट पर 3 जनवरी, 2020 को प्रचार प्रसार किया गया। अभियान नागरिकों को दहेज विरोधी शपथ को ऑनलाइन लेकर आंदोलन का सक्रिय हिस्सा लेने की अनुमति देता है। दहेज विरोधी प्रतिज्ञा का उद्देश्य युवाओं को दहेज देने और लेने के आधार पर लिंग भेदभाव से लड़ने के लिए सक्षम और आग्रह करना है। प्रतिज्ञा में दहेज प्रथा के खिलाफ और विवाह संस्था की गंभीरता को बनाए रखने की कसम खाई। जो MyGov वेबसाइट के माध्यम से प्रतिज्ञा ऑनलाइन लेते हैं उन्हें प्रतिबद्धता का एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है।

पॉवर वॉक अभियान

8.22 दिनांक 1 मार्च, 2020 को देश भर में आयोग द्वारा पावर वॉक अभियान का आयोजन किया गया था। पॉवर वॉक एक सामूहिक आंदोलन था जो महिलाओं के लिए 16 राज्य आयोगों के समानांतर आयोजित किया गया था। अभियान का उद्देश्य हर महिला को सार्वजनिक स्थानों पर सुलभता से हर समय पहुंचना, सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले अपराधों से बचना और बचे हुए लोगों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को निंदा से बचाना था। इस तरह के आयोजन को पॉवर वॉक का संचालन करने के लिए देर शाम को समय दिया गया था और अन्य गतिविधियां भी इस आयोजन का हिस्सा थीं, जैसे *"नारी हूं, बेचारी नहीं"* विषय पर नुक्कड नाटक का प्रदर्शन। दिल्ली में, पॉवर वॉक मार्ग इंडिया गेट से जनपथ तक था और छात्रों व आम जनता द्वारा इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। यह अभियान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुदुचेरी के सभी प्रमुख शहरों में चलाया गया और व्यापक रूप से तूफानी ढंग से मीडिया ने सकारात्मक प्रसारण किया। पंजाब राज्य में, पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से पावर वॉक अभियान का आयोजन किया गया था।

महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की सहायता पर परामर्श

8.23 दिनांक 11 मार्च, 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग से शगुन—आधारित उद्यमों की सहायता के लिए प्रभावी तरीकों पर एक परामर्श आयोजित किया गया था। इस परामर्श को एक दिशा—निर्देश जारी करने के लिए तैयार किया गया था। महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के समूहों ने अपने उद्यमों के प्रबंधन में अपनी क्षमता और कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से और नई तकनीक और योजनाओं के साथ अपने उद्यमों की उत्पादकता में सुधार करने में उनकी मदद की।

आयोग द्वारा समर्थित अन्य कार्यक्रम

जानिये भारत कार्यक्रम

8.24 जानिए भारत कार्यक्रम विदेश मंत्रालय की एक पहल है। यह कार्यक्रम भारतीय मूल के विदेशी छात्रों के भारत आने और भारतीय प्रशासन के विभिन्न घटकों को समझने के लिए विशेष भ्रमण का आयोजन करता है। 54 वें 'भारत को जानो कार्यक्रम' के 40 प्रवासी युवा प्रतिभागियों के एक समूह ने 19 अगस्त, 2019 को आयोग के कार्यालय का दौरा किया और आयोग के जनादेश और कामकाज को समझने के लिए अंतर्दृष्टि साझा करने में भाग लिया। भारत को जानो कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। (i) समकालीन भारत के कला, विरासत और संस्कृति के रूपों के विभिन्न पहलुओं के लिए भारतीय मूल के युवाओं को संपर्क प्रदान करेंय (ii) भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), जलवायु और शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.25 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से, दिनांक 5 अगस्त से 23 अगस्त, 2019 के बीच "अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और कार्यस्थल पर लिंग समानता के संवर्धन" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। पाठ्यक्रम सामग्री के एक भाग के रूप में, प्रतिभागियों को अध्ययन यात्राओं के माध्यम से भारत में संगठनों/संस्थानों के भीतर कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अच्छी प्रथाओं के बारे में जानने के लिए एक प्रदर्शन प्रदान किया गया। इसे देखते हुए, कार्यक्रम के 26 प्रतिभागियों के एक समूह ने 22 अगस्त, 2019 को आयोग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बातचीत की और विशेष रूप से लैंगिक संवेदनशीलता में आयोग की भूमिका के बारे में जाना और देश भर में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया।

आयोग में प्रशिक्षु/छात्रों का दौरा

8.26 आयोग के आदेश और कार्यप्रणाली को समझने के लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पारस्परिक (इंटरैक्टिव) बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2019–2020 के दौरान, निम्नलिखित दौरे आयोजित किए गए थे।

i. दिनांक 4 जून, 2019 को 'समर इंटर्नशिप प्रोग्राम' 2019 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 47 प्रशिक्षुओं के एक समूह ने आयोग के आदेश और कामकाज को समझने के लिए आयोग कार्यालय का दौरा किया था।

ii. दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, नई दिल्ली से स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में अध्ययनरत 07 छात्रों के एक समूह ने आयोग के आदेश और कामकाज को समझने के लिए आयोग कार्यालय का दौरा किया।

iii. दिनांक 25 नवंबर, 2019 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान के दुर्गापुर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के 75 छात्रों के एक समूह ने आयोग कार्यालय का दौरा किया था।

अध्याय—9

कानूनी समीक्षा एवं विधिक जागरूकता

9.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, रा.म.आ. अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(घ) के तहत, संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के मौजूदा प्रावधानों की 'समीक्षा' करने के लिए बाध्य है और उपचारात्मक सुझाव देने के लिए संशोधन की सिफारिश करता है। ऐसे विधानों में किसी भी दोष, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए विधायी उपाय सुझाता है। वर्ष 2019—2020 के दौरान कई कानून समीक्षा बैठकें और परामर्श आयोजित किए गए जो नीचे दिए गए हैं:—

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर परामर्श

9.2 आयोग ने महसूस किया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आयोग द्वारा 17 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक दिवसीय परामर्श आयोजित किया गया था। जिसमें न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति जी. रोहिणी (सेवानिवृत्त), कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, और सिविल सोसाइटी समूहों के अन्य प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी रही। यह निर्णय लिया गया कि समीक्षा के विषय पर क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया जाए।

9.3 इसके अनुसार, आयोग ने देश के चार प्रमुख राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के सहयोग से क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए, अर्थात् राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया विश्वविद्यालय, बैंगलोर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की समीक्षा की। इन परामर्शों के दौरान विचार—विमर्श के आधार पर, एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अधिनियम के प्रावधानों और इसके कार्यान्वयन से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।

9.4 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की कानूनी समीक्षा पर समेकित रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिनांक 26 जुलाई, 2019 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 6—05/46/2019/रा.म.आ. (विधि) के तहत भेजा जा चुका है। जिसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को भी अग्रसारित की गई।

9.5 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अग्रेषित अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

i. कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों पर किए गए यौन संबंधों के साथ लिंग आधारित साइबर अपराध को शामिल करने के लिए "यौन उत्पीड़न" के दायरे का विस्तार किया जाए।

ii. आंतरिक समिति में सदस्यों की संख्या एक विषम संख्या हो सकती है ताकि बहुमत का निर्णय/निर्णय लिया जा सके।

iii. शिकायत दर्ज करने के लिए सीमा की प्रारंभिक अवधि को 'तीन महीने' के स्थान पर 'छह महीने' तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में यह अधिनियम तीन महीने की सीमा अवधि प्रदान करता है जिसे केवल लिखित कारणों में आईसी या एलसी द्वारा दर्ज किए गए अन्य तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

महिलाओं के संपत्ति अधिकार पर परामर्श

9.6 आयोग ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की समीक्षा के आधार पर देश के तीन प्रमुख राष्ट्रीय विधि विद्यालयों, जैसे– राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बैंगलोर के सहयोग से क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए। आयोग ने (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर से अतिरिक्त विचार भी प्राप्त किए, इन परामर्शों और प्राप्त इनपुट के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित सिफारिशें शामिल थीं।

9.7 महिलाओं की संपत्ति अधिकारों की कानून की समीक्षा पर समेकित रिपोर्ट महिला और बाल विकास मंत्रालय को 25 सितंबर, 2019 के अर्धशासकीय पत्र सं. 6–05/46/2019/रा.म.आ.(विधि) के तहत भेज दी गई है।

9.8 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैंः–

i. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16, जो हिंदू विवाहित महिलाओं की संपत्ति को अपने पति के उत्तराधिकारियों को सौंपने की अनुमति देती है, उसके उत्तराधिकारियों को समाप्त या उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। वर्तमान में, यहां तक कि एक महिला की स्व–अर्जित संपत्ति भी माता और पिता के प्रति समर्पण करने से पहले अपने पति के उत्तराधिकारियों पर निर्भर करती है। यह आधुनिक न्यायशास्त्र के विपरीत है जहां बेटियां और बेटे अपने माता–पिता को देखभाल के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

ii. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के तहत, विभाजित की जाने वाली वैवाहिक संपत्ति केवल ''संयुक्त'' वैवाहिक संपत्ति की प्रकृति में है, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है। आवश्यक संशोधन, जो पति और पत्नी स्वामित्व से संबन्धित तलाक पर स्व–अर्जित संपत्ति की गारंटी देते हैं, को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 में लाने की आवश्यकता है। शादी के दौरान अर्जित संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार होना चाहिए।

iii. वैवाहिक संपत्ति कानूनों का मसौदा तैयार करने की एक गंभीर आवश्यकता है जो महिलाओं के अधिकारों, उनके दावों, शेयरों को नियंत्रित करता है और शादी के दौरान अर्जित संपत्ति में किसी भी वैध हिस्से के इनकार से बचाता है।

''माता के अभिभावक अधिकारों'' पर परामर्श

9.9 संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के मौजूदा प्रावधानों की 'समीक्षा' करने के अपने जनादेश के मद्देनजर और इसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई है ताकि ऐसे किसी भी कानून में किसी भी कमी, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सकेः राष्ट्रीय महिला आयोग 31 अगस्त, 2019 को "अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण" पर एक परामर्श का आयोजन किया गया ताकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की समीक्षा की जा सके, जिसमें लैंगिक समानता लाने और कानून के तहत माँ के भेदभावपूर्ण अभिभावक अधिकारों को संबोधित करने की दृष्टि से कार्रवाई की जा सके। आयोग को सुश्री पिंकी आनंद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस विषय पर विचार और सिफारिशें प्राप्त करने का पत्र भी मिला। प्रतिभागियों में सीएआरए, एनसीपीसीआर, राज्य महिला आयोग और सम्मानित शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि थे। परामर्श के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर, प्रावधानों से संबंधित सिफारिशों और विशेष रूप से अधिनियम की धारा– 6 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी।

9.10 ''माताओं के लिए संरक्षकता अधिकार'' की कानून समीक्षा की समेकित रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिनांक 27 सितंबर, 2019 और संशोधित रिपोर्ट 24 अक्तूबर, 2019 के अर्ध शासकीय पत्र सं. अर्ध शासकीय पत्र संख्या 6–05/70/2019/रा.म.आ.(विधि) के तहत भेज दी गई है।

9.11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. **माताएं 'प्राकृतिक संरक्षक' के रूप में पिता के समकक्ष रहें:** हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 में 'और/या' के अलावा संशोधन करके कहा जा सकता है कि एक हिंदू नाबालिग के पिता और/या माता प्राकृतिक अभिभावक हैं। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत 'प्राकृतिक संरक्षकता' के संबंध में पिता की अधिमान्य स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कानून यानी "हिंदू, नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक, के संबंध में नाबालिग व्यक्ति के साथ–साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसकी या उसके अविभाजित हितों को छोड़कर) के संबंध में, हैं– (i) एक लड़के या अविवाहित लड़की के पिता के मामले में, और उसके बाद, माँ को "पिता या माँ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह संशोधन भारत के संविधान और सीईडीएडब्ल्यू दिशानिर्देशों में निहित भेदभाव के खिलाफ समानता और अधिकार के सिद्धांत के साथ कानून को संरेखित करेगा।

ii. **प्राकृतिक संरक्षक (नेचुरल गार्जियन) की परिभाषा का विस्तार:** 'नेचुरल गार्जियन' की परिभाषा का विस्तार दादा–दादी, दत्तक माता–पिता को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि बच्चे और आधुनिक पारिवारिक व्यवस्था के सर्वोत्तम हित के अंतर्निहित सिद्धांत को ध्यान में रखा जा सके।

iii. **अवैध 'बच्चे' के लिए खंड को लुप्त करना:** वेडलॉक से पैदा हुए बच्चे के संदर्भ में 'नाजायज' शब्द का उपयोग धारा 6, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 या अधिनियम के तहत किसी अन्य प्रावधान के तहत निकाल दिया जाना चाहिए।

iv. **धारा 6 (ख), हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956,** एक अवैध बच्चे की प्राकृतिक संरक्षकता से संबंधित है अर्थात्

i. एक हिंदू, नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक, नाबालिग व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में और साथ ही नाबालिग की संपत्ति के संबंध में (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसकी अविभाजित रुचि को छोड़कर), हैं–

ii. *एक नाजायज लड़के या एक नाजायज अविवाहित लड़की के मामले में – माँ, और उसके बाद, पिता 'नाजायज' शब्द को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा नाजायज नहीं है और कानून सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए, चाहे वे परिणय सूत्र (वेडलॉक) के भीतर पैदा हुए हों या बाहर।*

v. **संरक्षकता मामलों के त्वरित निपटान के लिए समय सीमा का प्रावधानः** हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1980 एक समय सीमा प्रदान कर सकते हैं जिसके भीतर अभिभावक अधिकारों के बारे में कोई भी विवाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हल किया जाना चाहिए। एक बच्चे की संरक्षकता से न केवल माता–पिता के अधिकारों का पता लगाने के लिए, बल्कि विचार का सबसे महत्वपूर्ण कारक, बच्चे का कल्याण है।

vi. **अन्य अधिनियमों में विसंगतियों का सामंजस्यः** हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत प्रावधानों को किसी भी अन्य अधिनियम, विशेष रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के साथ किसी भी विसंगतियों को खत्म करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

''आपदाओं में महिलाएं और बच्चेः नीति की आवश्यकता'' पर परामर्श

9.12 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 10 के तहत अपने जनादेश के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अति आवश्यक विषय "आपदाओं में महिला और बच्चेः नीति की आवश्यकता" की समीक्षा के लिए एक परामर्श आयोजित किया। परामर्श दिनांक 17.12.2019 को आईआईसी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और मंत्रालयों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य प्रबंधन आयोगों और नागरिक समाज के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

9.13 उपरोक्त विचार–विमर्श के आधार पर, एक समेकित रिपोर्ट दिनांक 24 मार्च, 2020 को एक अर्धशासकीय पत्र द्वारा अग्रेषित की गई है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। कुछ प्रमुख कार्यों और सिफारिशों के बारे में नीचे बताया गया हैः

तत्काल कार्रवाई बिंदुओं पर सहमत हुएः

सभा ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित का समर्थन कियाः

i. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह 2005 के निर्देशों के अनुसार अपनी आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में तेजी लाए।

ii. राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एनडीएमपी 2019, एनपीडीएम 2009 और एनडीएमए के अलग–अलग दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें डीआरआर और आपदा प्रबंधन में महिलाओं के मुद्दों को शामिल करने और उन्हें अपने डीएम योजनाओं में मुख्यधारा में शामिल करने का अनुरोध किया।

सिफारिशें प्रस्तावित:

i. आपदा प्रबंधन को शासन के सभी स्तरों पर विकासात्मक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए – राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय।

ii. आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है, जिसमें छात्रों को जीवन रक्षण कौशल सिखाया जाता है और लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जाता है।

iii. गैर सरकारी संगठनों और महिला एसएचजी के साथ समन्वय को राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा नियमित आपदा तैयारी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

iv. प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए लाइन विभागों और अन्य हितधारकों के लिए भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

v. सतर्कता, निकासी मार्गों और खतरों, जोखिमों और आपदाओं के बारे में सूचना प्रसार के अभिनव तरीके महिलाओं के लिए उन्हें और अधिक सुलभ बनाने के लिए बनाए जाने की आवश्यकता है।

vi. एनडीआरएफ में सभी महिला टीमों को शीघ्रता से स्थापित करने की आवश्यकता है और आपदा प्रतिक्रिया बलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयासों और नागरिक सुरक्षा को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

vii. ग्राम सभा स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी को गंभीरता से करने की आवश्यकता है।

viii. पंचायतें प्रारंभिक चेतावनियों के प्रसार, आपदाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका, आपदा के बाद पुनर्वास और महिलाओं को राहत पहुंचाने और गैर–सरकारी संगठनों को लाने के लिए 'महिला और बाल अनुकूल' एजेंसी बनने में केंद्र बिंदु बन सकती हैं। सीएचजी, सरकार के प्रतिनिधि जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा एक साथ कार्य करें।

ix. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और आजीविका संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

x. महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली कोई भी योजना या नीति उन महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं में मददगार होनी चाहिए जो गर्भवती/स्तनपान कराने वाली, बुजुर्ग, घरों की मुखिया, विकलांग और किशोर हैं।

xi. सामुदायिक भागीदारी सफल आपदा प्रबंधन के लिए आपदा कुंजी का कार्य करती है। जिससे आपदा प्रबंधन में सफलता मिलती है।

xii. पूर्व और बाद की आपदा स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर जमीनी स्तर/जमीनी संगठन के साथ व्यापक सहयोग है।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर पर परामर्श

9.14 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 अक्तूबर, 2019 को माननीय अध्यक्षा, रा.म.आ., की माननीय मंत्री, एमडब्ल्यूसीडी के साथ बैठक के बाद महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) पर प्रचलित कानूनों के प्रभाव की पहचान करने के लिए कामकाजी महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में उन मामलों पर क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए।

9.15 उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग ने गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, असम और तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय परामर्श संबंधित एनएलयू और वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सहयोग से आयोजित करने का निर्णय लिया। संबंधित राष्ट्रीय विधि स्कूलों के सहयोग से परामर्श की तारीखें निम्नलिखित थीं:

i. दिनांक 4 जनवरी, 2019 को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर

ii. दिनांक 18 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय विधि विद्यालय भारत विश्वविद्यालय, बैंगलुरु

iii. दिनांक 6 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी

iv. दिनांक 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय विधि विद्यालय, कटक

v. समापन परामर्श राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जाना था, जिसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया।

'नारी अदालतें'– एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए परामर्श बैठक

9.16 राष्ट्रीय महिला आयोग, एक शीर्ष स्तर की राष्ट्रीय संस्था है, जो महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में देश भर में 'नारी अदालतें' की अवधारणा की खोज कर रही है। इस संबंध में, 31 जुलाई, 2019 को आयोग ने 9 राज्य सरकारों और संबंधित राज्य महिला आयोगों के साथ प्रारंभिक परामर्श आयोजित किया। प्रतिभागियों में श्री के. मोसस चलाई, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्री आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सुश्री शिप्रा रॉय, उप सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्री मिलिंद तोरनवे, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, गुजरात शामिल थे। बैठक का उद्देश्य नारी अदालत के प्रस्तावित समस्त भारत मॉडल के विवरणों को एकत्रित करना और उन पर काम करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'नारी अदालत' के कार्यान्वयन के लिए तैयार दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

प्रस्तावित नारी अदालत की कार्यान्वयन व्यवस्था:

नारी अदालत का गठन

9.17 जिले के ब्लॉक स्तर पर एक 7 सदस्यों वाली नारी अदालत का गठन किया जाएगा। ये सदस्य एक सेवानिवृत्त

शिक्षक, महिला पांच सदस्य, पीएचसी/सीएचसी चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति और मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति सहित उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं।

नारी अदालत में सदस्यों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

9.18 राज्य सरकार के महिला और बाल विभाग के परामर्श से राज्य महिला आयोग द्वारा नारी अदालत के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। उप–विभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली चयन समिति की मदद से गांवों के एक समूह से संभावित सदस्यों का एक पैनल बनाया जा सकता है। प्रक्रिया को यथासंभव लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। महिला सदस्यों को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

9.19 एक सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला सदस्यों को स्थानीय रूप से नियुक्त किया जाए, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित हो, महिलाओं के लिए काम करने के लिए रुचि और समय आवंटित किया जाए, जाति/राजनीतिक पार्टी/धर्म के लिए कोई विशेष लगाव न होकर संतुलित और निष्पक्ष तरीके से कार्य करें, नेतृत्व के गुण हों, साक्षर और पढ़ने और लिखने में सक्षम और कानूनी योग्यता है।

9.20 प्रत्येक नारी अदालत को शिकायतों और कार्यवाही और अन्य प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक ब्लॉक कार्यालय द्वारा समर्थित किया जाएगा।

प्रशासनिक संरचना

9.21 नारी अदालत के प्रभावी कामकाज के लिए प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे को नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 2 : नारी अदालत की संरचना व गठन

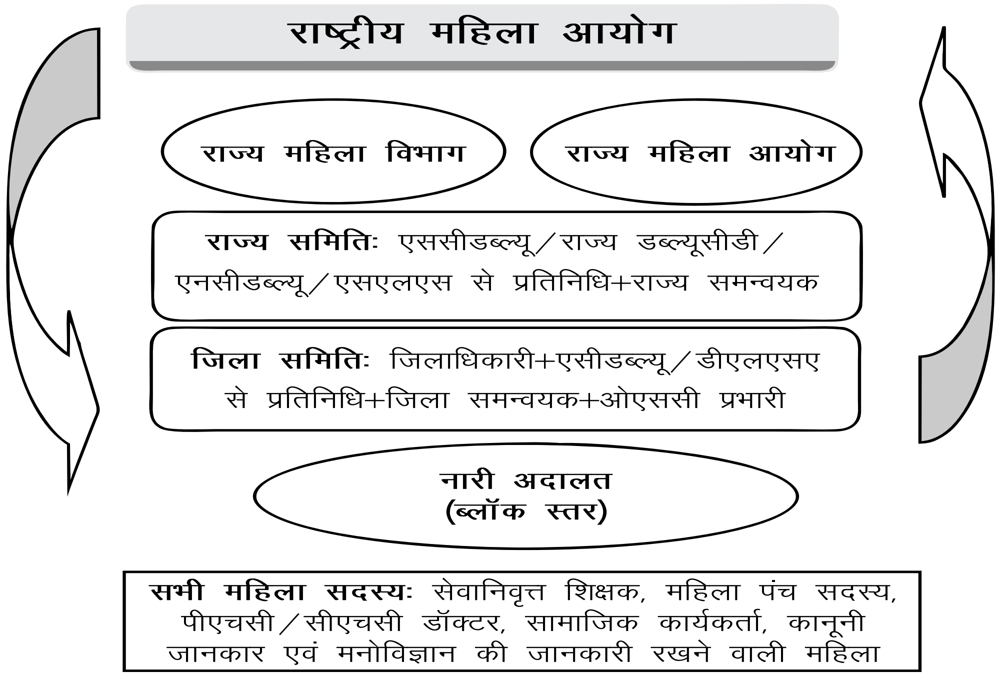

राज्य समिति का गठन

9.22 राज्य समिति में 7 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल राज्य विभाग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रत्येक प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य में कार्यरत नारी दल के सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए एक राज्य समन्वयक होगा। अन्य सदस्य कानून/लिंग अध्ययन और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं। राज्य समन्वयक को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए एक कार्यकारी सहायक की सहायता ली जा सकती है।

जिला समिति का गठन

9.23 जिला समिति में जिला मजिस्ट्रेट सहित 7 सदस्य होंगे, जो राज्य महिला आयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि और जिला के वन–स्टॉप सेंटर प्रभारी, यदि कोई हों, शामिल होंगे। जिले में कार्यरत नारी अदालतों के सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए एक जिला समन्वयक भी नियुक्त किया जाएगा। अन्य सदस्य कानून/लिंग अध्ययन और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं। जिला समन्वयक को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए एक कार्यकारी सहायक द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

ब्लॉक कार्यालय का गठन

9.24 नारी अदालत की बैठक और उनके समग्र कामकाज की सही ढंग से आयोजन की सुविधा के लिए जिला समन्वयक द्वारा खंड कार्यालय में एक कार्यकारी सहायक नियुक्त किया जाएगा।

क्रियान्वयन एजेंसी

9.25 राज्य महिला आयोग को उनके संबंधित राज्यों में नारी दलों के लिए स्थायी कार्यान्वयन एजेंसियां बनाया जा सकता है। वे राज्य समिति और जिला समिति के माध्यम से संबंधित महिला विभाग के परामर्श से इस योजना को लागू करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक

9.26 आयोग ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ आधे दिन की बैठक का आयोजन किया, ताकि निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हो सके– (क) महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके; (ख) यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों 2018 की महिला पीड़ितों के लिए नालसा (NALSA) की मुआवजा योजना के तहत मुआवजे के वितरण की स्थितिय (ग) जेलों/जेलों में महिला कैदियों को उनके मुकदमों में तेजी लाने के लिए प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और (घ) धारा 437 (1((i) सीआरपीसी और तत्संबंधी स्थिति के तहत विशेष छूट।

दृष्टि स्त्री प्रबोधन अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए 'भारत में महिलाओं की स्थिति' पर रिपोर्ट की प्रस्तुति

9.27 दिनांक 16.10.2019 को कुछ विशिष्ट मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ ''भारत में महिलाओं की स्थिति'' पर एक राष्ट्रीय अध्ययन परियोजना के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था, जो कि दृष्टि स्त्री प्रबोधन अध्ययन केंद्र द्वारा किया गया था, जिसमें परियोजना टीम द्वारा रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्षों की प्रस्तुति की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि परामर्शदाताओं ने बैठक में भाग लिया।

बीजिंग+ 25 के स्मरणोत्सव के लिए राष्ट्रीय परामर्श, ''पीढ़ीगत समानता की ओर बढ़नाः महिलाओं के अधिकारों को एक समान भविष्य के लिए साकार करना'' राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर

9.28 दिनांक 31 जनवरी, 2020 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजिंग की घोषणा और प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन, 1995 (बीजिंग+25) लैंगिक समानता का पूर्ण बोध के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली मौजूदा चुनौतियों की समीक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस परामर्श पर विचार किया गया ''पीढ़ीगत समानता की ओर बढ़नाः महिलाओं के अधिकारों को एक समान भविष्य के लिए साकार करना''। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके, श्री रवीन्द्र पंवार, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्री अजय तिर्की, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सुश्री रेखा शर्मा, माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री निष्ठा सत्यम, उप–प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र महिला भारत मौजूद थीं।

9.29 यह परामर्श छह सत्रों के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित पैनलिस्टों द्वारा विषयों पर समृद्ध चर्चा की गई जिसमें सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों, वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों, राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधि शामिल थे। छह सत्र इस प्रकार थेः

i. सत्र कः लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना

ii. सत्र खः असंगठित क्षेत्र में आर्थिक एजेंटों के रूप में महिलाओं की भूमिका को पहचाननाः कृषि पर विशेष जोर

iii. सत्र गः महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार

iv. सत्र घः महिलाओं की भागीदारी और स्थानीय स्वशासन में निर्णय लेना

v. सत्र ङः महिलाओं की आजीविका और गरीबी उन्मूलन

vi. सत्र चः गुणवत्ता शिक्षा, प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए आजीवन सीखना।

नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में नसबंदी/जन्म नियंत्रण उपचार और प्रक्रिया व्यय के गैर—कवरेज पर प्रतिनिधित्व

9.30 महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों/उत्पादों में नसबंदी/जन्म नियंत्रण उपचार और प्रक्रिया खर्चों की गैर—कवरेज के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, वित्तीय विभाग सेवाओं, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को उनके उचित विचार के लिए उठाए।

9.31 महिला नसबंदी के गैर—कवरेज का महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सशक्तीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसको आयोग ने समीक्षा के लिए लिया है। किसी भी बीमा कवर के अभाव में, महिलाएं बड़े पैमाने पर अवांछित गर्भधारण को या तो हार्मोन की गोलियों या कई गर्भपात के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे महिलाओं में मृत्यु दर और रुग्णता बढ़ जाती है। इस संबंध में, सुश्री अभिलाषा जैन, सामाजिक उद्यमी (महिला वेब और जीईपीआरए पुरस्कार विजेता) से एक प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ था।

अध्याय—10

जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण

10.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(ट) के तहत इसे सौंपे गए कार्यों के हिस्से के रूप में देश में जेलों/कारागार/अभिरक्षा गृह का राष्ट्रीय महिला आयोग निरीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, कारागार के निरीक्षण को आयोग ने अपने फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। अध्यक्ष, सदस्यों के साथ—साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ, राज्य महिला आयोगों, डीएलएसए और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण दल जेलों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों में महिला कैदियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों और सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य जेल अधिकारियों और जेल अधीक्षक को इस तरह के निरीक्षण से निकलने वाली सिफारिशें आगे की कार्रवाई को लागू करने के लिए भेजा जाता है।

10.2 आयोग द्वारा विकसित निर्धारित प्रोफार्मा में जेलों से भी जानकारी प्राप्त की गई थी। इस प्रोफार्मा में प्राप्त जानकारी का उपयोग न केवल निरीक्षण के दौरान किया गया था, बल्कि उक्त जानकारी की गहन जांच और विश्लेषण भी किया गया था, और इस जांच और विश्लेषण के आधार पर; आयोग द्वारा टिप्पणियों और सिफारिशों का मसौदा तैयार किया गया था। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के अनुरोध के साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी गई।

10.3 जेलों के निरीक्षण और जानकारी के विश्लेषण के दौरान, आयोग ने महिला कैदियों के लंबे समय तक अंतर्वस्त्रों को अंडर—ट्रायल के रूप में नोट किया, उनकी हिरासत की अवधि 2 साल से लेकर 10 साल तक और कुछ मामलों में इससे भी आगे थी। आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ इस मामले को उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला कैदियों को उपलब्ध कराई गई कानूनी सहायता उचित समय के भीतर मुकदमों में तेजी लाने और जमानत प्राप्त करने के लिए कानूनी सहारा लेने के लिए अधिक प्रभावी होगी। महिलाओं को अपराध की धारा 437 (1) (ii) के तहत उनके लिए उपलब्ध विशेष विधान के तहत जांच करके परीक्षण किया जा सकता है। इस दिशा में एक ठोस प्रयास न केवल महिलाओं के लंबे समय तक होने वाले उत्पीड़न से बचने के रूप में परीक्षण के तहत होगा, बल्कि जेलों में महिला कैदियों की कई अन्य समस्याओं जैसे भीड़भाड़, अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, कैदियों के गैर—अलगाव, आदि को हल करेगा। इस संबंध में, आयोग ने 15 अक्तूबर, 2019 को एसएलएसए के सदस्य सचिवों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया और महिला कैदियों को विशेष रूप से उनकी सामाजिक—आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन पर प्रभाव डाला। कई एसएलएसए के प्रतिनिधियों/सचिवों ने इस पारस्परिक (इंटरैक्टिव) सत्र में भाग लिया।

10.4 आयोग ने अपने निरीक्षण/सूचनाओं की जांच के दौरान चिंता के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की और उन्हें संबंधित जेल अधिकारियों सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया:

i. **जनशक्तिः** विशेष रूप से महिला वार्डर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ), पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्स आदि के रिक्त पदों को भरने और सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

ii. **भीड़भाड़ः** महिला कैदियों की संख्या महिला वार्डों की अधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां कैदियों की संख्या अधिकृत क्षमता से अधिक है, उनमें से कुछ को अन्य जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां क्षमता बहुत कम है, अगर यह महिला कैदियों को असुविधा का कारण नहीं है।

iii. **चारपाई/उठे हुए प्लेटफ़ॉर्म का प्रावधानः** मॉडल जेल मैनुअल 2016 के अनुसार, विशेष रूप से मेडिकल बीमारी/गर्भवती महिला कैदियों के लिए चारपाई/उठा हुआ प्लेटफॉर्म का प्रावधान है। इसलिए एक अलग बिस्तर, जेल की सभी महिला कैदियों को प्रदान किया जाना चाहिए।

iv. **चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएंः** पूर्णकालिक डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, और त्वचा विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञों को आंशिक समय के आधार पर और जेलों के भीतर दौरे के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

v. **व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकासः** महिला कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास की मौजूदा व्यवस्था को गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सेक्टर विशिष्ट कौशल परिषदों के सहयोग से और मजबूत किया जा सकता है।

जेलों का निरीक्षण

10.5 आयोग ने वर्ष 2019. 2020 के दौरान निम्नलिखित जेलों का निरीक्षण किया।

क्रम सं.	जेल का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
1.	सर्किल जेल, कटक, ओडिशा	29.06.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
2.	जिला जेल, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	10.07.2019	श्रीमती कमलेश गौतम
3.	सेंट्रल जेल बेउर, पटना, बिहार	18.07.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
4.	सर्किल जेल, मैसुर, कर्नाटक	19.07.2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
5.	सेंट्रल जेल, बेंगलुरू, कर्नाटक	27.07.2019	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
6.	जिला जेल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	14.08.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
7.	जिला जेल महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	16.08.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी

10.6 07 जेलों में से 04 जेलों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मिल चुकी है, और आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एटीआर पर आगे की टिप्पणियों को संबंधित राज्य जेल प्राधिकरणों को भेज दिया गया है।

10.7 आयोग देश में मनोरोग गृह के आवधिक दौरे/निरीक्षण कर रहा है और इन संस्थानों में भर्ती महिला रोगियों की स्थिति में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों से बात कर रहा है। मनोरोग गृह के निरीक्षण के दौरान, राज्य महिला आयोगों, गैर सरकारी संगठनों और डीएलएसए के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए तैयार किए गए व्यापक प्रोफार्मा, विशेष रूप से मनोचिकित्सा घरों में आईपीडी में महिला रोगियों की स्थिति और रहने की स्थिति से संबंधित है, देश में सरकारी क्षेत्र के सभी 43 मनोरोग गृह को भेजा गया था, जिसमें से 36 मनोरोग गृहों के बारे में 31 मार्च, 2020 तक जानकारी प्राप्त की गई थी।

10.8 राष्ट्रीय महिला आयोग ने "आईपीडी में महिला मरीजों के लिए विशेष संदर्भ के साथ भारत में सरकारी क्षेत्रों के मनोवैज्ञानिक अस्पतालों/मानसिक अस्पतालों की समीक्षा" शीर्षक से एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट क्रमशः 19 और 27 मनोरोग गृहों से निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त जानकारी के निरीक्षण और विश्लेषण पर आधारित थी। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा अधीक्षकों और महिलाओं के लिए राज्य आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में की गई सामान्य और विशिष्ट सिफारिशें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करती हैं। 10 मनोरोग गृह से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उनमें से केवल 01 को संतोषजनक पाया गया है, जबकि अन्य मनोरोग गृहों को आगे उचित कार्रवाई करने और एक अद्यतन एटीआर जमा करने का अनुरोध किया गया है।

मनोरोग गृहों का निरीक्षण

10.9 आयोग ने 2019.2020 के दौरान निम्नलिखित मनोरोग गृह का निरीक्षण किया।

क्रम सं.	मनोरोग गृह का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
1.	मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, अहमदाबाद	09.05.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
2.	हिमाचल मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास का अस्पताल, शिमला, हिमाचल प्रदेश	13.05.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	13.05.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
4.	मानसिक स्वास्थ्य कोइलवर, भोजपुर, बिहार	16.5.2019	श्रीमती श्यामला एस कुंदर
5.	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार, त्रिशूर, केरल	17.05.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
6.	मानसिक अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड	17.05.2019	श्रीमती कमलेश गौतम
7.	मानसिक देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	17.05.2019	श्रीमती राजुलबेन एल देसाई
8.	मानसिक स्वास्थ्य कर्लीबाग, बड़ौदा, गुजरात	18.05.2019	श्रीमती श्यामला एस कुंदर
9.	मानसिक अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान	21.05.2019	श्रीमती कमलेश गौतम

क्रम सं.	मनोरोग गृह का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
10.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक, ओडिशा	29.06.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
11.	सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल	16.09.2019	श्रीमती कमलेश गौतम

10.10 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ट) के तहत आयोग भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना के तहत कार्य करते हुए, पूरे भारत में स्वाधार गृहों का निरीक्षण कर रहा है। आयोग ने अपने कामकाज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा भी विकसित किया और देश भर में 404 स्वाधार गृह (एसजी) को भेजा। आयोग को 150 एसजी से जानकारी मिली, जिनका उपयोग आयोग द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जा रहा था। निर्धारित प्रोफार्मा में स्वाधार गृह से प्राप्त जानकारी को संबंधित राज्य महिला आयोग को उनके संबंधित राज्यों में स्वाधार गृह का निरीक्षण करने और उनके द्वारा प्रोफार्मा में प्रस्तुत जानकारी का उपयोग/सत्यापन करने के लिए भेजा गया है।

10.11 ओडिशा, तेलंगाना और मेघालय के राज्य आयोग से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर और संबंधित स्वाधार गृह से निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी की जांच के लिए, राज्यवार समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

10.12 आयोग ने देश में 'आकांक्षापूर्ण जिलों' का दौरा करने और विभिन्न महिला विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेने का भी फैसला किया है। आयोग के माननीय सदस्यों ने देश के 14 राज्यों अर्थात् ओडिशा, राजस्थान, असम, तेलंगाना, मणिपुर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले 40 आकांक्षापूर्ण जिलों का दौरा किया। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान आकांक्षापूर्ण जिलों की यात्रा के बारे में विवरण निम्नलिखित है।

आकांक्षापूर्ण जिलों का निरीक्षण

10.13 आयोग ने 2019–2020 के दौरान निम्नलिखित आकांक्षापूर्ण जिलों का निरीक्षण किया।

क्रम सं.	राज्य	जिला	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
1	ओडिशा	कंधमाल	14.09.2019 -15.09.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
2		गजपति	16.09.2019 -17.09.2019	
3		रायगढ़	18.09.2019	
4		कोरापुट	19.09.2019	
5		नबरंगपुर	20.09.2019 -21.09.2019	

क्रम सं.	राज्य	जिला	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
6	राजस्थान	करौली	18.09.2019	श्रीमती राजुलबेन एल देसाई
7		जैसलमेर	21.09.2019	
8		बाड़मेर	22.09.2020	
9		सिरोही	23.09.2019	
10		बारां	25.09.2019	
11	असम	दरांग	23.09.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
12		उदलगुड़ी	23.09.2019	
13		बक्सा	24.09.2019	
14		बारपेटा	25.09.2019	
15		गोलपाड़ा	26.09.2019	
16	तेलंगाना	असिफाबाद	10.10.2019	श्रीमती श्यामला एस कुंदर
17		भूपलपल्ली	11.10.2019	
18		खम्मम	12.10.2019	
19	मणिपुर	चंदेल	18.10.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
20	छत्तीसगढ़	महासमुंद	01.11.2019-02.11.2019	श्रीमती कमलेश गौतम
21		कांकेर	04.11.2019-05.11.2019	
22		कोंडागांव	06.11.2019-07.11.2019	
23		नारायणपुर	07.11.2019-08.11.2019	
24		बस्तर	08.11.2019-09.11.2019	
25	पंजाब	फिरोजपुर	13.11.2019	
26		मोगा	14.11.2019	
27	मिजोरम	ममित	14.11.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
28	हिमाचल प्रदेश	चंबा	19.11.2019	
29	हरियाणा	मेवात	25.11.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी

क्रम सं.	राज्य	जिला	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण सदस्य
30	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	04.12.2019	श्रीमती राजुलबेन एल देसाई
31		विदिशा	19.12.2019	
32		सोनभद्र	12.12.2019	
33		श्रावस्ती	20.12.2019	श्रीमती सोसो शाइजा
34	मध्य प्रदेश	विदिशा	19.12.2019	श्रीमती श्यामला एस कुंदर
35	बिहार	कटिहार	16.12.2019	श्रीमती राजुलबेन एल देसाई
36		अररिया	18.12.2019	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
37		सीतामढ़ी	06.01.2020	
38		बेगूसराय	07.01.2020-08.01.2020	
39		शेखपुरा	08.01.2020-09.01.2020	
40	महाराष्ट्र	नंदुरबार	03.02.2019	श्रीमती सोसो शाइजा

10.14 प्रत्येक दौरे के दौरान, आयोग के माननीय सदस्यों ने संबंधित जिला कलेक्टरों के साथ जिला मुख्यालय में बैठकें कीं, जिसमें जिले में महिला कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इन बैठकों में अधिकारियों, कर्मचारी प्रशासन के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, आदि शामिल थे। इन सभी दौरों के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट आयोग द्वारा तैयार की गई थी। आयोग मामलों पर टिप्पणियों को तैयार करता है, और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया जाता है; और की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को भी अवगत कराया जाता है।

अध्याय–11

सूचना का अधिकार

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें आम जनता के कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी रखना भी सम्मिलित है।

11.2 आयोग का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अन्तराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए जिससे जनता कम प्रयास से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। तद्नुसार, जहां आनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायतों की स्थिति उपलब्ध है और ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रखने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के बारे में जो स्थिति है उसे अद्यतन किया है और यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापनों को भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों तक जानकारी का प्रचार सुनिश्चित हो सके।

11.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आर.टी.आई. के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक अंतरित किया जाए।

11.4 वर्ष 2019–20 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क. तिमाही–वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान नीचे दिया गया है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2019)	155	02	173	06	20	266	38
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2019)	38	13	245	02	34	203	57
तिमाही–3 (अक्टूबर– दिसंबर, 2019)	57	00	266	04	23	275	21
तिमाही–4 (जनवरी– मार्च, 2020)	21	08	196	10	18	181	16

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रथम अपीलों की प्राप्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिक. ारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2019)	02	0	17	0	02	13	04
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2019)	04	0	30	0	03	20	11
तिमाही–3 (अक्टूबर– दि. संबर, 2019)	11	0	31	0	01	34	07
तिमाही–4 (जनवरी– मार्च, 2020)	07	0	31	0	0	27	11

अध्याय–12

लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया

12.1 विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों के नियमों के अनुसार मानवोचित गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्य मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से इस अधिकार का हनन होता है और महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की एक प्रभावी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए कानून बनाया गया है और अन्य बातों के साथ साथ इसमें लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है।

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति (जो पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में ज्ञात थी) का गठन किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस समिति की अध्यक्ष आयोग की एक सदस्य श्रीमती चंद्रमुखी देवी थी ।

12.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतें और वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोजित की गई कार्यशालाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटायी गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	कार्यशाला या किए गए कार्यक्रमों की सं.	नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	01 (एक)	लागू नहीं होता

अध्याय–13

मीडिया और पहुंच कार्यक्रम

13.1 महिलाओं की स्थिति में सुधार और उनके सशक्तीकरण में अन्य बातों के साथ–साथ महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों और गैर–सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों द्वारा ठोस प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उनके विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बारे में सचेत होने के नाते, आयोग महिलाओं के अधिकारों, हकदारी, हितों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया के साथ लगातार जुड़ रहा है और उन्हें सम्मान से भरा जीवन जीने का आश्वासन दे रहा है।

13.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने मीडिया और ट्विटर हैंडल के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों और घटनाओं का विवरण साझा करने सहित मीडिया योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2019–2020 के दौरान इस तरह के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलें की है। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने और महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन और संस्थागत समर्थन के माध्यम से सरकार से संपर्क करने के लिए विशेष मीडिया अभियान के हिस्से के रूप में, अभियान के विज्ञापन 25 मार्च, 2020 को जारी किए गए थे। विवरण भी आयोग की वेबसाइट और विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रसारित किए गए थे।

13.3 दृश्य–श्रव्य मीडिया योजना के लिए दो विषयों पर ध्यान दिया गया। यह 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण' और 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) पर था। यह राष्ट्रीय टीवी, निजी टीवी चैनलों पर आकाशवाणी और निजी एफएम रेडियो स्टेशनों सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया गया था। कई प्राइम–टाइम चैनल, रामायण, महाभारत, मन की बात और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित भारत के अन्य कार्यक्रमों में अन्य लोकप्रिय धारावाहिकों पर लॉकडाउन की अवधि के दौरान मीडिया योजना जारी रही।

13.4 अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित आयोग का राष्ट्र महिला नामक मासिक समाचार पत्र, महिला कार्यकर्ताओं, आयोग के सदस्यों और कानूनी बिरादरी प्रशासकों के सदस्यों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों के लिए आयोग के कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में पूरे देश में जानकारी का प्रसार करना जारी रखता है। समाचार पत्र आयोग की मासिक गतिविधियों के साथ–साथ आयोग के समक्ष दर्ज शिकायतों और महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अदालतों और सरकार के फैसलों की सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डालता है। मासिक समाचार पत्र ऑनलाइन देखने और डाउनलोड के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अध्याय–14

सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

14.1 हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अब एक अत्यधिक सर्वव्यापक तत्व है। सामाजिक स्तर पर देश की आर्थिक क्षमता को उन्मुक्त करने और उत्पादन बढ़ाने तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बैठना महत्वपूर्ण है। आई.सी.टी. मानवीय जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार करने और इसके साथ साथ नीरसता को कम करने की क्षमता रखता है। हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास करने और इसके साथ सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित करने के लिए आई.सी.टी. का परिनियोजन को एक सक्षम साधन माना गया है। प्रज्ञावान समाज में महिलाओं को नियोजित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों और कौशल में भाग लेने की उनकी योग्यता को और विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे मुद्दों को गहराई तक समझ सकें और सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को अभिभूत कर सके। इसमें आई.सी.टी. एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

14.2 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय लेने की गति में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करने में सबसे आगे रहा है। आयोग ने 2005 की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्रसंस्करण और शिकायतों का निपटान शुरू कर दिया था। भारतीय शिकायतकर्ता और साथ ही उसके एनआरआई पति द्वारा परित्यक्त महिलाएं इस ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हैं। पंजीकरण रसीद संख्या/फ़ाइल संख्या उत्पन्न होने के बाद और एक अद्वितीय उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड शिकायतकर्ता को ईमेल के माध्यम से आवंटित किया जाता है। प्रणाली व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को पंजीकरण के बाद प्राप्त समान प्रमाणपत्र का उपयोग करके उसकी शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन पता करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

14.3 वर्ष 2019–20 के दौरान, अनुसंधान अध्ययन और संगोष्ठी प्रस्ताव को ई–प्रस्ताव के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रस्ताव को दो चरणों में ऑनलाइन आमंत्रित किया गया था। कुल 262 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किए गए, जिनमें से 110 विशेषज्ञों द्वारा उचित जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार किए गए थे। सभी अनुसंधान और संगोष्ठी प्रस्ताव भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर संसाधित और अंतिम रूप से प्राप्त किए गए थे।

14.4 वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोग ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसके लिए अन्य भागीदारों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम की कल्पना की गई है।

14.5 आयोग ने वर्ष 2019 में MyGov प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन दहेज विरोधी शपथ ग्रहण भी शुरू किया है। 29000 से अधिक नागरिकों ने इस शपथ का समर्थन करने का संकल्प लिया है।

अध्याय—15

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

15.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2019—20 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 और समय—समय पर राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध सतत् प्रयास किए है। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति को प्रयोग कार्यान्वित करने और कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

15.2 आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे साधारण आदेशों, पुस्तिका, मंजूरी, मैनुअल, मानक प्रकोष्ठों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

15.3 नियमित कार्य हिन्दी में पूरा किए जाने के अतिरिक्त हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हिन्दी प्रकोष्ठ मासिक समाचारपत्र की और जेल निरीक्षण प्रोफार्मा, मार्गदर्शक दस्तावेज/पुस्तिका आदि और आयोग की अन्य रिपोर्टों का अनुवाद कर रहा है।

अध्याय – 16

वार्षिक लेखा

2019 – 2020

राष्ट्रीय महिला आयोग
तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2020 को यथा-विदयमान

(रकम रुपयों में)

पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	चालू वर्ष: कुल	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: कुल
पूंजीगत निधि	1	13,60,63,984.00	16,85,599.00	13,77,49,583.00	25,54,09,587.00	42,56,902.00	25,96,66,489.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित उधार दायित्व	6	-	-	-	-	-	-
चालू दायित्व और प्रावधान	7	10,93,70,143.00	1,65,58,793.00	12,59,28,936.00	9,14,31,828.00	67,56,995.00	9,81,88,823.00
		24,54,34,127.00	**1,82,44,392.00**	**26,36,78,519.00**	**34,68,41,415.00**	**1,10,13,897.00**	**35,78,55,312.00**
आस्तियां							
नियत आस्तियां	8	14,98,29,598.00	-	14,98,29,598.00	16,75,00,883.00	-	16,75,00,883.00
निवेश - निर्धारित/अक्षय निधियों से	9						-
निवेश - अन्य	10	-	-	-	-	-	-
चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम	11	10,08,99,304.00	1,29,49,617.00	11,38,48,921.00	18,43,87,809.00	59,66,620.00	19,03,54,429.00
विविध व्यय		-		-	-	-	-
							-
कुल		**25,07,28,902.00**	**1,29,49,617.00**	**26,36,78,519.00**	**35,18,88,692.00**	**59,66,620.00**	**35,78,55,312.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-		-
अनुदान/सहायिकी	13	13,55,58,611.00	7,48,12,446.00	15,58,02,029.00	6,30,43,501.00
फीस/अभिदान	14	-	5,224.00	-	5,200.00
निवेश से आय(निवेश पर आय, निधियों में अंतरित	15	-	-	-	
निर्धारित/अक्षय निधियों से आय		-	-	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	25,05,442.00	14,04,140.00	10,61,772.00	3,75,589.00
अन्य आय	18	1,02,61,816.00	1,35,013.00	48,12,467.00	2,03,246.00
पूर्व अवधि समायोजन		(1,47,02,009.00)	-	-	-
तैयार माल/ स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति पर है	19		-		-
			-	-	-
कुल(क)		**13,36,23,860.00**	**7,63,56,823.00**	**16,16,76,268.00**	**6,36,27,536.00**
व्यय					
स्थापन व्यय, आदि	20	3,39,28,186.00	4,12,53,248.00	3,82,34,906.00	3,57,67,468.00
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	10,22,76,622.00	3,76,74,878.00	1,09,39,623.00	2,54,06,223.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	9,91,44,589.00	-	4,04,55,470.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
अवक्षयण (वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)		2,02,98,365.00	-	2,28,01,586.00	-
अवक्षयण (पूर्व अवधि)		38,050.00		-	-
पूर्व अवधि व्यय				(5,49,478.00)	1,13,567.00
बट्टे खाते में अग्रिम		-		-	-
नियत आस्तियों के विक्रय पर हानि		-	-	-	-
कुल(ख)		**25,56,85,812.00**	**7,89,28,126.00**	**11,18,82,107.00**	**6,12,87,258.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष (क-ख)		**(12,20,61,952.00)**	**(25,71,303.00)**	**4,97,94,161.00**	**23,40,278.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-	-	-	-
अतिशेष (कम) होने के कारण समग्र/पूंजीगत निधि में अग्रनीत		**(12,20,61,952.00)**	**(25,71,303.00)**	**4,97,94,161.00**	**23,40,278.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

रसीद	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
आरंभिक अतिशेष				
शेष नकदी	-	-	-	-
शेष बची डाक टिकटें		2,99,541.00		53,331.00
बैंक अतिशेष	1,37,21,816.00	25,58,699.00	47,18,862.00	61,19,144.00
प्राप्त अनुदान	14,97,78,000.00	8,39,41,000.00	16,92,81,000.00	5,98,81,000.00
निवेश पर आय				
अक्षय निधि	-	-	-	-
अपनी निधि	-	-	-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज				
बैंक जमा	46,667.00	26,154.00	44,649.00	15,794.00
एमओडी पर बैंक ब्याज (स्वीप खाता)	22,51,855.00	12,62,021.00	9,51,392.00	3,36,543.00
उधार एवं अग्रिम	3,47,02,000.00	-	-	-
निवेश नकदीकरण	-	-	-	-
	-	-	-	-
अन्य आय				
आर.टी.आई.		5,224.00		5,200.00
विविध आय	51,219.00	49,749.00	54,231.00	1,53,761.00
समयपूर्व विविध आय	19,33,472.00	25,180.00	13,76,693.00	-
धन प्रेषण(अनुसूची-29)	-	1,16,84,164.00	-	1,05,25,943.00
प्रतिभूति जमा	7,18,950.00	-	6,45,000.00	-
देयता वापस लिखी गई	16,659.00			
राज्य चैक	-	-	4,60,464.00	41,398.00
	20,32,20,638.00	**9,98,51,732.00**	**17,75,32,291.00**	**7,71,32,114.00**

भुगतान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
स्थापना व्यय(अनुसूची-26)	3,42,69,086.00	4,04,69,394.00	3,49,68,815.00	3,52,83,933.00
अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-27)	5,78,22,335.00	3,56,47,396.00	4,16,84,701.00	2,84,63,998.00
अवधि पूर्व व्यय	-	-		
विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनु. 28)	6,33,26,686.00	-	8,20,89,469.00	-
धनप्रेषण (अनुसूची 29)	-	1,16,84,164.00	-	1,05,25,943.00
पीएओ डब्ल्यूसीडी	1,47,02,009.00			
प्रतिभूति जमा	4,02,500.00	-	6,02,667.00	-
जमा प्राप्तियां				
नियत आस्तियों पर व्यय		-	-	-
क)नियत आस्तियां	75,37,150.00	-	44,64,823.00	
ख) कार्य प्रगति पर	-		-	
अंतिम अतिशेष				
नकद शेष	-		-	-
शेष डाक टिकटें		2,78,868.00	-	2,99,541.00
बैंक अतिशेष (अनुसूची 30)	25160872.00	11771910.00	13721816.00	25,58,699.00
	20,32,20,638.00	**9,98,51,732.00**	**17,75,32,291.00**	**7,71,32,114.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची -1 पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	25,54,09,587.00	42,56,902.00	20,10,41,006.00	19,16,624.00
जोड़े:- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-	-	
जोड़े(घटाएं):- आय एवं व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय(व्यय) का अतिशेष	(12,20,61,952.00)	(25,71,303.00)	4,97,94,161.00	23,40,278.00
		-		-
जोड़े:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	27,16,349.00	-	45,74,420.00	-
		-	-	-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**13,60,63,984.00**	**16,85,599.00**	**25,54,09,587.00**	**42,56,902.00**
अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष				
1) **पूंजीगत आरक्षित**				
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं: पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची-1	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां			शून्य		
अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार			शून्य		
अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार			शून्य		
अनुसूची 6 - आस्थगित उधार दायित्व			शून्य		
अनुसूची 7 चालू दायित्व एवं प्रावधान					
चालू दायित्व					
मार्च, 2020 मास के लिए संदेय वेतन		-	22,74,176.00	-	23,68,711.00
मार्च, 2020 मास के लिए संदेय धनप्रेषण		-	10,64,448.00	-	7,72,333.00
मार्च, 2020 मास के संदेय बिल		2,13,509.00	8,83,248.00	1,06,945.00	4,06,668.00
दैनिक मजदूर कर्मचारी, संविदात्मक और डीईओ की मार्च, 2020 के लिए संदेय पारिश्रमिक		24,08,698.00	-	27,34,756.00	-
प्रतिभूति जमा		10,36,939.00	1,33,565.00	7,20,489.00	1,33,565.00
पुराने चैकों का दायित्व		-	-	11,75,608.00	58,462.00
मार्च, 2019 मास के लिए संदेय बैंक प्रभार		-	2,578.00	-	9,016.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को संदेय		46,88,649.00			
खर्च न किए गए प्रतिदेय अतिशेष के लिए दायित्व		2,51,60,872.00	1,17,71,910.00	1,37,21,816.00	25,58,699.00
खर्च न की गई डाक स्टैम्पों के लिए प्रतिदेय दायित्व		-	2,78,868.00	-	2,99,541.00
लेखा-परीक्षा फीस के लिए उपबंध		-	1,50,000.00	-	1,50,000.00
संदेय संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम(क+ख+ग+घ+च+छ+झ+ञ+ट+ड+ढ)		6,49,79,689.00	-	5,80,91,159.00	-
संदेय संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठनों(पूर्वोत्तर क्षेत्र) को अग्रिम	ङ+ज+ठ+ण	1,08,81,787.00	-	98,67,087.00	-
एन.बी.सी.सी. को कार्यालय भवन निर्माण के लिए संदेय		-	-	50,13,968.00	-
		10,93,70,143.00	**1,65,58,793.00**	**9,14,31,828.00**	**67,56,995.00**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन	क	2,70,24,984		2,35,28,472	
एकेडमी आफ मेरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चैन्नई- अध्य.		599130		599130	
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद वि. अध्य.		738598		738598	
एमेटी बिज़नेस स्कूल एमेटी यूनिवर्सिटी.-एसपी-एसटी		315600		315600	
एमेटी यूनिवर्सिटी लखनऊ वि.अध्य.		292950		-	
अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय. कोयंबटूर-एसपी.एसटी.		80000		80000	
अमृता विश्व विद्यापीठम(विश्वविद्यालय) एसपी. एसटी. तमिलनाडु		154350		463050	
आंध्र लोयला इंस्टिट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एपी-एसपी.एसटी		-		139860	
एसोसिएशन फार डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च(ए.डी.ए.आर.ए.एस.)		-		135000	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा- वि. अध्य.		-		164430	
बाहिरी स्मारक महा विद्यालय महाराष्ट्र		552600		552600	
भारतीदसन यूनिवर्सिटी कालेज - वि. अध्य.		57120		57120	
भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट-एसपी.एसटी		421470		421470	
भारतीय स्त्री शक्ति मुंबई, विशेष अध्ययन- जी		540000		-	
सेंटर फार वीमेन स्टडीज़, असम - वि. अध्य.		141120		141120	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ पंजाब		273420		273420	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान - वि. अध्य.		200340		347760	
सेंटर फॉर क्रिमिनोलोजी एंड विक्टमोलोजी एनएलयू दिल्ली-एसपी एसटी		711900		-	
सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्री. डेवलपमेंट-चंडीगढ़ एस		-		100000	
सेंटर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट स्टडीज-एसपी.एसटी		-		-	
सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ सोशल ईएक्ससी एंड आईएलसीएल.पीओएलआई.एसपी		99600		99600	
सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज अलगप्पा यूनिवर्सिटी, वि. अध्य.		232380		232380	
सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		101400		101400	
चैतन्य मोहन कोठी, गया (बिहार)		-		58800	
छायादीप समिति, ग्राम राजखेता, छत्तीसगढ़-एसपी एसटी		158760		158760	
क्रिस्चियन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट, केरल एसपी एसटी		98070		98070	
डीएवी पीजी कॉलेज यू.पी.- वि. अध्य.		298800		298800	
डिपार्टमेंट ऑफ़ ऐन्थ्रोपोलोजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली- वि. अध्ययन		774900		-	
डिपार्टमेंट ऑफ़ ईको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु-एसपी. एसटी.		256500		-	
डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, आईआईटी खड़गपुर- वि.		630000		630000	
डिपार्टमेंट ऑफ़ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर्नाटक- वि.		294600		294600	
डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलोजी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी-एसपी. एसटी		296982		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलोजी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान-एसपी.एसटी	268800		-	
धर्मगिरी जीवास सोशल सेंटर केरल- एसपी एसटी	-		468600	
इनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली - वि.अध्य.	-		109200	
फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डाक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी- वि.अध्य.	140730		140730	
गोविन्द बल्लभ पन्त सोशल साइंस. इंस्टिट्यूट यूपी- एसपीएसटी	126000		126000	
गवर्मेंट कॉलेज एमपी- विशेष अध्ययन	541800		-	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्याल - वि.अध्य.	225540		225540	
हरयाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट जाकिर नगर दिल्ली-एसपी	122650		122650	
एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय - वि.अध्य.	-		45045	
ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली-एसपी. एसटी	-		91800	
आईआईटी मद्रास, चैन्नई- वि.अध्य.	573300		573300	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ दलित स्टडीज दिल्ली-एसपी.एसटी	100000		100000	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन दिल्ली- एसपी	847350		-	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिमी बंगाल-वि.अध्य.	-		64050	
इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली-एसपी.एसटी	310800		310800	
इंस्टिट्यूट फॉर जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई-एसपी.एसटी	384600		384600	
आर्थिक विकास मानिटरिंग संस्थान, केरल-वि.अध्य.	164430		164430	
जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइज़ेशन	48615		48615	
जन कल्याण परिषद्, छत्तीसगढ़ - वि.अध्य.	-		133560	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान -अध्य.	273420		273420	
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंट्रल ऑफ सोशल मेडिकल एसपी.एसटी	1063755		-	
जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (सीएसआरडी) एसपी.एसटी.	174720		174720	
जेके डेवल्पमेंट एक्शन ग्रुप जेएंडके-अध्य.	298200		298200	
कलास्लिंगम यूनिवर्सिटी आनंद नगर तमिलनाडु एसपी.एसटी	180600		541800	
कर्नाटक स्टेट अक्कमहादेवी विमेन्स यूनिवर्सिटी कर्नाटक.आर.एसटी	286200		-	
केरल महिला आयोग - वि. अध्य.	493237		493237	
के.ई.सोसाइटीज राजारामबापू इंस्टी.ऑफ़ टेक्नो. महार एसपीएसटी	40000		40000	
कांगू इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडू-वि.अध्य.	285000		285000	
लेडी डाआक कॉलेज केटी विलोक्स एजुकेशन वि.अध्य.	300000		300000	
लीगल सर्विसेज़, अपोलो अस्पताल के पास, दिल्ली	65200		65200	
लियाकत अली खान	40000		40000	
लोयला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, केरल-अध्य	297900		297900	
मदुरई इंस्ट्टियूट ऑफ सोशल साइंस. तमिलनाडु-एसपी.एसटी	299250		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग, तमिलनाडु, वि.	120000		120000	
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. रोहतक-एसपी.एसटी.	143380		143380	
मानवलोक्स कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र-वि.अध्य.	296100		296100	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस (वि.अध्य.)	38600		38600	
मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार	41200		41200	
मदर्स एल.ए.पी. चेरिटेबिल संगठन (वि.अध्य.)	15000		15000	
मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश	108360		108360	
एम.एस. रम्मैया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक., बैंगलोर-वि.अध्य.	550200		550200	
सुश्री शीला चौधरी	49200		49200	
नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवेल्पमेंट स्टडीज़	40000		40000	
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कर्नाटक	123788		123788	
नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगाल - वि.अध्य.	915636		615636	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली-वि.अध्य.	-		590940	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेंडर्ड एंड रिसर्च इन लॉ रांची- एसपी	340750		-	
पश्चिम बंगा युवा कल्याण मंच, कोलकाता	38640		38640	
पेरियार यूनिवर्सिटी डिपार्ट. ऑफ़ सोशियोलॉजी तमिलनाडु एसपी	80000		80000	
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी-वि.अध्य.	598200		598200	
प्रिंसीपल जेपियर इंजीनियरिंग कालेज, चेन्नई - वि. अध्य.	171600		171600	
प्रो. विजयलक्ष्मी, निदेशक, यू.जी.सी. सेंटर, उदयपुर	42600		42600	
पीएसजीआर कृष्णाम्मल कॉलेज फॉर वीमेन टीएन-वि.अध्य.	367350		-	
रमा देवी वीमेन यूनिवर्सिटी ओडिसा -वि.अध्य.	528600		528600	
रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात- वि.अध्य.	64260		64260	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय - वि.अध्य.	-		158550	
रिसर्च इंस्टिट्यूट राजगिरी कॉलेज ऑफ़ सोशल साइंस. एसपीएसटी	-		102000	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून एसपी. एसटी.	-		131250	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, वि.अध्य.	128520		128520	
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसाइटी तमिलनाडु- एसपी. एसटी	249000		249000	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टैक्स एसपी एसएफ	3,00,000		-	
स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन, मनीपाल यूनिवर्सिटी - वि.अध्य.	48258		48258	
श्रीनिवास बहु उद्देश्यीय संस्थान, महाराष्ट्र, वि.अध्य.	196245		196245	
सिचुएशलन एनालाइसिस ऑफ होमलेस वूमेन	150000		150000	
एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई- विशेष अध्ययन	267750		-	
सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसपोरमेशन एपी-एसपी.एसटी	-		103600	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
सोसाइटी फार यूनिवर्सल वेलफेयर, जयपुर, वि.अध्य.		50820		50820	
सोना कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु- एसपी.एसटी.		79800		79800	
साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल- वि. अध्य.		-		70560	
श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज-एसपी.एसपी.		266550		266550	
सूरज संस्थान जयपुर- एसपी. एसटी.		100000		100000	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़(टी.आई.एस.एस.) वि.अध्य.		2084040		2084040	
द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट इनिशिएटिव, दिल्ली(वि.अध्य.)		-		47460	
थेंडरल मूवमेंट, तमिनलाडु - वि.अध्य.		-		59640	
यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन स्टडी भारतियर यूनि.-अध्य.		268200		268200	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर जे.एंड के.- एसपी. एसटी		710250		945450	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ लखनऊ यूपी-अध्य.		194820		584460	
उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा-वि.अध्य.		544950		544950	
विजयनगर श्रीकृष्ण देवराया यूनिवर्सिटी कर्नाटक -अध्य.		-		279720	
वीमेन्स स्टडीज सेंटर एसपी.एसटी.		236500		-	
वीमेन्स स्टडीज़ रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वि.अध्य.		86730		86730	
वीमेन्स स्टडीज़ एंड डेवेल्पमेंट, कोची		116400		116400	
राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग	ख	**1,95,000**		**1,95,000**	
गुजरात राज्य महिला आयोग - नेटवर्किंग		75000		75000	
असम राज्य महिला आयोग		120000		120000	
न्यायिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का क्षमता-निर्माण	ग	**18,28,404**		**8,91,329**	
एसीपी/मुख्यालय/डीडीओ, एसपीयूडब्ल्यूसी नानकपुरा- क्षमता निर्माण		112140		112140	
एसीपी स्पेशलाइस्ड ट्रेनिंग सेंटर राजेन्द्र नगर- क्षमता निर्माण		80000		-	
एडिश्नल डीजीपी(ट्रेनिंग) एंड डायरेक्टर बीपीएसपीए ओडिसा- क्ष.नि.		135000		-	
सहायक निदेशक शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी जे.एंड के.		-		55000	
सेंटर फॉर डेवल्पमेंट पॉल साइंस एंड मैनेजमेंट राजस्थान पॉल-सीए		150000		-	
सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एंड जेंडर - क्षमता निर्माण		152869		152869	
डीजीपी पंजाब चंडीगढ- केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जूडिशियल		150000		-	
निदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद - क्षमता निर्माण		56700		56700	
पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं निदेशक, राजा बहादुर वेंकट रमन हैदराबाद		150000		150000	
कर्नाटक पुलिस एकेडमी- क्षमता निर्माण		150000		-	
महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण		63000		63000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
महात्मा गाँधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन- पंजाब		150000		150000	
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अंडमान एंड निकोबार- क्षमता निर्माण		150000		-	
प्रिंसीपल, के.टी.डी.एस. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, त्रिपुरा		171000		21000	
राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश पुलिस - क्षमता निर्माण		42000		42000	
एसपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पांडिचेरी-क्षमता निर्माण		27075		-	
निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण		88620		88620	
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	घ	**99,54,575**		**1,04,66,300**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसाइटी, गुवाहाटी -एल.ए.पी.		23800		23800	
अभिनव विकास मंच, बिहार -एल.ए.पी.		50000		50000	
आगरा रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन- एल.ए.पी.		50000		50000	
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी- एलएपी		45000		-	
आन्ध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.		-		500000	
अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था - महाराष्ट्र -एल.ए.पी.		50000		50000	
अन्नमचार्या इंडस्ट्री ऑफ टेक एंड साइंस. त्रिपाट-एलएपी		41500		-	
अन्नामलाई यूनिवर्सिटी टीएन एलएपी		45000		-	
एराइज़, राजामंद्री, आन्ध्र प्रदेश-एल.ए.पी.		50000		50000	
आशा विकास संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइन्स एंड हाइयर एजु.एलएपी		45000		-	
आया नदर जानकी अम्मल कॉलेज टीएन-एलएपी		45000		-	
बाबा फरीद कॉलेज भटिंडा-एलएपी		45000		-	
बनास्थली विद्यापीठ राजस्थान-एलएपी		42375		-	
भागिनी मंडल चोपड़ा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क एलएपी		45000		-	
भारतियार यूनिवर्सिटी श्री सीवीजी विसालक्षी कॉलेज टीएन.एलएपी		44500		-	
भारत उदय संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी.		50000		50000	
भारतीय ध्यानवर्धनी लोक विकास, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.		15000		15000	
बिहार राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		400000		400000	
बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा- एलएपी		45000		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड- एलएपीजी		45000		-	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग		30000		680000	
चेंबूर सर्वांकाश शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय- एलएपी		45000		-	
छत्रपति शाहू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एजु. महाराष्ट्र- एलएपी		45000		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
क्राइस्ट, बेंगलोर- एलएपी	43000		-	
सीआईटी डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़- एलएपी	50000		-	
कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डेवेल्पमेंट, कर्नाटक -एल.ए.पी.	50000		50000	
दलित महिला रचनात्मक परिषद्, अहमदाबाद, गुजरात	15000		15000	
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भारतीय यूनिवर्सिटी टी.एन. एलएपी	45000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -एल.ए.पी.	50000		50000	
डॉ.वीरेंद्र स्वरूप ऑफ प्रो.एसटी यूपी एलएपी	45000		-	
एमराल्ड एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडी एपी. एलएपी	30750		-	
एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज टीएन. एलएपी	45000		-	
फैकल्टी ऑफ लॉ ए.एम.यू. (सेंट्रल यूनिवर्सिटी) एलएपी	44000		-	
गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ़	15000		15000	
गोवा राज्य आयोग- एल.ए.पी.	300000		300000	
गवर्मेंट कॉलेज एपी- एलएपी	45000		-	
गवर्मेंट दिग्विजय कॉलेज छत्तीसगढ़- एलएपी	44450		-	
गवर्मेंट कमला देवी रति पी.जी. गर्ल्स- एलएपी	44450		-	
गवर्मेंट रानी अवंति बाई लॉधी कॉलेज छत्तीसगढ़- एलएपी	44450		-	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार	15000		15000	
जी.एन.टी. आर्टस कॉलेज तमिलनाडु- एलएपी	40000		-	
गुजरात राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.	250000		250000	
गुरू नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स पंजाब- एलएपी	45000		-	
हरि श्री, नई दिल्ली -एल.ए.पी.	50000		50000	
हरियाणा राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	800000		800000	
हैल्पफुल सोसाइटी, दिल्ली -एल.ए.पी.	50000		50000	
होलिक्रॉस कॉलेज तमिलनाडु एलएपी	45000		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	500000		500000	
इंद्रा गणेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिचई- एलएपी	45000		-	
स्माइलसाहब मुल्ला लॉ कॉलेज महाराष्ट्र- एलएपी	45000		-	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	50000		1150000	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान	45000		-	
झारखंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.	-		300000	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	-		500000	
ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम, नई दिल्ली	30000		30000	
कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी- एलएपी	45000		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
केरल महिला आयोग- एल.ए.पी.	250000		250000	
केएलईएस आर्टस एंड कॉमर्स कॉलेज कर्नाटक- एलएपी	45000		-	
केएलई सोसाइटी जगतगुरू गंगाधर कॉलेज, कर्नाटक, एलएपी	45000		-	
कॉगू इंजीनियरिंग कॉलेज टीएन- एलएपी	45000		-	
क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव, नासिक, एलएपी	85000		-	
के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम- एलएपी	45,000.00		-	
लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान	30000		30000	
लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारका- एलएपी	45000		-	
लॉ डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी भटिंडा एलएपी	40000		-	
मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी - एल.ए.पी.	50000		50000	
महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक- एलएपी	45000		-	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर- एलएपी	45000		-	
महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - एल.ए.पी.	0		150000	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एलएपी	45000		-	
मालाबपूर पीपल रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	30000		30000	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.	15000		15000	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून	30000		30000	
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजु. कर्नाटक- एलएपी	30000		-	
मरुधारा संस्थान जयपुर - एल.ए.पी.	250000		250000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बांसवाड़ा	15000		15000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15000		15000	
मूलजी जैथा कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी महाराष्ट्र- एलएजी	45000		-	
मुक्त भारती शिक्षा समिति राजस्थान - एल.ए.पी.	50000		50000	
नंधा इंजीनियरिंग कॉलेज एरोड टीएन- एलएपी	45000		-	
नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक राइचुर कर्नाटक- एलएपी	45000		-	
नवंदागर छत्तीसगढ़ - एल.ए.पी.	50000		50000	
नेमगोंडा दादा पाटिल निथ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स एलएपी	43500		-	
निर्मला कॉलेज फॉर वीमेन टीएन- एलएपी	45000		-	
ओडिशा राज्य महिला आयोग	50000		250000	
ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़- एलएपी	45000		-	
पासुमपॉन मुथरामलिंगा थेवर कॉलेज ऑफ आर्ट एलएपी	45000		-	
पीपल्स कॉलेज महाराष्ट्र- एलएपी	45000		-	
प्रगति महिला बहूद्देशीय, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	25000		25000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
प्रेसटीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एमपी- एलएपी	45000		-	
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस तमिलनाडु- एलएपी	45000		-	
पीएसजीआर कृष्णाम्मल कॉलेज फॉर वीमेन- टीएन- एलएपी	45000		-	
पब्लिक हेल्थ एंड मैडिकल टैक्नॉलोजी, दिल्ली - एल.ए.पी.	15000		15000	
पंजाब राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	0		250000	
पुष्पा केकाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट	15000		15000	
राछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	12500		12500	
राजपुर ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान - एल.ए.पी.	100000		100000	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर- एलएपी	44000		-	
राजस्थान राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	200000		200000	
रामचंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एपी- एलएपी	50000		-	
रानी छन्नम्मा यूनिवर्सिटी केएलई सोसाइटी- एलएपी	45000		-	
राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय यूपी- एलएपी	50000		-	
रूरल डेवेल्पमेंट ट्रस्ट तमिलनाडु - एल.ए.पी.	25000		25000	
रूरल आर्गेनाईजेशन फॉर पावर्टी एराडीकेशन, ओडिशा	15000		15000	
संकरा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स. टीएन- एलएपी	45000		-	
सरस्वती कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र- एलएपी	45000		-	
सर्वांगीण उन्नयन समिति, असम	20000		20000	
सत्यवती कॉलेज दिल्ली- एलएपी जी	45000		-	
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी- एलएपी	44000		-	
शाहजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुर- एलएपी	48300		-	
शारदाबाई पवार महिला आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस एलएपी	45000		-	
शिव शंकर सेवा संस्थान, राजस्थान- एल.ए.पी.	50000		50000	
श्री अमोलक जैन विद्या प्रसारक मंडल्स महाराष्ट्र एलएपी	45000		-	
श्री देवी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूपी- एलएपी	45000		-	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर	15000		15000	
श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी तमिलनाडु- एलएपी	45000		-	
श्री कृष्ण महाविद्यालय- महाराष्ट्र- एलएपी	45000		-	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवेल्पमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, आं.प्र.- एल.ए.पी.	15000		15000	
श्री राधा कृष्णा सेवा समिति - एल.ए.पी.	50000		50000	
सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन, पुणे - एल.ए.पी.	50000		50000	
एसपी कॉलेज सिरोही राजस्थान- एलएपी जी	44000		-	
श्री नारायण ट्रेनिंग कॉलेज केरल- एलएपीजी	45000		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र.		15000		15000	
सेंट एन्स कॉलेज फॉर वीमेन मेहदीपातनम तेलंगाना- एलएपी		45000		-	
सेंट जॉर्ज कॉलेज अरूविथुरा केरल- एलएपी		45000		-	
सेंट जॉसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु, एलएपी		45000		-	
सेंट पॉल्स कॉलेज केरल- एलएपी		45000		-	
सुरेश शर्मा फाउण्डेशन, राजस्थान - एल.ए.पी.		100000		100000	
स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र- एलएपी		45000		-	
स्वामी स्वतंत्रतानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब एलएपी		45000		-	
तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी- एलएपी जी		45000		-	
तमिलनाडु राज्य आयोग - एल.ए.पी.		600000		800000	
दि सोसाइटी फॉर वूमन एंड चाईल्ड डेवेल्पमेंट एंड सर्विसेस, दिल्ली		30000		30000	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली फैकल्टी ऑफ़ लॉ - एल.ए.पी.		100000		100000	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी.		125000		525000	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		700000		700000	
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीएन- एलएपी जी		45000		-	
वेल टेक हाई टेक इंजीनियरिंग कॉलेज चैन्नई-एलएपी		45000		-	
विद्या भूषण युवक मंडल - एल.ए.पी.		75000		75000	
विज्ञान शिक्षा केन्द्र, हरियाणा		30000		30000	
विश्वेश्वरैया कम्युनिटी कॉलेज उदयपुर- एलएपी		45000		-	
विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी टीएन-एलएपी		45000		-	
विवेकानंदा कॉलेज ऑफ आर्टस एंड साइंस फॉर वीमेन- एलएपी		45000		-	
यशवंतराव छावन स्कूल ऑफ सोशल वर्क महा. एलएपी		45000		-	
योगी वेमाना यूनिवर्सिटी एपी- एलएपी जी		45000		-	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा (एल.ए.पी.)		45000		45000	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्र	ङ	**38,46,300**		**55,14,000**	
अमतसारा, शिलांग एल.ए.पी. एनईआर		330000		330000	
अरूणाचल राज्य महिला आयोग (एल.ए.पी. एन.ई.आर.)		360000		660000	
दीरा गांव वन प्रबंधन, अरूणाचल प्रदेश		20000		20000	
जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम		56500		56500	
गवर्मेंट डिग्री कॉलेज त्रिपुरा- एलएपी एनईआर		46800		-	
इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मणिपुर- एल		60000		-	
इत्तेहाद सोशिओ - कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, असम		20000		20000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
कृष्ण कांत हडिक्यू स्टेट ऑपन यूनिवर्सिटी असम एलएपी एनईआर		60000		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		-		600000	
मणिपुर यूनिवर्सिटी वीमेन्स स्टडीज सेंटर इम्फाल- एलएपी जी		54000		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, एनईआर		-		487500	
मिजोरम राज्य महिला आयोग- एनईआर एल.ए.पी.		480000		780000	
नागालैंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. एनईआर		-		300000	
नन्दिनी वेल्फेयर सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		30000		30000	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता संकर, असम एनईआर		40000		40000	
रोटरी क्लब, शिलांग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एल)		510000		510000	
रूरल एरिया सर्वोदया प्रोलेटरिएट - मणिपुर - एल.ए.पी.		120000		120000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		540000		540000	
द संगीत नाट्य, मणिपुर - एल.ए.पी. एनईआर		60000		60000	
तिनसुकिया कॉमर्स कॉलेज असम एलएपी एनईआर		54000		-	
त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वीमेन स्टडीज सेंटर- एलएपी एनईआर		45000		-	
त्रिपुरा महिला आयोग अगरतला (एनईआर) एल.ए.पी.		960000		960000	
<u>पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)</u>	**(च)**	**1,65,000**		**1,65,000**	
दलित उत्थान राष्ट्रीय गर्ल्स समिति, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
जन समाधान सेवा संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
नरेन्द्र देव एजूकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र		15000		15000	
प्रतिभा, उ.प्र. - पीएमएलए		90000		90000	
<u>संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)</u>	**(छ)**	**33,44,100**		**9,28,700**	
सेन्टर फॉर वीमेन स्टडीज, असम		30000		30000	
सिटीजन अलाइंस फॉर रि-इंपावरमेंट मणिपुर एस/सी एन		200000		-	
राजनीति विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		30000		30000	
दूमदूमा कॉलेज असम- एस/सी एनईआर		177000		-	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन, ए.पी.एस/सी एनईआर		30000		30000	
इंदिरा गांधी गवर्मेंट कॉलेज अरूणाचल प्रदेश- एस/सी एनईआर		177000		-	
इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी- मणिपुर एस/सी एन		151000		-	
ईश्वरम्भा समिति संघ - एस/सी एनईआर		30000		30000	
काकोजन कॉलेज जोरहाट असम- एस/सी एनईआर		91500		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
कृष्ण कांत हंडिक्यू स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम- एस/सी एनई		95000		-	
लिब्रल कॉलेज इम्फाल- एस/सी एनईआर जी		177500		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		85000		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग - एस/सी		286000		186000	
मिजोरम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्कूल ऑफ ईएमआईएस-एस/सी एनई		200000		-	
नागालैंड राज्य महिला आयोग एस/सी एनईआर		333500		-	
नौतौमई रूरल डेवल्पमेंट एसोसिएशन (एनआरडीए) मणिपुर- एस/सी एनईआर		200000		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिश्यल एकेडमी असम एस/सी जी		127400		-	
न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी (एस/सी)		30000		30000	
न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी विलेज एंड पोस्ट एरा.असम		30000		30000	
एनआईएलओवाई असम		0		75000	
नार्थ ईस्ट नेटवर्क, असम - एस/सी एनईआर		135000		135000	
पुठीमारी कॉलेज असम-एस/सी एनईआर		1,22,500		-	
रूरल वीमेन अपलिफ्टमेन एसोसिएशन, असम		1,47,500.00		-	
एससीएस कॉलेज ऑफ अग्रीकल्चर असम- एस/सी एनईआर		1,08,000.00		-	
सिक्किम राज्य आयोग		1,72,700		1,72,700	
सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट फाउंडेशन, इम्फाल		-		75,000	
सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन, मणिपुर		-		75,000	
साउथ एशिया बम्बू फाउंडेशन - एस/सी एनईआर		30000		30000	
वीमेन्स स्टडीज सेंटर डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी असम- एस/सी एनई		1,47,500		-	
राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियां और सम्मेलन	(ज)	**1,20,000**		**1,20,000**	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया - एस/सी		90000		90000	
सोसाइटी फॉर कम्युनिटी एक्शन आं.प्र. - एस/सी एनएल		30000		30000	
क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियां / सम्मेलन	(झ)	**1,20,000**		**1,20,000**	
अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसाइटी- एस/सी		-		-	
नव भारत ग्रामीण एवं शिक्षा सोसाइटी ए.पी. - एस/सी		60000		60000	
श्री राजे शिव क्षत्रपति महाराष्ट्र - एस/सी आर		60000		60000	
संगोष्ठियां सम्मेलन - राज्य स्तरीय	(ञ)	**2,10,000**		**2,10,000**	
ए.आर. फाउंडेशन आन्ध्र प्रदेश -एस/सी		30000		30000	
बंकुरा मानस सोशल वैल्फेयर सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल-एस/सी		30000		30000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
बरबेरिया चेतना सत्संग, पश्चिमी बंगाल -एस/सी		30000		30000	
कमला नेहरू महाविद्यालय-एस/सी		30000		30000	
लोक सेवा संस्थान-एस/सी(राज्य स्तर)		30000		30000	
सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, राजस्थान एस/सी		30000		30000	
स्वावलंबन, हिमाचल प्रदेश-एस/सी		30000		30000	
कमजोर वर्ग विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी		-		-	
अन्य संगोष्ठियां एवं सम्मेलन	ट	**1,24,96,085**		**99,48,626**	
ए.सी.पी./डी.डी.ओ./एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी. नानकपुरा-एस/सी एक्स		375000		375000	
आचार्य नार्गाजुआ यूनिवर्सिटी एपी- एस/सी		1,27,500.00		-	
अधिकार ओडिशा-एस/सी		70100		70100	
आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज आंध्र प्रदेश- एस/सी		1,24,500.00		-	
अखिल मानव सेवा परिषद्-एस/सी		13950		13950	
अक्खा महादेवी वीमेन्स यूनिवर्सिटी कर्नाटक- एस/सी		1,18,250.00		-	
अखिल भारतीय महिला संघ, दिल्ली-एस/सी		30000		30000	
आल वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु- एस/सी		57000		57000	
एमेटी लॉ स्कूल, उत्तर प्रदेश(एस/सी)		153750		153750	
एमिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़		107500		107500	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग- एस/सी		20000			
अरुणोदय एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी		29624		29624	
आर्य महिला पी.जी. कॉलेज वाराणसी- एस/सी		1,27,500.00		-	
एटीएसपीएम आर्ट कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज महाराष्ट्र- एस/सी		1,27,500.00		-	
अवध एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ-एस/सी		30000		30000	
बन्नारी अम्मान इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी तमिल एस/सी		-		31125	
भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-एस/सी		-		100000	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश(एस/सी		15000		15000	
भारतीय महिला सेवा संघ गुजरात- एस/सी जी		96650		-	
भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिजिम यूपी एस/सी		120000		-	
बिहंग वैल्फेयर एसोसिएशन, गाज़ियाबाद-एस/सी		97030		97030	
बी.एल. अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड ईको, महाराष्ट्र-एस/सी		84500			
बी.एन. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस- एस/सी		1,15,000		-	
बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल गवर्मेंट आर्टएंड साइंस कॉलेज केईआर-एस/सी		114500		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ केरल -एस/सी		0		125000	
सेंटर फॉर इंट्रोप्रनशिप डेवल्पमेंट (सीईडीएमएपीओ) एमपी- एस/सी		1,19,350.00		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सब. स्टडी रांची- एस	1,14,450.00		-	
सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू- एस	1,11,000.00		-	
सेन्टर फॉर विमेंस स्टडीज अलगप्पा यूनिवर्सिटी- तमिल-एस/सी	0		91000	
सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, उदयपुर	90000		90000	
सेंटर फॉर एक्सलेंस, गवर्मेंट डिग्री कॉलेज शिमला- एस	123000		-	
छत्रपति शाहू महाराज बहुद्देशीय महाराष्ट्र-एस/सी	52125		52125	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग- एस/सी	395000		375000	
चिन्थालापति सत्यवती देवी सेंट थेरेसस कॉलेज एस/	0		85000	
सी.एम.पी. कॉलेज इलाहाबाद- एस/सी जी	87000		-	
देवोगिरी कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र- एस/सी	115000		-	
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एएमयू अलीगढ़- एस/सी	127500		-	
डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज स्कूल ऑफ मांग. पांडि. यूनि.- एस	1,40,000.00		-	
डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन क्रिमोनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस- एस/सी	1,52,500.00		-	
डेवेल्पिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर डी. यू.-एस/सी	90000		90000	
देव हरि जन कल्याण समिति यू.पी- एस/सी	87500		87500	
धरती फाउंडेशन दिल्ली-एस/सी	0		150000	
डायमंड हार्बर वीमेन यूनिवर्सिटी डब्ल्यूबी- एस/सी	107500		-	
निदेशक, माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	90000		90000	
डॉ. सोव इंदिराबाई भारस्कराव पाठक महिला कला- एस/सी	121500		-	
दुआर्शनी श्रमिक संघ, ओडिशा	9000		9000	
एजुकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी)	29000		29000	
एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी)	-		-	
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा-एस/सी	90000		90000	
ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	15000		15000	
गवर्मेंट कॉलेज मेन अननंतपुर एपी- एस/सी जी	136000		-	
गवर्मेंट डिग्री कॉलेज तडीपत्री एपी- एस/सी	128750		-	
ग्राम जीवन यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल ए.पी. एस/सी	-		101250	
ग्रामीण विकास मंच नागपुर-एस/सी	-		75000	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एस/सी	-		45500	
गुजरात राज्य महिला आयोग-एस/सी	80000		60000	
गुरू गोविंद सिंह खालसा कॉलेज पंजाब- एस/सी जी	126000		-	
हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी-एस/सी	1,43,500.00		-	
हंस राज महिला महा विद्यालय पंजाब-एस/सी	-		125000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
हरियाणा राज्य महिला-एस/सी जी	20,000.00		-	
हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनु	90000		90000	
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी-एस/सी	146223		146223	
हाई-टेक इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी यूपी एस/सी	-		150000	
एच.एम.यू. हाशमी लॉ कालेज यू.पी- एस/सी	112000		-	
एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड-एस/सी	130000		-	
हॉली क्रॉस कॉलेज नागरसिल, तमिलनाडु-एस/सी	1,00,000.00		-	
ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वैल्फेयर दिल्ली-एस/सी	30000		30000	
आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु -एस/सी	-		98750	
आईआईपीए दिल्ली-एस/सी	1,39,500.00		-	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट आईआईएम काशीपुर उत्तराखंड	-		150000	
भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र	15000		102500	
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवेल्पमेंट फॉर वर्कर	30000		30000	
जामदा झारग्राम आदिबासी क्लब डब्ल्यू.बी.- एस/सी	-		-	
जनकल्याण समिति ओडिशा-एस/सी	-		75000	
जन समाज कल्याण ग्रामोदय विकास सेवा यूपी-एस/सी	96750		-	
जवाहरलाल नेहरु इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस स्टडी तेलंगाना -एस/	88500		88500	
जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी - एस/सी	107500			
जीवन प्रकाश ट्रस्ट, गुजरात-एस/सी	30000		30000	
झारखंड राज्य आयोग-एस/सी	30000		30000	
जेएमजे कॉलेज फॉर वीमेन तेनाली एपी -एस/सी	150000		150000	
कालिंदी कॉलेज ईस्ट पटेल नगर यूनि. ऑफ दिल्ली-एस/सी	1,10,000.00		-	
कृषक अनुसूचित जाति एवं जनजाति एमपी-एस/सी	1,45,000.00		-	
काशीबाई नावेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र-एस/सी	71,250.00		-	
केशरी युवा विकास समिति, एमपी-एस/सी	-		75000	
केएलएन कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग तमिलनाडु-एस/सी	-		120000	
केएमसीएच कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी तमिलनाडु-एस/सी	-		150000	
क्रांति वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटक एस/सी	60000		60000	
कृषि महिला मंडली, नावा, आन्ध्र प्रदेश	30000		30000	
कुमार्शा रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल	15000		15000	
कुप्पम इंजीनियरिंग कॉलेज एपी-एस/सी	-		125000	
केवीएन नेक शिक्षण प्रसारक संस्था कॉलेज एस	-		125000	
लक्ष्मी नारायण कॉलेज ओडिसा-एस/सी जी	1,31,500.00		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
माँ गौरिया शिक्षण एवं प्रशिक्षण सोसाइटी. छत्तीस.-एस	-		70000	
मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क-एस/सी जी	92500		-	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई-एस/सी	117000		-	
महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी -एस/सी	-		22000	
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी एस/सी	130000		125000	
मनोंमनिम सुन्दरानर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु-एस/सी	-		50000	
माता मांती समाज सेवा संस्थान बिहार- एस/सी	49700		49700	
माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	30000		30000	
मेडिवर्ल्ड एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली-एस/सी जी	137500		-	
मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी टीएन-एस/सी	182375		-	
एम.एस. भगत एंड सीएस सोनावाल लॉ कॉलेज सरदार पटेल यूनि.-एस	1,07,000.00		-	
एमएसपी मंडल्स यशवंतराव चव्हाण आर्ट्स महाराष्ट्र-एस/सी	0		92500	
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु,-एस/सी	0		150000	
नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एमपी-एस/सी	134900		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगाल-एस/सी	111000		-	
नेशनल यूनि. ऑफ स्टडीएंड रिसर्च इन लॉ एनयूएसआरएल रांची-एस/सी	1,60,000.00		-	
नवरासम आर्ट एंड साइंस कॉलेज फॉर वीमेन टीएन-एस/सी	1,05,000.00		-	
एन.ए.डब्ल्यू.ओ., मार्फत डा. पाम राजपूत वूमेन रिसोर्स, चंडीगढ़	200000		200000	
आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, 33वां क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस, जम्मू-कश्मीर	90000		90000	
पहल वैल्फेयर सोसाइटी, हरियाणा-एस/सी	30000		30000	
पंचायती रूल एंड जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग देहरादून एस	-		50000	
पारुल इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ पारुल यूनिवर्सिटी, गुजरात-एस/सी	-		75000	
पीस रिकांसिलिएशन मिनिस्ट्रीज़, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी-एस/सी	-		100800	
प्रयास वोलंटरी आर्गेनाईजेशन ओडिशा- एस/सी	-		-	
परिक्रमा महिला समिति(एस/सी)	-		-	
प्रिंसिपल कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु,-एस/सी	-		100000	
प्रिंसीपल, मध्य प्रदेश सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30000		30000	
प्रिंसिपल एम.एस रमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक. बेंगलोर-एस/सी	-		92750	
पीएसजीआर कृष्णाम्मल कॉलेज फॉर वीमेन टीएन-एस/सी	60,000.00		-	
पुडुचेरी वीमेन्स कमीशन-एस/सी जी	1,00,000.00		-	
पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला-एस/सी	1,11,500.00		-	
राजीव गांधी चेयर इन कन्टैंप.एस/टी बारातु.यूनिवर्सिटी.एस/सी	-		237750	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान	30000		30000	
रामपुर समाज सेवा समिति-एस/सी जी	1,42,500		-	
राशिदा बेगम महिला महाविद्यालय अमरोहा-एस/सी	1,00,500		-	
आर.के. एच.आई.वी. एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुम्बई	30000		30000	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट उत्तराखंड - एस/सी	-		50000	
सद्भावना समन्वय संस्थान-यू.पी. एस/सी	45000		45000	
सखी केन्द्र-एस/सी	60000		60000	
समाज कल्याण फाउंडेशन-एस/सी	97,500		-	
सम्मति सामाजिक समिति, मध्य प्रदेश	15000		15000	
सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान यू.पी.-एस/सी	-		-	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9000		9000	
संस्कार कॉलेज ऑफ़ साइंस एंड कॉमर्स तमिलनाडु-एस/सी	-		80000	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति उत्तराखंड-एस/सी	30000		30000	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल, तमिल.-एस/सी	-		129000	
सतत बस्ती विकास केंद्र दिल्ली-एस/सी जी	145000		-	
एस.बी. कॉलेज ऑफ लॉ यूपी-एस/सी	100500		-	
शाहजी लॉ कॉलेज कोल्हापुर-एस/सी	-		106750	
शोभित यूनिवर्सिटी, गैंगोह, आदर्श इंस्टीट्यूट एरिया यूपी-एस/सी	1,18,250.00		-	
श्री गिरिराज जी महाराज, शिक्षा, उत्तर प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
सिलदा स्वास्ति उन्नयन समिति, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल	30000		30000	
एस के शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान राजस्थान-एस	-		75000	
सोशल एंड कल्चर एडवांसमेंट फाउंडेशन-एस/सी	1,00,000.00		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
सोसाइटी फॉर हैल्थ एंड एजूकेशन डेवेल्पमेंट, हैदराबाद	15000		15000	
श्री सरस्वती थयांगराज कॉलेज- एस/सी	67,500.00		-	
सृजन, लखनऊ-एस/सी	-		50000	
सृजन संस्थान इलाहाबाद-एस/सी	75000		75000	
सेंट अगनेस कॉलेज कर्नाटक-एस/सी	-		99500	
सेंट अननस कॉलेज फॉर वीमेन हैदराबाद तेलेंगाना-एस/सी	-		75000	
स्टार यूथ एसोसिएशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	10000		10000	
सेंट ग्रिगेरीअस कॉलेज केरल-एस/सी	85500		-	
सेंट पॉल्स कॉलेज केरल-एस/सी	92,750		-	
सेंट ज़ेवियरस कॉलेज महाराष्ट्र-एस/सी	-		50000	
सुजीत शिक्षा समिति राजस्थान-एस/सी	142500		-	
सुप्रतिवा फ़क़ीरपड़ा, बिरिबती ओडिशा- एस/सी	-		120000	
सुरूचि कलाकेन्द्र, बिहार-एस/सी	30000		30000	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु - एस/सी	62500		62500	
एस. वी. एजूकेशनल सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
स्वामी स्वतंत्रतानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब-एस/सी	120000		-	
स्वास्तिका महिला विकास संस्थान यूपी-एस/सी	137500		-	
तमिलनाडु राज्य महिला आयोग -एस/सी	220208		-	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई-एस/सी	-		771049	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग एपी-एस/सी	20000		-	
पुलिस आयुक्त, पुणे-एस/सी	30000		30000	
द होली फेथ एजूकेशनल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	50000		50000	
थेइवनल अम्मल कॉलेज फॉर वीमेन चेन्नई-एस/सी	-		71000	
यूनि. 5 यर्स लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान-एस/सी	104900		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
कश्मीर विश्वविद्यालय, जेएंडके-एस/सी		-		125000	
मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक-एस/सी		-		85650	
उत्कल यूथ एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट यू.पी. एस/सी		44750		44750	
उत्तराखंड ऑपन यूनिवर्सिटी-एस/सी जी		115000		-	
उत्तराखंड राज्य आयोग-एस/सी जी		20000		-	
वेश आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय झझर-एस/सी		-		125000	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश		15000		15000	
विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूपी-एस/सी जी		120000		-	
पश्चिमी बंगाल महिला आयोग-एस/सी		60000		60000	
विमेंस स्टडीज भरथिएअर यूनिवर्सिटी-तमिलनाडु-एस/सी		-		137500	
योगेश्वरी महाविद्यालय महाराष्ट्र-एस/सी		105000		105000	
योगी वर्माना यूनिवर्सिटी एपी-एस/सी		117500		-	
योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-एस/सी		600000		600000	
विशेष अध्ययन/ अनुसंधान अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	ठ	**25,83,127**		**23,16,127**	
असम विश्वविद्यालय-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		398040		131040	
चंद्रप्रभा सैकिंनी सेन्टर फॉर वीमेन, असम		285000		285000	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वैल्फेयर एसोसिएशन, असम- पूर्वोत्तर क्षेत्र		36600		36600	
इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मणिपुर		289800		289800	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र		37065		37065	
जन समृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32350		32350	
मेघालय राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		182364		182364	
मिज़ोरम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर		492000		492000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, आइजोल		300000		300000	
ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट -ए सोशल चेंज		48000		48000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		61908		61908	
विवेकानंद केंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर असम		420000		420000	
कानूनों की समीक्षा	ड	**6,56,115**		**2,36,906**	
संकायाध्यक्ष , विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय		236906		236906	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी- रिव्यू ऑफ लॉ		116528		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगाल-रिव्यू ऑफ लॉ		127431		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक-रिव्यू ऑफ लॉ		175250		-	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता-निर्माण	ढ	**1,22,09,526**		**1,22,09,526**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान		10665270		10665270	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टी.आई.एस.एस.)-पंचायती		1544256		1544256	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता-निर्माण-एन.ई.आर.	ण	**11,08,260**		**11,08,260**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		1108260		1108260	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
1) भूमि	35,53,443	-	35,53,443	
2) फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,10,59,364	-	1,14,03,110	
3) मशीनरी एवं उपस्कर	4,15,39,705	-	4,84,78,047	
4) कम्प्यूटर	22,42,477	-	31,30,180	
5) यान	19,91,319	-	15,83,703	
6) पुस्तकें एवं प्रकाशन	64,838	-	43,009	
7) भवन	8,93,78,452		9,93,09,391	
	14,98,29,598	**-**	**16,75,00,883**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

रकम रूपयों में

	सकल ब्लाक					अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	कटौतिया	समायोजन	अंतिम अतिशेष	आरंभिक अतिशेष पर (*)	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल अवक्षयण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
										-	
नियत आस्तियां										-	
भूमि	35,53,443			-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	35,53,443
भवन	9,93,09,391	-	-	-	9,93,09,391.00	99,30,939.00	-	-	99,30,939.00	8,93,78,452.00	9,93,09,391
संयंत्र एवं. मशीनरी	4,84,78,047	3,84,173.00	-	1,815.00	4,88,64,035.00	72,71,707.00	52,623.00		73,24,330.00	4,15,39,705.00	4,84,78,047
यान	15,83,703	6,97,482.00	-	-	22,81,185.00	2,37,555.00	52,311	-	2,89,866.00	19,91,319.00	15,83,703
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,14,03,110	8,66,484.00	-	6,291.00	1,22,75,885.00	11,40,311.00	76,210.00		12,16,521.00	1,10,59,364.00	1,14,03,110
कम्प्यूटर	31,30,180	6,58,500.00	51,219.00		37,37,461.00	12,52,072.00	2,42,912.00		14,94,984.00	22,42,477.00	31,30,180
पुस्तकें एवं प्रकाशन	43,009	31,767.00	-	69,837.00	1,44,613.00	17,204.00	62,571.00	-	79,775.00	64,838.00	43,009
चालू वर्ष का कुल	**16,75,00,883**	**26,38,406**	**51,219**	**77,943**	**17,01,66,013**	**1,98,49,788**	**4,86,627**	**-**	**2,03,36,415**	**14,98,29,598.00**	**16,75,00,883**

अवक्षयण संगणना

फर्नीचर एवं फिक्सचर		**प्रकाशन**		**मशीनरी**	
	63,945.00	28522/- रूपये (23103+1204+4215 रूपये) पर पूर्ण अवक्षयण	11408	2019-20 (सितं, 19 तक) 3,13,655/- रूपये और 1596/- रूपये के क्रय पर प्रभारित पूर्ण अवक्षयण	47,288
2019-20 (सितं, 19 तक) 639454/- रूपये के क्रय पर प्रभारित पूर्ण अवक्षयण					
वर्ष 2019-20 के लिए 227030/- रूपये पर प्रभारित आधा अवक्षयण	11,352	4449/- रूपये पर आधा अवक्षयण	890	वर्ष 2019-20 के लिए 70518/- रूपये पर प्रभारित आधा अवक्षयण	5,289
वर्ष 2019-20 में 2018-19 के लिए (प्रभारित आधा अवक्षयण) और पूर्ण अवक्षयण 6291/- रूपये पर अवक्षयण	913	वर्ष 2017-18 के लिए खरीदी गई पुस्तकों पर पूर्व अवधि अवक्षयण	38034	219 पर अवक्षयण	46
कुल	**76,210**	वर्ष 2019-20 के लिए 2017-18 में पुरानी खरीदी गई पुस्तकों का अवक्षयण	12239		
				जोड़ पर कुल अवक्षयण	**52,623**
		कुल अवक्षयण	**62,571.00**		

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची-9 - निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश				**शून्य**	
अनुसूची-10 - निवेश-अन्य				**शून्य**	
अनुसूची-11- चालू आस्तियां, उधार एवं अग्रिम					
क. ***चालू आस्तियां***					
1) तालिकाएं			8,14,321.00		12,99,028.00
2) नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-	-	
3) शेष बची डाक टिकटें			2,78,868.00		2,99,541.00
4) बैंक अतिशेष:-					
	अनुसूचित बैंकों के पास बचत खाते पर	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00	1,37,21,816.00	25,58,699.00
5) नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूलीय उधार, अग्रिम और अन्य रकम:-		-	-	-	-
6) पूर्व संदत्त व्यय			-	-	4,215.00
7) मार्च, 2020 मास के लिए प्रोद्भुत ब्याज		4,11,868.00	-	88,983.00	
8) विविध देनदारियां		1,50,000.00	-	1,50,000.00	
	क	**2,57,22,740.00**	**1,28,65,099.00**	**1,39,60,799.00**	**41,61,483.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
ख ***उधार एवं अग्रिम***					
साधारण सहायता अनुदान के अधीन(2235.02.103.71.01.31)	ख	**5,39,18,746.00**		**14,85,56,838.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम(भ+म+य)		**-**		**58,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(भ)		-		58,000.00	
मृदुल भट्टाचार्य		-		25,000.00	
आर.सी.मिश्रा		-		15,000.00	
विनोद कुमार, एलडीसी		-		10,000.00	
नीलम, परामर्शदाता		-		8,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम		**1,18,15,201.00**		**5,92,30,287.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी., विज्ञापन(अग्रिम)		1,15,09,064.00		5,89,81,450.00	
संपादक, रोजगार समाचार, अग्रिम विज्ञापन		55,037.00		55,037.00	
पीएओ एम/ओ इंफोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग		1,51,100.00			
संस्कृता भारती दिल्ली		1,00,000.00			
रोजगार समाचार		-		1,93,800.00	
श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम		**3,83,31,556.00**		**3,30,60,834.00**	
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय		76,31,100.00		1,95,41,461.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम -श्रव्य दृश्य अग्रिम		11,97,291.00		1,35,19,373.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम -श्रव्य दृश्य अग्रिम		1,57,33,386.00		-	
प्रसार भारती		1,37,69,779.00			
संगठन/राज्य आयोग/गैर-सरकारी संगठन को अग्रिम		**18,53,489.00**		**2,02,05,684.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन					
स्वरलिपि स्वागत भवन, मुम्बई		-		4,50,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग		2,00,000.00		2,00,000.00	
गुजरात राज्य आयोग		94,170.00		-	
हरियाणा राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		1,00,000.00	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग		-		1,00,000.00	
तमिलनाडु राज्य आयोग		2,00,000.00		2,00,000.00	
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस		12,59,319.00		1,91,55,684.00	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
संगोष्ठियों के लिए अग्रिम		**5,18,500.00**		**5,00,033.00**	
सहायक निदेशक, संपदा-एस/सी अग्रिम		30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लारी कंपनी लि. अग्रिम-संगोष्ठी		3,00,000.00		3,00,000.00	
जिमखाना क्लब		-		18,000.00	
भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र		0.00		38,819.00	
इंडिया अहेड न्यूज प्राइवेट लिमिटेड		1,00,000.00			
प्रवासी भारतीय केंद्र		88,500.00			
आई. टी.डी.सी.		0.00		44,514.00	
स्कोप कॉम्प्लेक्स, एमएमओ, खाता -संगोष्ठी अग्रिम		0.00		68,700.00	
विधि के पुनर्विलोकन के लिए अग्रिम		**8,00,000.00**		**8,00,000.00**	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी		1,00,000.00		1,00,000.00	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटी, बैंगलोर		700000.00		700000.00	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम		**600000.00**		**0.00**	
केंद्रीय विद्यालय संगठन, जेएनयू कैम्पस		600000.00		0.00	
पंचायती राज क्षमता निर्माण के लिए अग्रिम		**0**		**2,00,00,000.00**	
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट				20000000	
अन्य अग्रिम		**0.00**		**1,47,02,000.00**	
सी.पी.डब्ल्यू.डी. (अग्रिम)				1,47,02,000.00	
साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.35.00.31)	**ग**		**55,518.00**	**-**	**17,83,637.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**44,365.00**		**17,72,484.00**
कार्यालय व्यय			**10,000.00**	**-**	**30,000.00**
आर.सी.मिश्रा			-		10,000.00
बर्नाली शोम, अवर सचिव			10,000.00		
राजकरन, परामर्शदाता			-		10,000.00
मृदुल भट्टाचार्य			-		10,000.00

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
यात्रा व्यय			**33,000.00**	**-**	**60,000.00**
कर्मचारियों को अग्रिम					
रेखा शर्मा, अध्यक्षा			5000.00		5000.00
चंद्रमुखी देवी, सदस्य			-		25,000.00
श्यामला एस.कुंदर, सदस्य			25,000.00		25,000.00
नेहा सिंह, जेटीई			3,000.00		
वरूण छावड़ा, परामर्शदाता			-		5,000.00
पेट्रोल के लिए अग्रिम			**1,365.00**		**1,365.00**
बी.एस. रावत			1365.00		1365.00
मशीनरी की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए अग्रिम			**-**		**16,81,119.00**
ब्लू स्टार			-		4,05,519.00
एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड			-		12,75,600.00
ओ.एम.सी.ए.			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00		11,153.00
एन.ई.आर. सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)	घ	**2,12,19,658.00**		**2,18,32,012.00**	**-**
संगठन/राज्य आयोग/गैर-सरकारी संगठन को अग्रिम		**29,77,750.00**		**36,55,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (एनईआर)		**25,77,750.00**		**32,55,000.00**	**-**
समाज कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार		4,40,000.00		4,40,000.00	-
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ, असम		-		2,70,000.00	-
पुडुचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	-
मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	-
अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		1,00,000.00	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		2,18,000.00		1,44,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग		51,000.00		51,000.00	
मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी		34,750.00			
सिक्किम राज्य महिला आयोग		-		6,00,000.00	
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैम्पस		84,000.00			
रोटरी क्लब, शिलांग		9,00,000.00		9,00,000.00	-

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण, पूर्वोत्तर के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विधिक जागरुकता कार्यक्रम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	-
रोटरी क्लब, शिलांग- पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		4,00,000.00	-
विज्ञापन के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**44,28,428.00**		**1,73,29,112.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		13,44,231.00		1,25,05,155.00	
प्रसार भारती		30,84,197.00		48,23,957.00	
श्रव्य दृश्य और प्रचार के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**1,38,13,480.00**		**8,47,900.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		8,47,900.00		8,47,900.00	
नेशनल फिल्म डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन		82,44,000.00			
प्रसार भारती (बीसीआई)		4721580.00			
कुल ङ (ख+ग+घ)		**7,51,38,404.00**	**55,518.00**	**17,03,88,850.00**	**17,83,637.00**
प्रतिभूति जमा	**च**	**38,160.00**	**29,000.00**	**38,160.00**	**21,500.00**
कुल क+ङ+च		**10,08,99,304.00**	**1,29,49,617.00**	**18,43,87,809.00**	**59,66,620.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूची 12 - वेतन एवं सेवाओं से आय	**शून्य**		**शून्य**	

अनुसूची 13 - अनुदान

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) केंद्रीय सरकार				
अनुदान	13,82,74,960.00	7,48,12,446.00	16,03,76,449.00	6,30,43,501.00
घटाएं :- पूंजीकृत सहायता अनुदान की रकम	27,16,349.00	-	45,74,420.00	-
कुल अनुदान	**13,55,58,611.00**	**7,48,12,446.00**	**15,58,02,029.00**	**6,30,43,501.00**

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शूल्क / अभिदान	-	-	-	-
3) सूचना का अधिकार शुल्क	-	5,224.00	-	5,200.00
		-		-
		5,224.00		**5,200.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूची 15 - निवेश से आय		शून्य		शून्य
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		शून्य		शून्य

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) बचत बैंक खाता पर				
क) अनुसूचित बैंक में	49,486.00	27,733.00	58,237.00	20,601.00
ख) एमओडी(स्वीप खाते) से ब्याज	24,55,956.00	13,76,407.00	10,03,535.00	3,54,988.00
2) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
3) अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4) एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
	25,05,442.00	**14,04,140.00**	**10,61,772.00**	**3,75,589.00**

अनुसूची 18 - अन्य आय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) पुनरांकित देयताएं	83,28,344.00	60,082.00	33,81,543.00	49,485.00
2) विविध आय	-	49,751.00	54,231.00	1,53,761.00
3) अवधि पूर्व विविध आय	19,33,472.00	25,180.00	13,76,693.00	-
	1,02,61,816.00	**1,35,013.00**	**48,12,467.00**	**2,03,246.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

अनुसूची 19 - तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
	शून्य		शून्य	
क) बंद स्टाक		शून्य		शून्य
ख) कम: आरंभिक स्टाक		शून्य		शून्य
कुल बढोत्तरी (कमी) (क-ख)				-

अनुसूची 20 - स्थापना ब्याज

(रकम रूपयों में)

			चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
			सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1	वेतन :-					
	अध्यक्ष एवं सदस्य	(17655399-1464840{संदेय})	-	1,61,90,559.00	-	69,43,015.00
	अधिकारी	(12635348-1180841{संदेय})	-	1,14,54,507.00	-	1,23,97,561.00
	कर्मचारी	(8786908-692943{संदेय})	-	80,93,965.00	-	1,11,01,475.00
2	मजदूरी		2,91,45,647.00	-	3,04,68,170.00	-
	मार्च,2020 मास के लिए संदेय मजदूरी		21,97,698.00		25,77,208.00	
3	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	एल.एस.सी./ पी.सी.	-	15,89,319.00	-	21,84,373.00
4	वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान		23,62,543.00	-	50,31,980.00	-
	व्यासायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान मार्च, 2020 मास के लिए संदेय		2,22,298.00		1,57,548.00	
5	सीजीएचएस संदेय			5,86,274.00		
6	मार्च, 2020 माह में देय वेतन			22,74,176.00		23,68,711.00
7	मार्च, 2020 माह में देय वेतन विप्रेषण			10,64,448.00		7,72,333.00
			3,39,28,186.00	**4,12,53,248.00**	**3,82,34,906.00**	**3,57,67,468.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी | **सदस्य सचिव**

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
विज्ञापन व्यय	5,56,86,855.00	-	10,21,482.00	-
मुद्रण	12,51,294.00	-	6,57,983.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	43,19,285.00	-	75,05,506.00	-
विशेष अध्ययन	9,09,126.00	-	9,33,908.00	-
कानूनों की समीक्षा	3,12,196.00	-	1,57,685.00	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-	-	-
नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को रकम	-	-	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि	2,68,87,443.00	-		-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण		-	7,273.00	-
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण के लिए क्षमता निर्माण	-	-	-	-
बट्टे खाते व्यय		-	13.00	-
रा.म.आ. का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग		-	6,15,196.00	-
पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण	-	-	-	-
कार्यालय व्यय	-	2,67,75,176.00	-	2,01,14,630.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	28,51,984.00	-	8,73,752.00
टेलीफोन	-	4,96,115.00	-	4,75,495.00
यात्रा व्यय	-	58,37,905.00	-	21,60,300.00
लेखापरीक्षा शुल्क	-	1,50,000.00	-	1,50,000.00
बैंक प्रभार	-	45,446.00	-	50,988.00
पैट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	-	8,75,691.00	-	10,75,342.00
किराया, दरें और कर	-	2,76,480.00	-	2,76,480.00
मुकदमेंबाजी	-	1,93,500.00	-	19,800.00
दवाईयां	-	2,35,913.00	-	2,09,436.00
पूर्व अवधि व्यय	(8,320.00)	(63,332.00)		
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि एनईआर		-		-
विज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,29,00,684.00	-		-
मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
विधिक जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	18,059.00	-	40,577.00	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
	10,22,76,622.00	**3,76,74,878.00**	**1,09,39,623.00**	**2,54,06,223.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 22 - व्यय अनुदान, सहायिकी आदि

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
साधारण सहायता अनदान के अधीन 2235.02.103.71.01.31)				
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	1,02,31,018.00	-	69,29,800.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	6,06,67,693.00	-	96,96,795.00	-
विशेष अध्ययन	1,34,14,945.00	-	1,43,44,800.00	-
विधि की समीक्षा	8,38,418.00	-	-	-
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य आयोगों के साथ नेटवर्किंग और टेलीकांफ्रेंसिंग	23,44,731.00	-	-	-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण	22,30,693.00	-	3,84,557.00	-
क	**8,97,27,498.00**	-	**3,13,55,952.00**	-
एनईआर सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)				
विधिक जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	6,67,500.00	-	52,63,818.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	80,04,591.00	-	23,77,700.00	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,45,000.00	-	14,58,000.00	-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण-एनईआर	3,00,000.00	-		
ख	**94,17,091.00**	**-**	**90,99,518.00**	
कुल (क+ख)	**9,91,44,589.00**	-	**4,04,55,470.00**	

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 23 - ब्याज	**शून्य**	**शून्य**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2020 को प्राप्ति एवं संदाय का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-26 - स्थापन व्यय

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन	सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन
1	वेतन:-				
	अध्यक्ष एव. सदस्य	-	3,88,80,075.00	-	3,30,99,560.00
	अधिकारी				
	स्टाफ				
2	मजदूरी	3,17,22,855.00	-	3,04,68,170.00	-
3	अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय				
4	अन्य निधियों में अभिदाय				
	एल.एस.सी.	-	15,89,319.00	-	21,84,373.00
	पी.सी.				
5	वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान	25,46,231.00	-	45,00,645.00	-
		3,42,69,086.00	**4,04,69,394.00**	**3,49,68,815.00**	**3,52,83,933.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 27 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	***साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)***		
	विज्ञापन व्यय	35,83,120.00	2,10,02,932.00
	मुद्रण	12,51,294.00	6,57,983.00
	संगोष्ठी और सम्मेलन	43,16,181.00	67,95,945.00
	विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन	9,09,126.00	12,41,971.00
	कानूनों की समीक्षा	2,65,829.00	1,57,685.00
	श्रव्य एवं दृश्य प्रचार	3,21,58,165.00	-
	पूर्व संदत्त प्रकाशन व्यय	-	4,215.00
	महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-	-	7,273.00
	राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग	23,44,731.00	6,15,196.00
	नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां	-	-
	क	**4,48,28,446.00**	**3,04,83,200.00**
2	***साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.35.00.31)***		
	कार्यालय व्यय	2,64,76,993.00	2,13,38,082.00
	मरम्मत एवं अनुरक्षण	11,70,865.00	25,54,871.00
	टेलीफोन	4,94,207.00	4,77,200.00
	यात्रा व्यय	57,95,525.00	22,20,300.00
	लेखापरीक्षा फीस	1,48,380.00	2,50,515.00
	बैंक प्रभार	51,884.00	41,972.00
	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	8,05,516.00	10,75,342.00
	किराया, शुल्क एवं कर	2,76,480.00	2,76,480.00
	चिकित्सा	2,34,046.00	2,09,436.00
	मुकदमेबाजी	1,93,500.00	19,800.00
	ख	**3,56,47,396.00**	**2,84,63,998.00**

3 ***पूर्वोत्तर क्षेत्र सहायता-अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)***

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विज्ञापन			1,11,60,924.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		28,309.00	40,577.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		-	-
श्रव्य एवं दृश्य प्रचार		1,29,65,580.00	-
मुद्रण		-	-
	ग	**1,29,93,889.00**	**1,12,01,501.00**
साधारण सहायता- अनुदान और एनईआर के अधीन कुल व्यय (क+ग)		**5,78,22,335.00**	**4,16,84,701.00**
साधारण सहायता- अनुदान के अधीन कुल व्यय (2235.02.103.35.00.31) (ख)		**3,56,47,396.00**	**2,84,63,998.00**

अनुसूची 28 - विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान

साधारण सहायता- अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)

(रकम रुपयों में)

विधिक जागरुकता कार्यक्रम		76,05,150.00	1,01,24,793.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		3,85,69,837.00	3,27,47,956.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		84,91,499.00	1,08,65,380.00
पी.एम.एल.ए.		-	-
महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण		12,38,618.00	2,34,557.00
पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण			2,00,00,000.00
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग		-	-
विधियों की समीक्षा		4,19,209.00	8,00,000.00
नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां		-	-
	घ	**5,63,24,313.00**	**7,47,72,686.00**
पूर्वोत्तर क्षेत्र सहायता-अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)			
विधिक जागरुकता कार्यक्रम		16,37,322.00	42,66,563.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		49,01,691.00	21,02,250.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		1,78,000.00	9,47,970.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण- एन.ई.आर.		2,85,360.00	
	ङ	**70,02,373.00**	**73,16,783.00**
साधारण सहायता- अनुदान और एनईआर के अधीन कुल व्यय (घ+ङ)		**6,33,26,686.00**	**8,20,89,469.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

विप्रेषण अनुसूची 29

(रकम रुपयों में)

शीर्ष	चालू वर्ष परिवर्धन	चालू वर्ष विप्रेषित रकम	पूर्व वर्ष परिवर्धन	पूर्व वर्ष विप्रेषित रकम
सामान्य भविष्य निधि	31,70,446.00	31,70,446.00	42,89,404.00	42,89,404.00
सामान्य भविष्य निधि अग्रिम			10,500.00	10,500.00
अनुज्ञप्ति फीस	2,37,760.00	2,37,760.00	2,54,458.00	2,54,458.00
आयकर	60,45,973.00	60,45,973.00	39,42,500.00	39,42,500.00
सी.जी.एच.एस.	1,73,750.00	1,73,750.00	1,69,300.00	1,69,300.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	9,490.00	9,490.00	13,523.00	13,523.00
गृह निर्माण अग्रिम			-	-
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज			25.00	25.00
एम.सी.ए. +(ब्याज)	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
त्यौहार अग्रिम	-	-	2,700.00	2,700.00
कम्प्यूटर अग्रिम	-	-	9,000.00	9,000.00
सी.पी.एफ. अंशदान	1,44,617.00	1,44,617.00	86,262.00	86,262.00
ई.पी.एफ.	-	-	58,390.00	58,390.00
दान	-	-	7,300.00	7,300.00
प्रधानमंत्री राहत कोष	-	-	93,488.00	93,488.00
स्रोत पर कर कटौती	12,77,364.00	12,77,364.00	10,80,034.00	10,80,034.00
जीएसटी पर स्रोत पर कर कटौती	4,70,151.00	4,70,151.00	2,19,608.00	2,19,608.00
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम	1,17,349.00	1,17,349.00	2,04,318.00	2,04,318.00
सहकारिता सोसाइटी ऋण	-	-	54,900.00	54,900.00
सहकारिता सोसाइटी शेयर	-	-	3,000.00	3,000.00
आधिक्य की वसूली संदाय	-	-	3,456.00	3,456.00
जीवन बीमा कंपनी	-	-	6,417.00	6,417.00
अन्य वसूली-जे.ए.एस.ए. मासिद निधि और जल प्रभार	25,864.00	25,864.00	5,960.00	5,960.00
कुल	**1,16,84,164.00**	**1,16,84,164.00**	**1,05,25,943.00**	**1,05,25,943.00**

अनुसूची 30

बैंक अतिशेष का विवरण

	सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	कुल बैंक अतिशेष
1 इंडियन बैंक	2,51,60,872.00	1,17,71,910.00	3,69,32,782.00
			3,69,32,782.00

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीय स्वशासी निकायों (अलाभकारी संगठन और समरूप संस्था) के लिए विहित प्ररूप में प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं ।

2. निवेश

2.1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और तारीख 31 मार्च, 2020 तक शेष शून्य है ।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों का उल्लेख अर्जन की कुल लागत के अनुसार किया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं की बाबत, जिसमें निर्माण अंतर्वलित है, संबंधित प्रचालन–पूर्व व्यय पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग गठित करते हैं।

3.2. वित्तीय वर्ष 2018–19 से एन.बी.सी.सी. को भवन के निर्माण मद्धे संदेय 50,13,968/– रुपए की रकम 'भवन शीर्ष' में पूंजीकृत की गई है ।

3.3 नियत आस्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/दान दी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं और उन्हें अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है ।

4. अवक्षयण

4.1 अवक्षयण की गणना आय–कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य के आधार पर की गई है ।

5. सरकारी अनुदान/सहायिकी

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया गया है ।

वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–25

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे– **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)**

1.2 निम्नलिखित की बाबतः

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण–पत्र–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)**

– आयोग के पास बट्टे खाते पर संदेय बिल–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें

– आयकर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

– विक्रय कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

– नगरपालिका कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

वर्ष 2018–19 के लिए तुलनपत्र में रूपये 1,47,02,000/– की राशि सीपीडब्ल्यूडी के विरूद्ध कार्यालय भवन निर्माण के बाबत अग्रिम दिखाया गया है जो कि सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा वापस किया जा चुका है। उस राशि को डब्ल्यूसीडी मंत्रालय को वित्त वर्ष 2019–2020 में सौंप दिया गया है। इसलिए पूंजीगत प्रतिबद्धताएं 'शून्य' समझी जाए।

3. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम का मूल्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्तियों पर आधारित है, जो कि कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है ।

4. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

5. **विदेशी मुद्रा में संव्यवहार**

5.1 **सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयातों का मूल्य:**

तैयार माल का क्रय	–शून्य
कच्ची सामग्री और संघटक (मार्गस्थ सहित)	–शून्य
पूंजीगत माल	–शून्य
भंडार, फालतू पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	–शून्य

5.2 **विदेशी मुद्रा में व्यय:**

(क)	यात्रा	–शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन प्रेषण और ब्याज का भुगतान	–शून्य
(ग)	अन्य व्यय	–शून्य
	विक्रय पर कमीशन	–शून्य
	विधिक और वृत्तिक व्यय	–शून्य
	विविध व्यय	–शून्य

5.3 **उपार्जन:**

एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य	–शून्य

6. वित्तीय विवरणों का पेश किया जाना महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिए गए विहित हमारे आयोग को लागू प्ररूप पर आधारित है।

7. कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और संचित छुट्टी नकदीकरण फायदों में कोई दायित्व लेखा बहियों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वशासी निकाय है। इस संगठन के अपने स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। सभी कर्मचारी या तो केन्द्रीय सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर है या कर्मचारी आकस्मिक/संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन संदेय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:.

क्रम सं.	विशिष्टियां	साधारण सहायता अनुदान और एनईआर (रु.)	वेतन सहायता अनुदान और साधारण सहायता अनुदान (रु.)
1.	वर्ष के आरंभ में खर्च न किया गया शेष अनुदान	1,37,21,816	25,58,699
2.	वर्ष के आरंभ में खर्च न की गई नकदी शेष	--	--
3.	वर्ष के आरंभ में हस्तगत अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	--	2,99,541
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	14,97,78,000	8,39,41,000
5.	वर्ष के अंत में अनुदान का अप्रयुक्त शेष (जिसमें विविध प्राप्तियां भी हैं)	2,51,60,872	1,17,71,910
6.	वर्ष के अंत में खर्च न किया गया नकद शेष	--	--
7.	वर्ष के अंत में हस्तगत अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	--	2,78,868

9. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 की आपत्तियां के पैरा सं. क.1 पर दी गई है जिन्हें नोट कर लिया गया है। बकाया देनदारियों को शीघ्र से निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित संगठनों को अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं।

10. एस.ए.आर लेखा परीक्षा 2018—19 के पैरा सं ख.1 में 1721.72 लाख रूपये के अग्रिम में से 31.03.2020 तक 1409.16 लाख रूपये समायोजित किया जा चुका है। शेष बकाया अग्रिम को जल्दी वापस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

11. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 की आपत्तियां पैरा सं. 1 में दी गई है जिन्हें काल बाधित चैक को रद्द करके उसे बैंक शेष में क्रेडिट करके पूरा किया जा चुका है।

12. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 उपाबंध के पैरा सं. 3 में दी गई आपत्तियां 0.06 लाख रूपये (फर्नीचर—6,291/—रूपये और मशीन व उपकरण 219/—रूपये) की स्थाई सम्पत्ति को पूंजीकरण करके पूरा किया गया है।

13. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 के अनुलग्नक के पैरा सं. 4 में की गई आपत्ति को 0.69 लाख रूपये की पुस्तकों का पूंजीकरण करके अनुपालन किया गया है।

14. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 के उपाबंध के पैरा सं. 5 में जो टिप्पणी की गई है, 0.03 लाख रूपये की स्थाई सम्पत्ति का पूंजीकरण करके अनुपालन किया गया है।

15. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018—19 के उपाबंध के पैरा सं. 6 में 27,900/— रूपये के विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एनईआर) (अनुदान एनईआर) को नामे डालकर उसी राशि को विधिक जागरूकता कार्यक्रम (अनुदान सामान्य) में जमा करके अनुपालन किया गया है।

16. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2018–19 के उपाबंध के पैरा सं. 7 में दी गई टिप्पणी 12.34 लाख रूपये पुराने चैक की देनदारी नामे डालकर उसी राशि को लिखित वापस जमा करके अनुपालन किया गया है।

17. अनुसूची 1 से अनुसूची 30 और आय और व्यय लेखा वर्ष 2019–20 इस तुलनपत्र का अभिन्न अंग के तौर पर संलग्न है।

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य–सचिव**

अध्याय – 17

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू) की 31 मार्च, 2020 को संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्–पृथक् प्रतिवेदित किया गया है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों की रकमों और प्रकटनों का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमारी लेखापरीक्षा पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं किः

i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय/प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा विहित प्रारूप में तैयार किए गए है;

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है।

iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं किः

क. तुलनपत्र

क.1 दायित्वः

क.1.1 वर्तमान दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7) 1259.29 लाख रूपये

क.1.1.1 संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठन को संदेय रकम के रूप में 758.62 लाख रुपये (649.80 लाख रुपये 108.82 लाख रुपये) की रकम दर्शित की गई है। इसके लिए प्रस्तुत किए गए वर्ष–वार ब्यौरों के अनुसार रकम का संबंध विभिन्न शीर्षो अर्थात् सेमिनार/सम्मेलन, अनुसंधान अध्ययन, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेटवर्किंग से है और यह रकम वर्ष 2008–09 से लेकर 2019–20 तक लंबित हैं और इसका कारण यह है कि संबंधित संगठनों ने अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि उपयोगिता प्रमाणपत्र, संतोषजनक रिपोर्टें, बिल आदि प्रस्तुत नहीं की हैं। चूंकि संगठनों को संदेय रकम ऊपर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि यह रकम संदेय होगी या नहीं। इसलिए लेखा मानक 29 के अनुसार इस रकम को 'चालू दायित्वों' के स्थान पर लेखाओं पर टिप्पण की अनुसूची 25 में ''आकस्मिक दायित्वों'' के रूप में दर्शित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों में रकम अधिक दर्शाई गई है और पूंजी निधि में कम रकम दर्शाई गई है।

पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसे इंगित किया गया था लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सहायता अनुदान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2019–20 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रूपये 2337.19 लाख की सहायता राशि प्राप्त की। इनके पास पिछली वर्ष में सहायता अनुदान का अव्ययित शेष रूपये 162.81 लाख था। इसे 263.87 लाख रुपये की आंतरिक प्राप्तियां हुई। कुल रूपये 2763.87 लाख में से राष्ट्रीय महिला आयोग ने रूपये 2394.54 लाख का उपयोग किया और अव्ययित अनुदान रूपये 369.33 लाख शेष बचा।

ग. प्राबंधिक पत्रः

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें प्राबंधिक पत्र के माध्यम से, जिसे उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के ध्यान में ला दिया गया है।

v) हम पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों को लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

क) जहां तक उनका संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग के 31 मार्च, 2020 तक तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख) जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधी आय और व्यय लेखे के घाटे से है।

स्थानः नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से**

दिनांक **प्रधान निदेशक लेखापरीक्षक**
(एच.डब्ल्यू. एंड आर.डी.) नई दिल्ली

उपाबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा मार्च, 2015 तक की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क. आयोग के गठन को 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भर्ती नियम विरचित नहीं किए गए हैं।

ख. वैधानिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं था क्योंकि 2009—10 से 2015—16 तक 26 लेखापरीक्षा पैरा बकाया था।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली भी कमजोर थी क्योंकि वर्ष 2014—15 से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया है।

ये बिंदु पिछली वर्षों की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

3. परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया

31.03.2020 तक परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

4. सामान सूची के वास्तविक सत्यापन किया गया है।

31.03.2020 तक सामान का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

5. देय राशि की अदायगी में नियमितता

लेखा के अनुसार मार्च, 2020 तक वैधानिक देय राशि के बारे में छह माह से अधिक समय तक कोई अदायगी बकाया नहीं है।

निदेशक (एएमजी—2)

अध्याय – 18

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें और वर्ष 2019–20 के लिए उत्तर तथा उस पर की गई कार्रवाई

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	आयोग का उत्तर
क.	तुलन पत्र	
क.1	**दायित्वः**	
क.1.1	**चालू दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7): 1259.29 लाख रुपए**	
क.1.1.1	संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठन को संदेय रकम के रूप में 758.62 लाख रूपये (649.80 लाख रूपये + 108.82 लाख रूपये) की रकम दर्शित की गई है। इसके लिए प्रस्तुत किए गए वर्ष–वार ब्यौरों के अनुसार रकम का संबंध विभिन्न शीर्षों अर्थात् सेमिनार/सम्मेलन, अनुसंधान अध्ययन, रा.म.आ. के नेटवर्किंग से है और यह रकम वर्ष 2008–09 से लेकर 2018–19 तक लंबित और इसका कारण यह है कि संबंधित संगठनों ने अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि उपयोगिता प्रमाणपत्र, संतोषजनक रिपोर्टें, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं। चूंकि संगठनों को संदेय रकम ऊपर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि यह रकम संदेय होगी या नहीं। इसलिए लेखा मानक 29 के अनुसार इस रकम को 'चाल दायित्वों' के स्थान पर लेखाओं पर टिप्पण की अनुसूची 25 में ''आकस्मिक दायित्वों'' के रूप में दर्शित किया जाना चाहिए। यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी बताया गया था, लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	758.62 लाख रूपये में से पहले ही 78.54 लाख रूपये की निकासी हो चुकी है और जल्द से जल्द बकाया देनदारियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और संबंधित व्यक्तियों / संगठन को अनुस्मारक जारी किए गए हैं।
क.1.1.2	8260 रूपये के बिल 2019–20 से संबंधित है लेकिन अदायगी 2020–21 में की गई। यद्यपि इसी व्यय को 2019–20 के आय और व्यय खाते में डेबिट नहीं किया गया था और इस खाते पर कोई देयता 2019–20 के खाते में नहीं दिखाई गई है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताए 8260 रूपये और उसी राशि से व्यय का बोध होता है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्रवाई की जाएगी।

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	आयोग का उत्तर
क.2.	**आस्तियां**	
क.2.1	**वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची –11): 1138.49 लाख रूपये**	
क.2.1.1	वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग के विभिन्न अधिकारियों को 5.00 लाख रूपये का अग्रिम आतिथ्य भत्ता के रूप में अग्रिम दिया गया था। यद्यपि इस राशि को अग्रिम की जगह व्यय के रूप में बुक किया गया है एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 2/2(19)/2013/रा.म.आ.(प्रशा.) में दी गई शर्तों के अनुसार अधिकारियों से कोई कैश मेमो या वचन नहीं लिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय में अधिकता व 5.00 लाख रूपये की वर्तमान आस्तियों (अग्रिम) में कमी हुई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया। आयोग ने नवंबर 2020 से आतिथ्य भत्ता को अग्रिम के तौर पर आहरण करना शुरू किया है और उपयोग प्रमाणपत्र के द्वारा समायोजन किया है। इसलिए पैरा को हटा दिया जाए।
ख	**आय और व्यय**	
ख.1.1	**व्यय– अनुदान पर व्यय, सहायता आदि (अनुसूची–22): 991.45 लाख रुपए**	
ख.1.1.1	आयोग के पास मार्च 2019 में 1.27 लाख रूपये के लंबित बिल थे, जिसके लिए समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019 के वार्षिक लेखा में कोई देयता नहीं बनाई गई है। इन बिलों के विरूद्ध अदायगी वर्ष 2019–20 में की गई थी और राशि को 2019–20 में व्यय के रूप में बुक किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष के व्यय में 1.27 लाख रूपये की बढ़ोत्तरी और इसी राशि की उस समय में कमी हुई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में इसे सही किया जाएगा।
ग.	**साधारण**	
ग.1	2008–2009 से 2019–20 तक की अवधि से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्वीकृत की गई 751.93 लाख रूपये की अग्रिम राशि मार्च 2019–20 तक निपटान के लिए लंबित थी। इसमें से 313.16 लाख रूपये 2018–19 तक की अवधि से संबंधित है। इन अग्रिमों को जल्द से जल्द समायोजित/पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है	शेष बकाया अग्रिमों को जल्द से जल्द निपटान करने का प्रयास किया जा रहा हैए जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों/संगठनों को अनुस्मारक भेजे गए हैं।
ग.2	5,832 रूपये की राशि को गलत तरीके से शीर्ष ''सेमिनार और कॉन्फ्रेंस'' के तहत अनुसूची 21 (अन्य प्रशासनिक व्यय) के तहत खर्च के रूप में बुक किया गया था, जबकि अनुसूची 22 में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की जगह– व्यय, अनुदान, सब्सिडी आदि के तहत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 21 और 22 के तहत 5,832 रूपये के व्यय की राशि में कमी आई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>लेखापरीक्षा पैरा</th><th>आयोग का उत्तर</th></tr>
<tr><td>घ.</td><td>सहायता अनुदान
वर्ष 2019–20 के लिए रा.म.आ. द्वारा प्राप्त व्यय, सहायता अनुदान और बिना खर्च किए गए अतिशेष के ब्यौरे की सारणी नीचे दी गई है:–
<table><tr><th>विशिष्टियां</th><th>रकम (लाखों रूपयों में)</th></tr><tr><td>प्राप्त अनुदान</td><td>2337.19</td></tr><tr><td>पूर्व वर्ष की बिना खर्च की गई रकम</td><td>162.81</td></tr><tr><td>अन्य प्राप्तियां</td><td>263.87</td></tr><tr><td>कुल उपलब्ध निधियां</td><td>2763.87</td></tr><tr><td>व्यय</td><td>2394.54</td></tr><tr><td>वर्ष के अंत में बिना खर्च की गई रकम</td><td>369.33</td></tr></table>इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत में रा.म.आ. के पास 369.33 लाख रूपये का अंत अतिशेष था।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं, यह वास्तविक स्थिति हैं।</td></tr>
</table>

उपाबंध का उत्तर

क्रम सं.	लेखा पर टिप्पणियाँ	आयोग का उत्तर
1	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** ● मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा मार्च, 2015 तक रा.म.आ. का आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित किया गया था।	यह एक तथ्यात्मक स्थिति है।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** (क) आयोग के गठन के 20 से अधिक वर्षों के बाद भी भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं	राष्ट्रीय महिला आयोग में (वेतन, भत्ते और अन्य नियम और सेवा समूह 'क' और समूह ख' अधिकारी), (जीएसआर 09.01.1997 का नंबर 41) की नियम, 1997 और "राष्ट्रीय महिला आयोग (वेतन, भत्ते और अन्य नियम और शर्तें 'सेवा समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारी नियम, 1997, (जीएसआर सं 09.01.1997 का 42)" के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के रूप में भर्ती की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एसआईयू की सिफारिश के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र सं 1/8 (23)/2018/रा.म.आ. (प्रशा) दिनांक 28 जून, 2019 के अनुसार मंत्रालय को 36 पदों के सृजन और 10 पदों के पुनःसृजन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 26 ऑडिट पैरा का जवाब पहले ही डीजीएसीई के कार्यालय को भेज दिया गया है।
	(ख) वैधानिक आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009–10 से 2015–16 की अवधि के लिए 26 ऑडिट पैरा बकाया थे। (ग) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली भी कमजोर थी क्योंकि 2014–15 के बाद से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इन मुद्दों को बताया गया है लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया और कार्रवाई वर्तमान वर्ष में की जाएगी।

क्रम सं.	लेखा पर टिप्पणियाँ	आयोग का उत्तर
3	**आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	संपत्ति का भौतिक सत्यापन 31.03.2020 तक किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक स्थिति है।
4.	**इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	सूची का भौतिक सत्यापन 31.03.2020 तक किया गया है	यह एक तथ्यात्मक स्थिति है।
5.	**बकाए के भुगतान में नियमितता**	
	लेखा के अनुसार, वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान मार्च, 2020 तक बकाया नहीं था	यह एक तथ्यात्मक स्थिति है।

उपाबंध

आयोग की संरचना

वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग की संरचना निम्नलिखित थीः

1. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, दिनांक 08.08.2018 से
2. श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्य, दिनांक 19.11.2018 से
3. श्रीमती सोसो शाइजा, सदस्य, दिनांक 19.11.2018 से 11.09.2020 तक
4. श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, दिनांक 26.11.2018 से
5. श्रीमती श्यामला एस. कुंदर, सदस्य, दिनांक 07.03.2019 से
6. डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, दिनांक 08.03.2019 से
7. श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य–सचिव, दिनांक 27.11.2018 से 31.10.2019
8. श्रीमती मीता राजीवलोचन, सदस्य–सचिव, दिनांक 08.01.2020 से

उपाबंध -II

आयोग का संगठनात्मक चार्ट

उपाबंध -III

वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोग द्वारा विचार–विमर्श किए गए मुख्य निर्णय/मामले

दिनांक 9 अप्रैल, 2019 को आयोजित आयोग की 191वीं बैठक

1. आयोग ने घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय मीडिया योजना विज्ञापन पर जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर दृश्य विज्ञापन चलाने का निर्णय भी लिया गया था।

2. आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में "उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना", विषय पर मेघालय और सिक्किम में कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया। आयोग ने इसी विषय पर एक और समान गतिविधि आयोजित करने का निर्णय लिया, जो कि नई दिल्ली में एक परामर्श के रूप में आयोजित किया गया।

3. आयोग ने 5 राज्य महिला आयोग के साथ 50 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया।

4. आयोग में कार्यरत दैनिक मजदूरों के लिए ''विशेष प्रोत्साहन और महंगाई भत्ता'' जारी करने के निर्णय पर विचार किया गया।

5. आयोग ने दो संस्थानों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग, झारखंड, और रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइक्रेटी एंड एलाइड साइंसेज (आरआईएनपीएएस), कान्के, रांची के निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

दिनांक 15 मई, 2019 को आयोजित आयोग की 192वीं बैठक

1. आयोग ने जम्मू और कश्मीर राज्य में "आधी विधवाओं और अन्य निराश्रित महिलाओं के अधिकारों" पर एक संगोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया था। यह तय किया गया था कि सेमिनार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाना था।

2. आयोग ने दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय से ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी लिंग संवेदीकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का अनुमोदन केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था।

3. आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के आयोजन के लिए तय दिशानिर्देशों में संशोधन किया था।

दिनांक 17 जून, 2019 को आयोजित आयोग की 193वीं बैठक

1. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान मसूरी (उत्तराखंड) में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सहयोग से सभी राज्यों के आयोगों के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था।

2. आयोग ने निरीक्षण, टिप्पणियों और अनुशंसाओं के संचालन के लिए कार्रवाई–रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल के निर्धारित प्रोफार्मा की पुष्टि की थी।

3. आयोग ने कुछ मनोरोग गृहों के निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को आयोजित आयोग की 194वीं बैठक

1. आयोग ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया।

2. आयोग ने वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आयोजित करने और विशेष अध्ययन और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान को अंतिम रूप दिया।

3. आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन और संस्थानों से प्राप्त कुछ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान को देने का निर्णय लिया।

4. आयोग ने दिल्ली में महिला प्रकोष्ठों और कुछ स्वाधार गृहों के खिलाफ अपराध की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

दिनांक 23 अगस्त, 2019 को आयोजित आयोग की 195वीं बैठक

1. आयोग ने यूजीसी केंद्रीय/सम विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों और यूजीसी से संबद्ध अन्य कॉलेजों के लिए राष्ट्रव्यापी शुरूआत से पहले एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के मॉड्यूल को संशोधित और अंतिम रूप दिया था।

2. आयोग में महिला कल्याण प्रकोष्ठ और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ ने दिव्यांग महिलाओं, एससी और एसटी महिलाओं से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय लिया।

3. आयोग ने ग्रामीण विकास एवं खेती की परंपराओं के विशेष संदर्भ में सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा की। आयोग ने तब इस संबंध में विचार–विमर्श और हस्तक्षेप के लिए सेमिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय लिया।

4. आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन और संस्थानों से प्राप्त कुछ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान को देने का निर्णय लिया।

5. आयोग ने गोवा और बिहार में केंद्रीय जेलों का निरीक्षण करने और महिला वार्ड की जेलों में किसी भी तरह की कमियों का पता लगाने के लिए निर्णय लिया, और इस तरह उन जेलों में महिलाओं की भलाई के लिए सिफारिशों/टिप्पणियों का प्रस्ताव रखा।

6. आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया।

7' आयोग ने एआईआरबीएनबी इंक (Airbnb Inc.) और गुजरात राज्य महिला आयोग के सहयोग से होमस्टे टूरिज्म गुजरात पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करने का निर्णय लिया।

8. आयोग ने मैसूरु की सर्किल जेल और बेंगलुरु की सेंट्रल जेल की निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था।

दिनांक 26 सितंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 196वीं बैठक

1. आयोग ने केंद्रशासित क्षेत्र पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश राज्य क्रमशः में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया।

2. आयोग ने कानपुर, गोरखपुर और महाराजगंज की जेलों की निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

3. आयोग ने प्रयागराज में वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

4. आयोग ने कानपुर शहर में राजकीय महिला शरणालय और राजकीय बाल गृह में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित आयोग की 197वीं बैठक

1. आयोग ने आयोजित महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर कानून की समीक्षा पर मसौदा रिपोर्ट की पुष्टि और अंतिम रूप दिया।

2. आयोग ने आयोजित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में कानून की समीक्षा पर परामर्श आयोजन से कई सिफारिशों का मसौदा तैयार किया।

3. आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन और संस्थानों से प्राप्त कुछ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान को देने का निर्णय लिया।

4. आयोग ने पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया।

दिनांक 21 नवंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 198वीं बैठक

1. आयोग ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, गुवाहाटी, असम के सहयोग से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समीक्षा पर एक क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया।

2. आयोग ने कई सेमिनार प्रस्तावों को मंजूरी दी थी जो कि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बाह्य विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी। स्वीकृत सेमिनार में उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्य भी शामिल थे।

3. आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन और संस्थानों से प्राप्त कुछ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान को देने का निर्णय लिया।

4. आयोग ने विजिट रिपोर्ट में चुने गए प्रेक्षणों और अनुशंसाओं की पुष्टि कुछ चुनिंदा जिलों में की थी। आयोग द्वारा दौरा रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया।

5. आयोग ने मणिपुर के स्वाधार गृह चंदेल और उखरुल जिलों के निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की। आयोग द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

6. आयोग को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजना के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मनोचिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पत्र मिला था। उसी की समीक्षा करने का निर्णय आयोग ने लिया।

7. आयोग ने दिल्ली, त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया।

8. आयोग ने दिल्ली क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से किए गए लिंग संवेदीकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रों के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया।

दिनांक 26 दिसंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 199वीं बैठक

1. आयोग ने कुछ चुने हुए आकांक्षापूर्ण जिलों की दौरा रिपोर्टों में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की। आयोग द्वारा यात्रा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

2. आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन और संस्थानों से प्राप्त कुछ शोध अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया।

दिनांक 24 जनवरी, 2020 को आयोजित आयोग की 200वीं बैठक

1. आयोग की गतिविधियों से संबंधित जन जागरूकता गतिविधियों और सूचनाओं के संचालन के लिए 34 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 में भाग लेने का निर्णय आयोग ने लिया।

2. आयोग ने गांधी नगर (गुजरात) में "महिला श्रम बल भागीदारी दर" पर एक क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया। आयोग ने मान्यता प्राप्त संगठन व संस्थानों से प्राप्त कुछ अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया।

3. आयोग ने कुछ चुने हुए आकांक्षापूर्ण जिलों की दौरा रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की। आयोग द्वारा यात्रा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

4. आयोग ने मनोरोग गृहों पर निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और सिफारिशों की पुष्टि की थी। निरीक्षण रिपोर्ट को आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया और इसे आगे बढ़ाने के निर्णय को संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में शामिल किया गया, जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी मनोरोग गृहों के चिकित्सा अधीक्षक शामिल थे।

5. आयोग ने जम्मू–कश्मीर और तमिलनाडु राज्यों में "उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने" पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया।

6. आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी पर एक सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया।

7. आयोग ने दिल्ली में ''हिंसा मुक्त घरों के लिए महिलाओं की परियोजना' के लिए दिल्ली पुलिस को वित्तीय सहायता जारी रखने का निर्णय लिया।

8. आयोग ने बिहार के पटना में आयोजित आई.जी. (कमजोर वर्ग) के साथ आयोजित बैठक में देखी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट की पुष्टि और अंतिम रूप दिया।

दिनांक 24 फरवरी, 2020 को आयोजित आयोग की 201वीं बैठक

1. आयोग ने कर्नाटक और असम राज्यों में चिह्नित राष्ट्रीय विधि स्कूलों के साथ "महिला श्रम बल भागीदारी दर" पर 2 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया था।

2. आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब में "एनआरआई विवाह और संबंधित मुद्दों" पर एक संगोष्ठी का निर्णय लिया था।

3. आयोग ने बिहार में 5 आकांक्षापूर्ण जिलों की दौरा रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की थी। आयोग ने दौरा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था और इसे नीती आयोग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों और संगठनों को भेजने का निर्णय लिया।

4. आयोग ने गंगटोक, सिक्किम में ''उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने'' पर संगोष्ठी के आयोजन के लिए हुए व्यय की समीक्षा और अनुमोदन किया।

5. आयोग ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची, झारखंड के सहयोग से आयोजित "चुड़ैल प्रथा की रोकथाम और उन्मूलन" विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए हुए व्यय की समीक्षा की और अनुमोदित किया।

6. आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रबंधित 7 राज्यों में 'महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त घरों' की परियोजना का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखने का निर्णय लिया।

7. आयोग ने 2020.2021 के वित्तीय वर्ष के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम निजी टीवी चैनल, एफएम चैनल, डिजिटल सिनेमा थिएटर, सोशल मीडिया और प्रसार भारती के माध्यम से एक राष्ट्रीय मीडिया अभियान चलाने का निर्णय लिया।

दिनांक 2 मार्च, 2020 को आयोजित आयोग की 202वीं बैठक

1. आयोग ने निर्णय लिया कि कटक, ओडिशा में "महिला श्रम बल भागीदारी दर" पर एक क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करें।

2. आयोग ने ''महिलाओं और बच्चों की आपदाओं में कानून की समीक्षा – एक नीति की आवश्यकता'' पर परामर्श रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की थी। आयोग ने परामर्श रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और इसे संबंधित मंत्रालयों और संगठनों को भेजने का निर्णय लिया।

3. आयोग के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के सहयोग से आयोजित बीजिंग. 25 पर राष्ट्रीय परामर्श के आयोजन के लिए हुए व्यय की समीक्षा की।

4. आयोग ने बलरामपुर आकांक्षापूर्ण जिला (उत्तर प्रदेश) की निरीक्षण रिपोर्ट में तैयार की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं की पुष्टि की थी। आयोग ने दौरा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था और इसे नीति आयोग और अन्य संबंधित प्राधिकरणों और संगठनों को भेजने का निर्णय लिया।

5. महिला अध्ययन केंद्र, मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम के सहयोग से आयोजित ''उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना'' विषय पर संगोष्ठी के आयोजन के लिए आयोग ने मंजूरी दी थी और व्यय को मंजूरी दी थी।

6. आयोग ने सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम के सहयोग से आयोजित सेमिनार ''चुड़ैल प्रथा की रोकथाम एवं उन्मूलन' के आयोजन के लिए खर्च की राशि को अनुमोदित किया।

2019–20 के दौरान वित्त पोषित सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	भारत में लैंगिक समानता के मुद्दे और चुनौतियाँ – लिंग संवेदीकरणः मुद्दे और चुनौतियाँ
2	सिद्दीकी स्मारक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरमस्तपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार	महिला सशक्तीकरण – शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
3	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़	महिला और स्वास्थ्य – महिलाओं के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
4	सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामाजिक विज्ञान के स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	महिला और रोजगार – भारत में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं
5	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली, आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
6	उत्कृष्टता केंद्र स्नातक महाविद्यालय संजौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश	महिलाओं के खिलाफ अपराध – प्रौद्योगिकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध
7	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा लॉ महाविद्यालय और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ, दक्षिणा कन्नड़, कर्नाटक	महिलाओं के खिलाफ अपराध – महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित कानून
8	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	घरेलू हिंसा – महिलाओं का भावनात्मक दुरूपयोग
9	आचार्य स्नातक अध्ययन संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पीओएसएच अधिनियम 2013)
10	भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक	महिला और रोजगार – भारत में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
11	मणिपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, वाणिज्य विभाग प्रबंधन स्कूल, मणिपाल, उडुपी, कर्नाटक	महिला और स्वास्थ्य – महिलाओं के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
12	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति का अध्ययन केंद्र, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
13	सेंट पॉल महाविद्यालय, कलामासेरी, एर्नाकुलम, केरल	महिलाओं के विरूद्ध अपराध–तकनीक और महिलाओं के विरूद्ध अपराध
14	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्मारक सरकारी कला व विज्ञान महाविद्यालय बालूशरी, केरल	घरेलू हिंसा – लिंग और हिंसा
15	सेंट ग्रेगोरियोस महाविद्यालय, कोटरकारा, कोल्लम, केरल	विभिन्न क्षेत्रों में महिला मुद्दों से संबंधित अन्य विषय – लिंग और मीडियाः प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
16	लोयोला सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल	महिला और रोजगार – महिला और श्रम कानून
17	रिजर्व इंदौर एम.पी. पुलिस संगठन, इंदौर, मध्य प्रदेश	महिलाओं के खिलाफ अपराध – आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा
18	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	लैंगिक समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – लिंग संवेदीकरणः मुद्दे और चुनौतियाँ
19	प्रेस्टीज प्रबंधन व अनुसंधान संस्थान इंदौर, मध्य प्रदेश	महिला और स्वास्थ्य – महिलाओं के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
20	उद्यमशीलता विकास केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
21	बी.एल. अमलानी वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	महिलाओं के विरूद्ध अपराध–तकनीक और महिलाओं के विरूद्ध अपराध
22	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	विभिन्न क्षेत्रों में महिला मुद्दों से संबंधित अन्य विषय – लिंग और मीडियाः प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
23	डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	विभिन्न क्षेत्रों में महिला संबंधित मुद्दें एवं अन्य विषय – लिंग और मीडिया: प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
24	देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र	विभिन्न क्षेत्रों में महिला संबंधित मुद्दें एवं अन्य विषय – लिंग और मीडिया: प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
25	एटीएसपीएम कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, बीड, महाराष्ट्र	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
26	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
27	राजकीय बालिका महाविद्यालय, करौली, राजस्थान	लिंग समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – लिंग संवेदीकरण: मुद्दे और चुनौतियाँ
28	विश्वविद्यालय पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	महिला और स्वास्थ्य – महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर जागरूकता उत्पन्न करना
29	होली क्रॉस महाविद्यालय, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	महिलाओं के खिलाफ अपराध – प्रौद्योगिकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध
30	श्री सरस्वती त्यागराज महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	महिलाओं के खिलाफ अपराध – प्रौद्योगिकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध
31	तमिलनाडु राज्य महिला आयोग, चेन्नई, तमिलनाडु	लैंगिक समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – लिंग संवेदीकरण: मुद्दे और चुनौतियाँ
32	टैगोर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कांचीपुरम, तमिलनाडु	महिला और रोजगार – भारत में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं
33	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, डिंडीगुल, तमिलनाडु	महिला और स्वास्थ्य – मासिक धर्म स्वच्छता
34	नवरसम कला एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, इरोड, तमिलनाडु	महिला और स्वास्थ्य – महिलाओं के बीच सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
35	पीएसजीआर कृष्णमल महिला महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	महिला सशक्तीकरण – शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
36	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, डिंडीगुल, तमिलनाडु	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
37	मद्रास सामाजिक कार्य विद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
38	एस.बी. विधि महाविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा – लिंग और हिंसा
39	प्रगति पथ फाउंडेशन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा – लिंग और हिंसा
40	रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा को रोकने में राज्य एजेंसियों की भूमिका
41	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	भारत में लैंगिक समानता के मुद्दे और चुनौतियाँ – भारत की उच्च शिक्षा में महिला और लैंगिक समानताः मुद्दे और चुनौतियाँ
42	सीएमपीपीजी महाविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पीओएसएच अधिनियम 2013)
43	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	महिला और रोजगार भारत में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ
44	आर्य महिला पी.जी. महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	महिला और रोजगार – भारत में असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएँ
45	एमिटी बायोटेक्नोलॉजी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिला और स्वास्थ्य – मासिक धर्म स्वच्छता
46	एमिटी पुनर्वास विज्ञान संस्थान, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण
47	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	महिला सशक्तीकरण – उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
48	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, परगना, पश्चिम बंगाल	लैंगिक समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – लैंगिक संवेदनशीलता: मुद्दे और चुनौतियाँ
49	कालिंदी महाविद्यालय,दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	महिलाओं के खिलाफ अपराध – महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित कानून
50	राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय रांची, झारखंड	भारत में लैंगिक समानता के मुद्दे और चुनौतियाँ – लैंगिक संवेदनशीलता: मुद्दे और चुनौतियाँ
51	अक्कमहादेवी (कर्नाटक राज्य) महिला विश्वविद्यालय, कर्नाटक	विभिन्न क्षेत्रों में महिला मुद्दों से संबंधित अन्य विषय – लिंग और मीडिया: प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
52	भास्कर जन–संचार एवं पत्रकारिता संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश	विभिन्न क्षेत्रों में महिला मुद्दों से संबंधित अन्य विषय – लिंग और मीडिया: प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
53	रॉयनगर सोसाइटी फॉर यूथ, परगना, पश्चिम बंगाल	लैंगिक समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – मेडिकल और पैरामेडिकल संगठनों में लिंग संवेदनशीलता
54	कृषक अनुसुचित जाति एवम जनजाति शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति रतलाम, मध्य प्रदेश	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रिया: नीतिगत सुधार के उपाय
55	सुजीत शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण
56	शोभित विश्वविद्यालय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
57	पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन अध्ययन विभाग पांडिचेरी	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
58	एम.एस. भगत और सी.एस. सोनवाला विधि महाविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात	महिलाओं के खिलाफ अपराध – प्रौद्योगिकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध
59	कचरियाचंद्रावत शैक्षिक और कल्याण समाज समिति मंदसौर, मध्य प्रदेश	महिलाओं के खिलाफ अपराध – संघर्ष क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
60	गुरु गोबिंद सिंह खालसा महिला महाविद्यालय, लुधियाना, पंजाब	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रिया: नीतिगत सुधार के उपाय
61	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखंड	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रिया: नीतिगत सुधार के उपाय
62	मानव कल्याण सोसायटी उज्जैन, मध्य प्रदेश	महिला और रोजगार – कार्य स्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
63	महिला ग्राम विकास शिक्षा समिति, नीमच, मध्य प्रदेश	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– सामाजिक हिंसा और न्याय प्रतिक्रिया यौन हिंसा: नीतिगत सुधार के उपाय
64	हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	महिलाओं के खिलाफ अपराध – संघर्ष क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध
65	पंजाब का केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, बठिंडा, पंजाब	महिलाओं के खिलाफ अपराध – संघर्ष क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधण
66	सरकारी महाविद्यालय (स्वायत) अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
67	विवेक शिक्षा महाविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रिया: नीतिगत सुधारों के उपाय
68	रामपुर समाजसेवा समिति, सोनीपत, हरियाणा	लैंगिक समानता के मुद्दे और भारत में चुनौतियाँ – मेडिकल और पैरामेडिकल संगठनों में लिंग संवेदनशीलता।
69	आदित्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	महिलाएं और रोजगार – कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
70	राजकीय स्नातक महाविद्यालय, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
71	स्वामी स्वतंत्रानंद स्मारक महाविद्यालय, गुरदासपुर, पंजाब	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
72	राजगिरी आउटरीच सर्विस सोसायटी, राजागिरी महाविद्यालय ऑफ सोशल साइंसेज, एर्नाकुलम, केरल	महिलाएं और रोजगार – कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
73	केकेसी स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान चित्तूर, आंध्र प्रदेश	महिलाओं के खिलाफ अपराध – प्रौद्योगिकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध
74	सतत् बस्ती विकास केंद्र, दिल्ली	विभिन्न क्षेत्रों में महिला संबंधित मुद्दें एवं अन्य विषय – लिंग और मीडियाः प्रतिनिधित्व, मुद्दे और चुनौतियाँ
75	महुडिया श्री ज्ञानदेव शिक्षा समिति, नीमच, मध्य प्रदेश	महिला और रोजगार – कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
76	बेटी और शिक्षा फाउंडेशन, नई दिल्ली	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रियाः नीतिगत सुधार के उपाय
77	जन समाज कल्याण ग्रामोद्योग विकास समिति, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
78	स्वस्तिक महिला विकास संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के खिलाफ अपराध – संघर्ष क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध
79	मेडिवर्ल्ड एजुकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली	महिलाएं और रोजगार – कार्य स्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
80	समाज कल्याण फाउंडेशन, खोरधा, ओडिशा	महिलाएं और रोजगार – कार्य स्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
81	लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय, झारसुगड़ा, ओडिशा	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
82	भारतीय महिला संघ, बोटाड, गुजरात	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
83	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
84	बीएन पटेल पैरामैडिकल एवं विज्ञान संस्थान, आनंद, गुजरात	महिला सशक्तीकरण – भारत में अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी
85	एचएमयू हाशमी विधि महाविद्यालय, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– यौन हिंसा के लिए सामाजिक और न्याय प्रतिक्रियाः नीतिगत सुधारों के उपाय

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
86	मणिपुर अपलिफ्टमेंट सेंटर उचिवा लिराक अचौबा, डाकघर/थाना मयंग इम्फ़ाल इम्फ़ाल पश्चिम मणिपुर 795132	लचर सूचना सुरक्षा नीति/कानून और सामाजिक मीडिया के प्रभाव में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते हुए अपराध–मणिपुर के संदर्भ में।
87	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कैम्पस, मणिपुर	महिलाओं के लिए उद्यमिता और कौशल विकास पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला
88	नाओतौमाई (महिला एवं बाल) ग्रामीण विकास संघ, मणिपुर	महिलाओं का सशक्तीकरण–महिलाओं के सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका।
89	डी.ए.आर.ई., ऐनोन विल्ला, लुवांगसंगबम मेनिंग मंत्रिपुर्खी, डाकघर–इम्फ़ाल पूर्व, मणिपुर– 795002	महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व।
90	कृष्ण कांता हंडीकी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पट्गांव, रानी कामरूप, असम–781017	भारत के पूर्वोत्तर में लिंग संवेदीकरण: मुद्दे व चुनौतियां
91	मणिपुर राज्य महिला आयोग, डी.सी. कार्यालय परिसर, इम्फ़ाल पश्चिम, उत्तर–ब्लॉक लमफेलपट, मणिपुर 795004	महिलाओं के विरूद्ध अपराध–प्रौद्योगिकी और महिलाओं के विरूद्ध अपराध
92	ग्रामीण सशक्तीकरण एवं विकास संगठन केंद्र	एचआईवी रोकथाम की रणनीति के रूप में मणिपुर में मादक सुई का इस्तेमाल करने वालों की विधवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए सहभागी हस्तक्षेप पर दो दिवसीय कार्यशाला
93	मेघालय राज्य महिला आयोग लोअर लचूमिएरे, निकट लेबर ऑफिस, पूर्व ख़ासी हिल्स मेघालय 793001	घरेलू हिंसा– लिंग और हिंसा
94	दुमदुमा महाविद्यालय, असम	मासिक धर्म पर महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल: एक समकालीन परिस्थिति
95	नागालैंड राज्य महिला आयोग एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, बयावु हिल, कोहिमा, नागालैंड	उद्यमिता और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण।

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठन का नाम	विषय/टॉपिक
96	इन्दिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय, तेजू लोहित, अरुणाचल प्रदेश 792001	21वीं शताब्दी में महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दे व चुनौतियां
97	पुठीमारी महाविद्यालय कमलपुर–दीमु रोड, गुइया, कामरूप, असम, पिन– 781382	पूर्वोत्तर भारत में लैंगिक मुद्देः चुनौतियां एवं भविष्य की राह
98	एससीएस कृषि महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय, रंगमती धुबरी, असम 783376	उद्यमिता और कौशल विकास द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण
99	ग्रामीण महिला उत्थान संघ असम, मकान संख्या 14, जपोरिगोग, एचएस लेन सुंदरपुर गुवाहाटी– जिला कामरूप असम	घरेलू हिंसा– सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक आघात
100	सिटीजेन्स अल्लियन्स फॉर री–एम्पोवेरमेंट (सीएआरई), केवीएस ऑइल पम्प के समीप, उखरुल टाउन, उखरुल जिला, मणिपुर	कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
101	मानव कल्याण समाज एवं शिक्षा (एसएडब्ल्यूई), खेतरी चंदम लैकाई, बी.पी.ओ. खेतरीगाँव, इम्फ़ाल, पूर्व मणिपुर 795005	कार्यस्थल पर लिंग आधारित उत्पीड़न
102	सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास फ़ाउंडेशन, खुरई ठौड़म, लैकाई अयांगपाली रोड, डाकघर लमलोंग, थाना पोरोमपट, इम्फ़ाल पूर्व, मणिपुर– 795010	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न एवं रोकथाम
103	मिज़ोरम विश्वविद्यालय तनहरिल, आइजवाल मिज़ोरम– 796004	भारत में अनुसंधान व विकास में महिलाओं की भागीदारी
104	लिबरल महाविद्यालय, लुवांगसंगबम इम्फ़ाल पूर्व मणिपुर 795002	भारत में लिंग स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाः भारत में मुद्दे एवं चुनौतियां
105	नागालैंड राज्य महिला आयोग एनबीसीसी परिसर, प्रथम तल, बयावु हिल, कोहिमा, नागालैंड	लिंग समानता के लिए कानूनी अधिकार
106	ककोजन महाविद्यालय निकट ककोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जोरहाट असम	पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराध

उपाबंध -V

वर्ष 2019–2020 के दौरान वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययन का विवरण:

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठनों का नाम	विषय/टॉपिक
1	अपराध विज्ञान एवं विक्टिमोलॉजी केन्द्र, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	परिवहन और अपराध: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कैब में महिलाओं के खिलाफ अपराध का विवरण
2	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली	ओडिशा में केबीके जिलों में महिला सशक्तीकरण में मिशन शक्ति के प्रभाव का मूल्यांकन
3	मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	बांझपन और इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव: उत्तर भारत में अस्पताल आधारित मामलों का नियंत्रण अध्ययन
4	सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, समाज विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	शराब, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा और दिल्ली की मलिन बस्तियों, ग्रामीण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में महिलाओं की स्थिति का सामना करने की रणनीति: कार्रवाई के लिए ठोस समाधान खोजना
5	राष्ट्रीय विधि, अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	झारखंड राज्य में डायन प्रथा के खतरे: एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन
6	भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक	बैंगलोर के निर्माण उद्योग में मातृत्व लाभ योजनाओं की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन
7	अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय, विजयापुर, कर्नाटक	सतत विकास लक्ष्य में अड़चनें, पहुंच और गुणवत्ता की शिक्षा – विजयपुरा जिले में शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का एक केस अध्ययन
8	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	शहरी कामकाजी महिलाओं के बीच अवसाद के कारणों को समझना: एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई की महिला कर्मचारियों का एक केस अध्ययन
9	राजस्थान विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभाग, जयपुर, राजस्थान	माहवारी स्वास्थ्य, व्यवहार और प्रबंधन: राजस्थान की सहारिया जनजाति के बीच चुनौतियां और व्यवहार
10	पीएसजीआर कृष्णमल महिला महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	भावनात्मक दुर्व्यवहार के मुद्दों और चुनौतियों का सामना संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को करना पड़ता है

क्रम सं.	संगठन/गैर सरकारी संगठनों का नाम	विषय/टॉपिक
11	केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु, अर्थशास्त्र विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवरूर, तमिलनाडु	असंगठित क्षेत्रों के भीतर वेतन विसंगतियां; तमिलनाडु और केरल के बीच घरेलू और निर्माण महिला श्रमिकों का एक अध्ययन
12	मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान, मदुरै, तमिलनाडु	मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और महिलाओं के व्यवहारः तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के विशेष संदर्भ के साथ एक तुलनात्मक, हस्तक्षेप अध्ययन
13	एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) में योग्य बनाने वाले और दमनकारियों का आकलनः मध्य उत्तर प्रदेश के अर्ध शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और प्रथाओं का अध्ययन
14	सरदार वल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन विद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु	वस्त्र और फैशन उद्योग में महिला उद्यमियों के सामने प्रमुख अवसर और चुनौतियां
15	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कलापेट, पुदुचेरी	पुडुचेरी के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र की प्रवासी महिलाएँ
16	राजकीय महाविद्यालय, अंजड़, मध्य प्रदेश	ग्रामीण महिला सूक्ष्म उद्यम मालिकों की भूमिका समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन जिलों के विशेष संदर्भ में)
17	भारतीय स्त्री शक्ति, मुंबई, महाराष्ट्र	जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण पर नीतियों का मूल्यांकन
18	असम विश्वविद्यालय, कछार असम	दक्षिण असम में महिला घरेलू कामगारों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशाः समस्याएं एवं मुद्दे
19	चंद्रप्रभा साइकियानी महिला अध्ययन केंद्र, तेज़पुर विश्वविद्यालय, असम	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रभावशीलता

छायाचित्र संग्रह

आयोग ने दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के अधिकारियों और अनुसंधान विशेषज्ञों के साथ कई परियोजनाओं पर जानकारी लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान आयोग वित्तीय सहायता/मदद प्रदान कर रहा है।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा, दिनांक 11 मई, 2019 को अध्यक्ष के कक्ष में "दहेज विरोधी प्रतिज्ञा" लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ परामर्शदाताओं के साथ आयोग की सदस्य और सदस्य सचिव।

दिनांक 3 जून, 2019 को एक पारस्परिक (इंटरएक्टिव) बैठक के अवसर पर ली गई तस्वीर, आयोग के मुख्यालय में महिलाओं के लिए राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा ने 9 राज्यों की सरकार और महिलाओं के लिए संबंधित राज्य आयोगों के साथ *'नारी–लोक–अदालत'* के प्रारंभिक परामर्श का नेतृत्व किया, जो देश के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र पर चर्चा करने के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2019 को आयोजित किया गया था।

दिनांक 21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोग के मुख्यालय में

आयोग ने दिनांक 31 अगस्त, 2019 को सीएआरए, एनसीपीसीआर, एससीडब्ल्यू, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं के प्रतिभागियों के साथ 'अभिभावक अधिकारों की समीक्षा' पर परामर्श आयोजित किया।

आयोग ने वी.वी. गिरि श्रमिक संस्थान के प्रतिभागियों के लिए एक दिन के दौरे का आयोजन किया था। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यस्थल पर लिंग समानता के संवर्धन के तहत दिनांक 22 अगस्त, 2019 को आयोजित।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा दिनांक 27 सितंबर, 2019 को आयोग द्वारा पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में आयोजित 'एनआरआई विवाह और संबंधित मुद्दों' पर एक संगोष्ठी में उपस्थित।

दिनांक 24 सितंबर, 2019 को आयोग के मुख्यालय में साइबर पीस फाउंडेशन के विशेषज्ञों की यात्रा के दौरान; अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा आयोग के कर्मचारियों को "साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा" पर भाषण देती हुई।

दिनांक 21 अक्तूबर, 2019 को राज्य पुलिस अकादमी के सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस अधिकारियों के लिए एक तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षा का दौरा।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया गया। दिनांक 21 अक्तूबर, 2019 को पुलिस अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य पुलिस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी।

दिनांक 15 अक्तूबर, 2019 को, आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरणों और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ एक सत्र आयोजित किया था, जिसमें महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं के उपायों और प्रभावी कार्यान्वयन प्रक्रिया और महिलाओं और यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराध की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजा योजना पर चर्चा की गई ।

आयोग ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2019 को आयोग के मुख्यालय में बाहरी सदस्यों, सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा एवं वरिष्ठ अधिकारियों व आयोग के सदस्यों के साथ पहली सलाहकार बैठक आयोजित की थी। बैठक वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान किए जाने वाले जनादेश गतिविधियों और कार्यक्रमों के विचार–विमर्श के लिए आयोजित की गई थी, और आयोग द्वारा पिछली उपलब्धियों के काम की समीक्षा की गई थी।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा दिनांक 18 अक्तूबर, 2019 को भारत में घरेलू कामगारों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों और उनकी सुरक्षा हासिल करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप और गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर आयोजित एक सेमिनार में संबोधन कर रही थीं।

आयोग ने दिनांक 17 दिसंबर, 2019 को "आपदाओं में महिलाएं और बच्चे: नीति की आवश्यकता" पर एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया, जिसमें मंत्रालयों के अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल से सम्मानित प्रतिभागियों के साथ नई दिल्ली में, राज्य महिला आयोग और सिविल सोसाइटी सदस्य अधिकारियों ने भाग लिया।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा, एमडब्ल्यूसीडी की माननीय मंत्री, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करती हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय में लिंग संवेदनशीलता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद आयोग द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2019 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह का दृश्य।

मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी जी, श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा के साथ सामूहिक रूप से। दिनांक 18 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (दिल्ली क्षेत्र) के अधिकारी और शिक्षक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल, श्रीमती अनुसुइया उइके ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 को आयोग के 27वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान दीप प्रज्ज्वलित किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल, श्रीमती अनुसुइया उइके ने मुख्य अतिथि के रूप में भाषण की शुरुआत की।

अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा आयोग के 27 वें स्थापना दिवस के दौरान भाषण देते हुए।

पहली फरवरी से दिनांक 16 फरवरी, 2020 तक त्योहारों की तारीखों में महिला अधिकारों और आयोग के कार्यों से संबंधित जन जागरूकता की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार कर, आयोग ने फरीदाबाद (दिल्ली एनसीआर) के 34 वें सूरजकुंड मेला में भाग लिया।

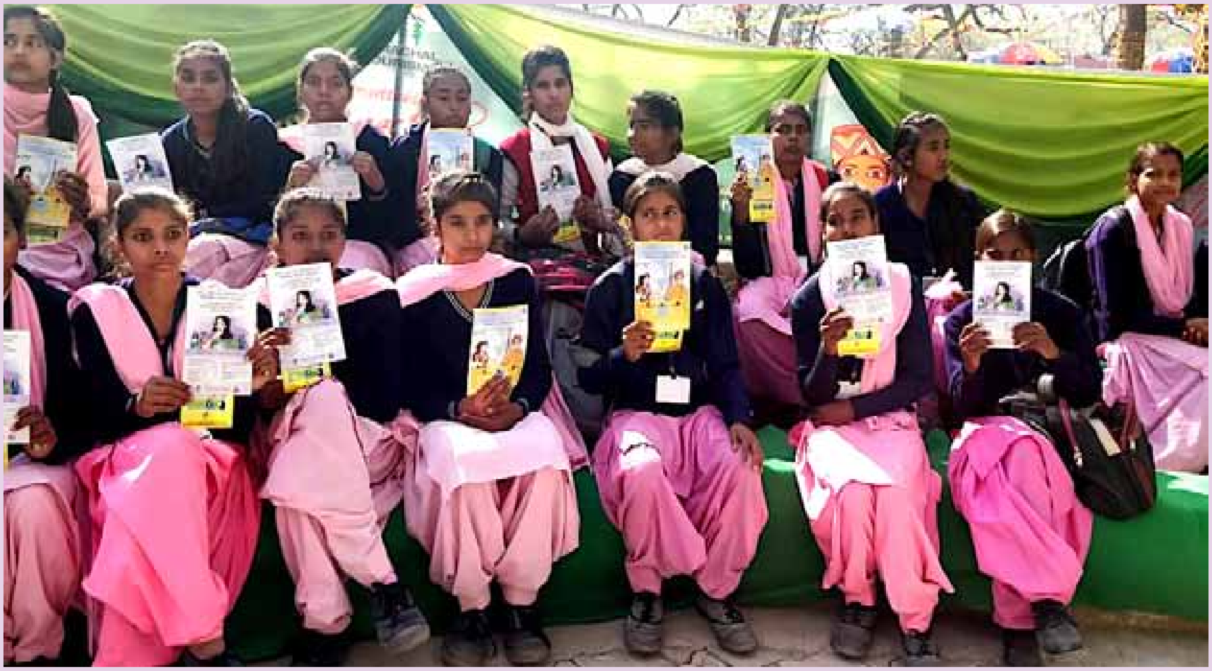

फरवरी 2020 में 34 वें सूरजकुंड मेला के दौरान आयोग के सूचना पत्रक रखने वाले स्कूली छात्रों का एक समूह।

मेघालय राज्य महिला आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने मार्च 15, 2019 को मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद हॉल में "उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को, आयोग ने नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर "महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की सहायता" पर एक परामर्श आयोजित किया। परामर्श नई तकनीक और योजनाओं के साथ अपने उद्यमों के कौशल, क्षमता और उत्पादकता का समर्थन और सुधार करने के उद्देश्य से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के समूहों तक पहुंचने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए विचार–विमर्श के लिए रखा गया था।

इंडिया गेट से जनपथ मार्ग पर नई दिल्ली में पावर वॉक अभियान के दौरान आयोग की अध्यक्षा और सदस्यगण।

(बायें से दायें) अध्यक्षा, श्रीमती रेखा शर्मा, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती उषा चूमर और विशेष अतिथि, श्री नादिर पटेल, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त, ने इंडिया गेट, नई दिल्ली में पावर वॉक के अवसर पर शोभा बढ़ाई।

अनुष्ठान थियेटर सोसाइटी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि छात्रों के एक समूह ने लिंग–आधारित भेदभाव विषय पर आसपास के प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक *"नारी हूं, बेचारी नहीं"* मंच पर प्रदर्शन किया।